KOCHI METRO RAIL LIMITED

A joint venture of Government of India
and Government of Kerala

ANNUAL REPORT

2020-2021

विषयवस्तु

		पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष का संदेश	04
2.	बोर्ड की रिपोर्ट	08
3.	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	40
4.	निगमित अभिशासन रिपोर्ट	45
5.	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	58
6.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	59
7.	वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरण	76

पंजीकृत कार्यालय

चौथी मंजिल, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, कलूर, कोच्ची- 682017, केरल, भारत।

दूरभाष: +91 484 2846700 / 2846770. फैक्स नं: +91 484 2970810

www.kochimetro.org

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स के वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी

शासनपत्रित लेखाकार

बिल्डिंग नंबर 41/3647 बी, पहली मंजिल, ब्लूबर्ड टावर्स, प्रोविडेंस रोड, कोच्ची- 682018

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स विवेक शरत और नौफल प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव,

डोर संख्या 28/3655, सुनोरो चर्च रोड, मेट्रो पिल्लर #824, रैडिसन ब्लू, के सामने, एलमकुलम, कोचीन – 682020

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स सी के प्रस्टी एंड एसोसिएट्स,
शासनपत्रित लेखाकार
49/550एफ़, प्रशांति लेन,
एलमक्करा, कोच्ची- 682026

कंपनी सचिव

श्याम सुंदर अग्रवाल

हमारे बैंक

केनरा बैंक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एक्सिस बैंक लिमिटेड आईडीबीआई बैंक लिमिटेड।
भारतीय स्टेट बैंक | इंडियन बैंक।
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। फेडरल बैंक लिमिटेड।धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड।
केरल राज्य सहकारी बैंक

निदेशक मण्डल

(5 अगस्त 2021 को)

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड सचिव, आवास और शहरी मामला मंत्रालय, कमरा नंबर 122 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
श्री जयदीप	ओएसडी (यूटी) और पदेन संयुक्त सचिव, आवास और शहरी मामला मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
श्रीमती सुजाता जयराज	निदेशक (वित्त), चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई
श्री डी के सैनी	निदेशक परियोजनाएँ, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली
श्री भूपेन्दर सिंह बोध	एसएजी/आईआरएसईई ईडी/आरई, रेलवे बोर्ड सेम- बी 1008, शिप्रा सृष्टि, इंदिरापुरम, गाजीबाद, यू.पी
डॉ. वी पी जोय	मुख्य सचिव केरल सरकार, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम।
श्री राजेश कुमार सिंह	अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) केरल सरकार, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम।
श्री के आर ज्योतिलाल	प्रबंध निदेशक, केएमआरएल, प्रमुख सचिव (परिवहन), केरल सरकार, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम
श्री जाफ़र मालिक	जिलाधीश, जिलाधीश का कार्यालय, एरणाकुलम, काक्कनाड, कोच्ची
श्री कुमार के आर	निदेशक (वित्त) कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर।
श्री डी के सिन्हा	निदेशक (प्रणाली) कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर

अध्यक्ष का संदेश

(श्री दुर्गा शंकर मिश्रा)
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
सचिव, आवास और शहरी मामला मंत्रालय, कमरा नंबर 122 सी,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की दसवीं वार्षिक आम बैठक में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट और कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, अनुपूरक लेखापरीक्षा पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट साथ ही साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी व एजी) की टिप्पणियाँ आपको पहले ही परिचालित किया जा चुका है और आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ।

परिचालन क्षेत्र

आपकी कंपनी वर्तमान में अलुवा से पेट्टा तक परिचालन करती है; कोच्ची मेट्रो के चरण1 का सफलतापूर्वक पूर्तीकरण केएमआरएल में हम सभी के लिए गर्व और संतुष्टि का विषय है। वास्तव में यह कार्य केएमआरएल टीम के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हमारा तत्काल ध्यान पहले चरण की चिरस्थाई संचालन और नेटवर्क के विस्तार पर है। विस्तार के पहले चरण का काम प्रगति पर है और वर्ष 2022 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है। जेएलएन स्टेडियम से काक्कनाड होते हुए इंफोपार्क तक के दूसरे चरण के संबंध में, पीआईबी ने 1,957.05 करोड़ रुपए के लिए कैबिनेट की मंजूरी के प्रस्ताव की सिफारिश की तथा इस परियोजना को फरवरी 2021 को घोषित केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है। द्वितीय चरण के प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय प्रदर्शन

कोविड-19 महामारी ने कंपनी के व्यवसाय, यात्रियों की संख्या और अन्य राजस्व गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। सरकार के निर्देशानुसार 22.03.2020 से 06.09.2020 तक हमारे संचालन को निलंबित कर दिया गया। नई एसओपी और

कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन में सेवाएं फिर से शुरू की गईं। केएमआरएल की पूरी टीम अपनी महामारी-पूर्व की स्थिति में सेवाओं/यात्रियों की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान, गैर-किराया बॉक्स राजस्व के संबंध में आपकी कंपनी, बाजार तक पहुँच बढ़ाने के लिए, विभिन्न खुदरा कियोस्क और कार्यालय स्थानों के लिए नए ग्राहक हासिल करने हेतु कड़ी मेहनत कर रही है। बोर्ड की रिपोर्ट में आपकी कंपनी के वर्ष 2020-21 का वित्तीय प्रदर्शन भी शामिल है।

कोच्ची जल मेट्रो परियोजना

आपकी कंपनी को केरल सरकार (जीओके) की ओर से कोच्ची जल मेट्रो परियोजना नामक एक शहरी जल पारगमन परियोजना को निष्पादित करने का कार्य सौंपा गया था। परियोजना को अक्टूबर 2019 में एमओईएफ़ एवं सीसी, भारत सरकार से पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिली। केरल सरकार ने अपने जी.ओ. दिनांकित 23 अक्टूबर, 2020 के तहत केरल सरकार की ओर से 74% इक्विटी और केएमआरएल की ओर से 26% इक्विटी के साथ कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के संचालन और प्रबंधन हेतु विशेष प्रयोजन वाहन के गठन के लिए मंजूरी दी है। तत्पश्चात्, केएमआरएल के निदेशक मंडल ने 25 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी 40वीं बैठक में, केएमआरएल की ओर से एसपीवी समामेलन तथा प्राधिकृत निदेशकों और सब्सक्राईबर्स के के लिए मंजूरी दी। इसके बाद, केरल सरकार ने दिनांक 23 मार्च, 2021 को केरल सरकार की ओर से निदेशकों को प्राधिकृत किया।

कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड के गठन हेतु आवेदन एमसीए पोर्टल पर दायर किया गया तथा इसके लिए मंजूरी प्राप्त हुई और कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड का गठन दिनांक 14 जुलाई 2021 को किया गया।

केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री पिणराई विजयन ने दिनांक 15 फरवरी 2021 को वैटिला और काक्कनाड टर्मिनलों और मार्गों का उद्घाटन किया।

कुल 38 टर्मिनलों में से 16 टर्मिनल निर्माणाधीन हैं। 100 पैक्स (PAX) वाले 23 का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची में हो रहा है। इसके अलावा, 50 PAX वाले 55 पोत हैं, और इन पोतों के लिए निविदाएँ बुलाना है। पहले पोत की प्राप्ति अक्टूबर 2021 तक होने की उम्मीद है और इसका उद्घाटन दिसंबर 2021 में निर्धारित है।

आईयूआरडब्ल्यूटीएस

एकीकृत शहरी पुनर्वास और जल परिवहन प्रणाली (आईयूआरडब्ल्यूटीएस) परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए आपकी कंपनी को प्रशासनिक विभाग से दिनांक 12.02.2021 को 1,528 करोड़ रुपए की राशि के लिए संशोधित सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हुआ। पुनर्वासित की जाने वाली नहर प्रणाली की कुल लंबाई 35 कि.मी. है। परियोजना की विकास गतिविधियों के लिए भूमि अधिग्रहण के हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने 41.27 हेक्टेयर निजी भूमि और 2.79 हेक्टेयर सरकारी भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राजस्व विभाग पहले ही 41.27 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुमति दे चुका है। इस परियोजना में कोच्ची शहर के नहर नेटवर्क (6 नहरों) के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें जल मेट्रो और रेल मेट्रो को जोड़ने वाले नेविगेशन नेटवर्क का विकास भी शामिल है।

कोच्ची 1 ऐप

कोच्ची1 ऐप अब सभी यात्रियों के लिए गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है, जिसके ज़रिए यात्री टिकट खरीद सकते हैं और अपने कोच्ची1 कार्ड को ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं द्वारा इस ऐप में ऑनलाइन टिकट बुकिंग, लाइव मेट्रो समय सारिणी और किराए देख सकते हैं, और इसमें एक जर्नी प्लानर सुविधा भी है जो आपके वर्तमान स्थान के आधार पर यात्रा के सर्वोत्तम मार्ग और साधन सुझाता है। कोच्ची1 कार्ड के मामले में, जब मार्च 2021 में कोच्ची1 कार्ड धारकों की संख्या बढ़कर एक लाख हो गई, आपकी कंपनी ने एक और मील का पत्थर हासिल किया।

अन्य पहल

आपकी कंपनी अन्य पहलों में भी सक्रिय रूप से शामिल है, जिसमें एरणाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन के साथ एरणाकुलम साउथ मेट्रो स्टेशन की ग्रेड कनेक्टिविटी के लिए साउथ वॉकवे का निर्माण, तैक्कूडम मेट्रो स्टेशन से कनेक्टिविटी के लिए

कुन्नरा पार्क का पुनर्विकास, मुट्टम एफओबी का निर्माण आदि आपकी कंपनी द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए शुरू की गई कुछ परियोजनाएँ हैं। आपकी कंपनी ने चरण 1 के विस्तार के प्रारंभिक कार्य के हिस्से के रूप में निर्धारित समय से 7 महीने पहले 250 मीटर लंबाई के दो लेन पनमकुट्टी पुल का निर्माण भी पूरा कर लिया है। दिनांक 15.02.2021 को केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन द्वारा पुल का उद्घाटन किया गया और इसे जनता के लिए खोल दिया गया।

आपकी कंपनी ने वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण परियोजना जैसे जल संरक्षण परियोजनाओं को लागू किया है। केएमआरएल समावेशी तरीके से सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा तटस्थता प्राप्त करना चाहता है। पारंपरिक ऊर्जा तटस्थता प्राप्त करने के लिए, केएमआरएल ने पहले ही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के दो चरणों को चालू कर दिया है, जिसमें 2,670KWp के रूफ टॉप सौर परियोजना और 2,719KWp के ग्राउंड माउंटेड का, दोनों मिलकर कुल 5389 KWp बिजली क्षमता का उत्पादन करता है। समीक्षाधीन वर्ष में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में, सार्वजनिक साइकिल साझा करना, सभी मेट्रो कॉरिडोर का सौंदर्यीकरण, साइक्लोथॉन 2021, फिट इंडिया फ्रीडम रन, अर्थ आवर उत्सव आदि शामिल है।

कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल

यात्रियों की बढ़ती संख्या और कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए आपकी कंपनी ने थर्मल स्क्रीनिंग, संपर्क रहित टिकटिंग, ट्रेनों और स्टेशनों की नियमित सफाई और सामाजिक दूरी आदि सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। आपकी कंपनी ने सभी स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा कर्मियों द्वारा नियमित निरीक्षण भी शुरू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्री कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कर रहे हैं।

कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और आने वाले वर्षों में लंबे और ऊँचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आभारोक्ति

मैं अपने सम्माननीय यात्रियों, कोच्ची के नागरिकों और केरल के लोगों को उनके विश्वास और प्रोत्साहन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता और अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं भारत सरकार और केरल सरकार के विभिन्न विभागों, सभी पणधारियों, निदेशक मंडल, बैंकों, शेयरधारकों, श्रमिक संघ, प्रिंट, ऑडियो-विजुअल और सोशल मीडिया आदि को केएमआरएल परियोजना के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

मैं इस अवसर पर, इस कठिन समय में सबसे कुशल तरीके से कंपनी का नेतृत्व करने के लिए निवर्तमान प्रबंध निदेशक श्री अलकेश कुमार शर्मा के प्रति हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं केएमआरएल के प्रबंध निदेशक, निदेशकों और अन्य कर्मचारियों के समर्पण की सराहना करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने वैश्विक महामारी की चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए निर्बाध सेवा प्रदान की। हम, केएमआरएल, कोच्ची को रहने, काम करने और यात्रा करने के लिए एक सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर जगह बनाने का प्रयास करेंगे।

सधन्यवाद,

ह0/-

(दुर्गा शंकर मिश्रा)
अध्यक्ष, केएमआरएल
सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
भारत सरकार

बोर्ड की रिपोर्ट 2020-21

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर दसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1.0 राजस्व संचालन की स्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष के 134.95 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष अलुवा से पेट्टा तक के कुल 25.2 कि.मी. की दूरी के मेट्रो ट्रेन संचालन से प्राप्त किराया बॉक्स राजस्व, गैर-किराया बॉक्स राजस्व और बाहरी परियोजनाओं सहित प्राप्त कुल राजस्व 167.46 करोड़ रुपए हैं।

वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय रु. 112.35 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 113.85 करोड़) रुपए , मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय, वित्त लागत, अन्य व्यापक आय और कर व्यय से पहले लाभ पिछले वर्ष के 21.10 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 55.11 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंधित बाढ़ से 71.34 करोड़ रुपए की बीमा दावा वसूली पर विचार नहीं किया गया है, कुल नुकसान 16.23 करोड़ था।

वर्ष के दौरान मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय, वित्त लागत, अन्य व्यापक आय और कर व्यय के समायोजन के बाद का हानि 334.41 करोड़ (पिछले वर्ष 310.82 करोड़ रुपए) है।

वित्तीय परिणाम का एक स्नैपशॉट नीचे दिया गया है:

रुपए : लाख में

विवरण	2020-21	2019-20
सकल आय	16746.07	13495.05
परिचालन व्यय	11235.83	11385.87
ब्याज और मूल्यह्रास से पहले लाभ/(हानि)	5510.24	2109.18
वित्त प्रभार	(18787.03)	(16218.84)
सकल लाभ/(हानि)	(13276.79)	(14109.66)
अन्य व्यापक आय	(23.03)	(21.64)
मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(20140.83)	(16950.68)
कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	(33440.65)	(31081.98)
कर का प्रावधान	-	-
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	(33440.65)	(31081.98)

1.1. शेयर पूंजी और अधीनस्थ ऋण

दिनांक 31 मार्च 2021 को केएमआरएल की कुल भुगतान किया गया शेयर पूंजी 1507.46 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1507.46 करोड़ रुपए) है । आपकी कंपनी को भारत सरकार तथा केरल सरकार से स्वीकृत इक्विटी-निधि शेयर का 100% प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार और केरल सरकार ने केंद्रीय करों के उप ऋण का अपना पूरा हिस्सा प्रत्येक 248.50 करोड़ रु.जारी कर दिया है। केरल सरकार ने राज्य करों की प्रतिपूर्ति के लिए 237.33 करोड़ रुपए और भूमि अधिग्रहण के लिए 672.25 करोड़ रुपए, जिसमें से 366 करोड़ रुपए केरल सरकार की ओर से केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से बैक टू बैक ऋण के रूप में हैं।

वर्ष के दौरान, केरल सरकार ने पेट्टा से त्रिपुनित्तुरा तक के चरण Iए और Iबी परियोजना की कुल संशोधित परियोजना लागत के रूप में 1159.26 करोड़ रुपए की अनुमोदन प्रदान किया।

आपकी कंपनी ने विभिन्न व्यय मदों के तहत अधीनस्थ ऋण के रूप में 736.62 करोड़ रुपए की राशि लेखांकित की है।

1.2 लाभांश

वितरण योग्य लाभ की अनुपलब्धता के कारण, आपके निदेशक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफ़ारिश नहीं करते हैं।

1.3 आरक्षित निधि में स्थानांतरण

आपके निदेशक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए किसी भी राशि को आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

1.4 सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण

31 मार्च, 2021 तक कुल बकाया ऋण 1218.86 करोड़ रुपए भारत सरकार से (पास थ्रू सहायता- चरण I - 1194.39 करोड़ रुपए और एनएमटी -24.47 करोड़ रुपए) और केनरा बैंक से 1381.57 करोड़ रुपए हैं।

चरण I विस्तार के लिए दिनांक 31 मार्च, 2021 तक केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहायता संघ से कुल बकाया ऋण 212.41 करोड़ रुपए है।

उपरोक्त के अलावा, परियोजना कार्य, प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण, चरण I परियोजना के लिए लागत वृद्धि, ब्याज सेवा और ऋण चुकौती के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत के रूप में केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और हड्को से सावधि ऋण लिया गया है। दिनांक 31.03.2021 को केरल राज्य सहकारी बैंक और हड्को से बकाया राशि क्रमशः 282 करोड़ और 544.34 करोड़ रुपए हैं।

केनरा बैंक से कोविड सहायता के हिस्से के रूप में कार्यशील पूंजी मांग ऋण सहित 29.24 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण दिनांक 31.03.2021 तक बकाया है।

आपकी कंपनी को 909.67 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा के लिए इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईएनडीए-/स्थिर का दर्जा दिया गया है।

2.0 परियोजना का सिंहावलोकन

2.1 परियोजना विवरण - चरण I

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण केरल के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 07.09.2020 को 1.33 किलोमीटर दूरी और 1 स्टेशन सहित तैक्कूडम-पेट्टा, रीच- 2 के उद्घाटन के साथ पूरा किया गया। जुलाई 2012 को चरण- I का अनुमोदन किया गया था और परियोजना की संशोधित अनुमोदित लागत 6218.14 करोड़ रुपए है।

उदघाटन का एक आशुचित्र नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	रीच	से	तक	उद्घाटन/जनता के लिए खोलने की तिथि
1	1	आलुवा	पालारिवट्टम	17 जून 2017
2	2ए	पालारिवट्टम	महाराजास कॉलेज	3 अक्तूबर 2017
3	2बी	महाराजास कॉलेज	तैक्कूडम	3 सितंबर 2019
4	2सी	तैक्कूडम	पेट्टा	7 सितंबर, 2020

2.1.1 चरण 1ए और चरण 1बी

क) चरण 1ए (पेट्टा से एसएन जंक्शन)

चरण Iए की अनुमोदित लागत 710.93 करोड़ रुपए है। इस खंड में एसएन जंक्शन और वडक्केकोट्टा जैसे 2 स्टेशनों सहित 1.80 कि.मी. दूरी के वायडक्ट शामिल है। इस खंड मार्च 2022 तक चालू होने की संभावना है।

काम की स्थिति

प्रगति के प्रमुख तत्व नीचे दिए गए हैं:

i) प्रारंभिक कार्य

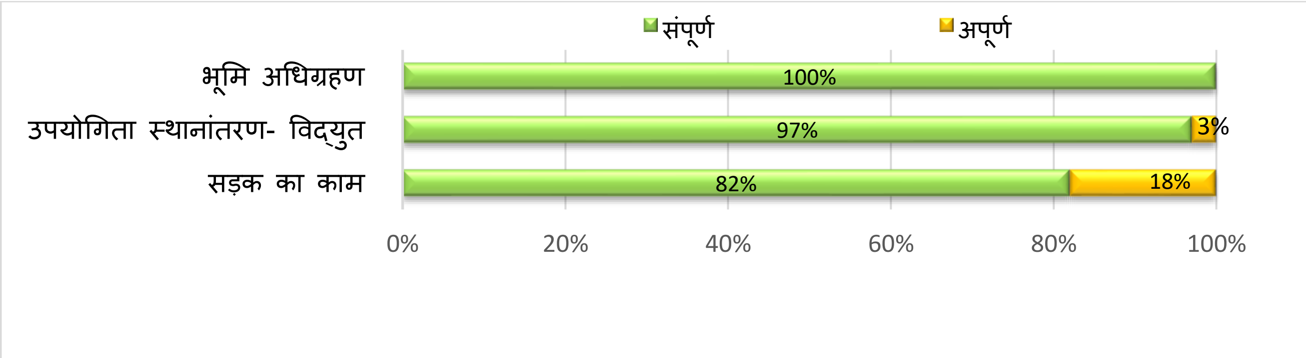

ii) सिविल और वास्तुकला कार्य

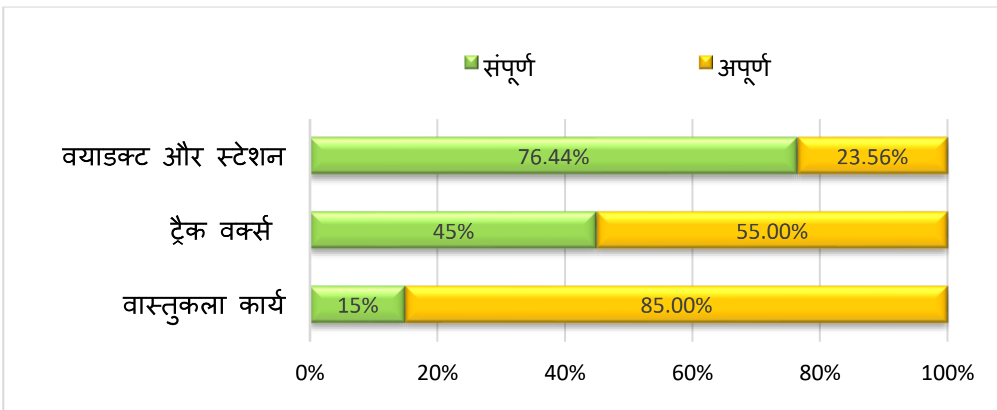

iii) प्रणाली कार्य

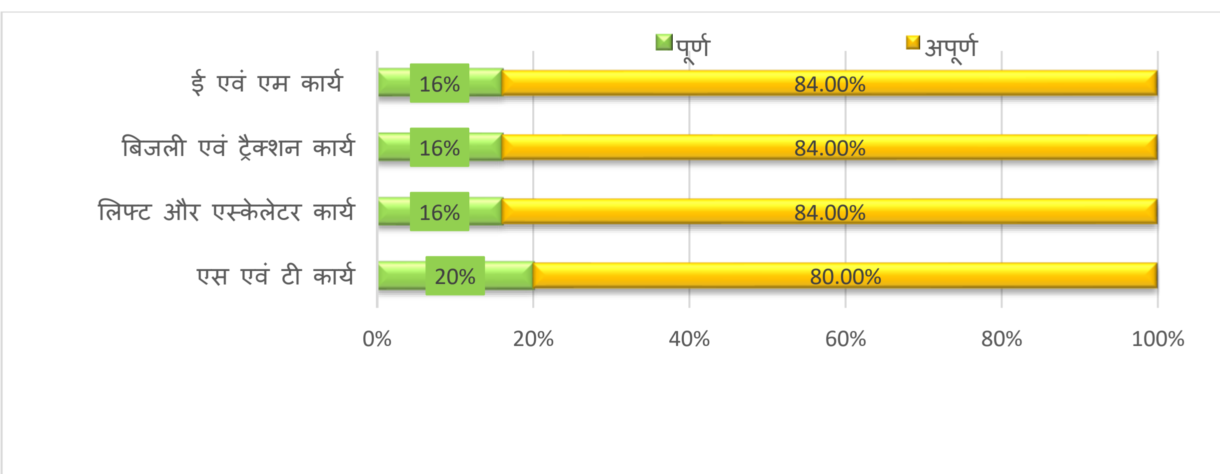

प्रथम चरण (1ए) के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। दिनांक 30/06/2021 को चरण 1ए की समग्र भौतिक प्रगति 57.85% है।

ख) चरण- Iबी (एसएन जंक्शन से त्रिप्पुनीत्तुरा टर्मिनल तक)

चरण Iबी एक स्टेशन सहित 1.20 कि.मी. लंबाई पर एसएन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुनित्तुरा टर्मिनल स्टेशन तक है। संशोधित परियोजना लागत 448.33 करोड़ रुपए है। भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है और सितंबर 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। उक्त स्ट्रेच दिसंबर 2022 तक चालू होने की उम्मीद है।

2.2. काम की स्थिति

प्रगति के प्रमुख तत्व नीचे दिए गए हैं:

प्रारंभिक कार्य

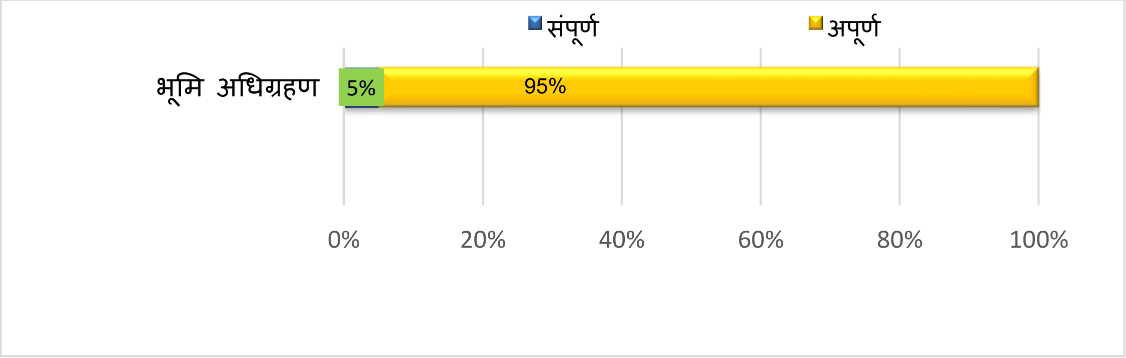

I. सिविल और वास्तुकला कार्य

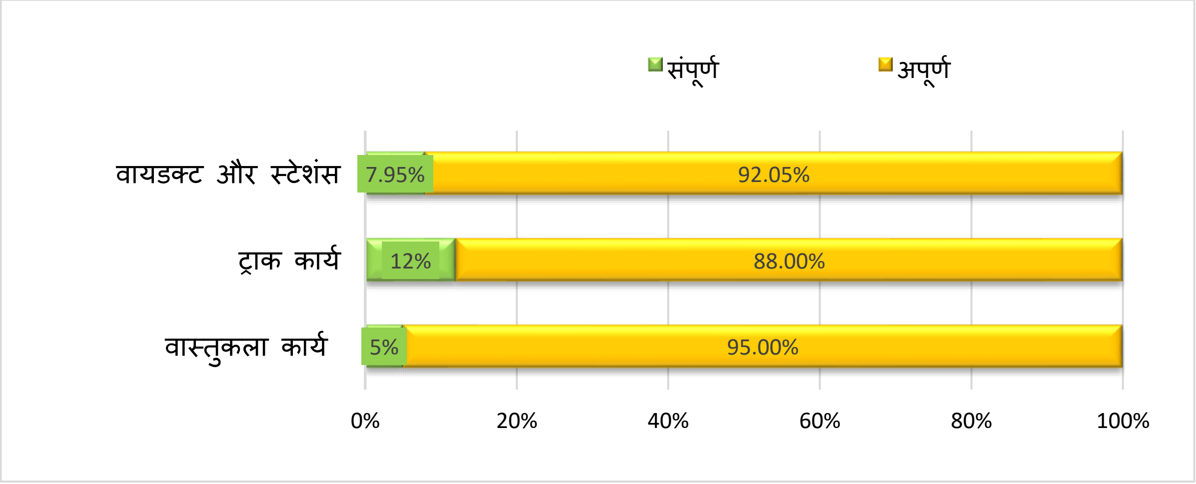

II. प्रणाली कार्य

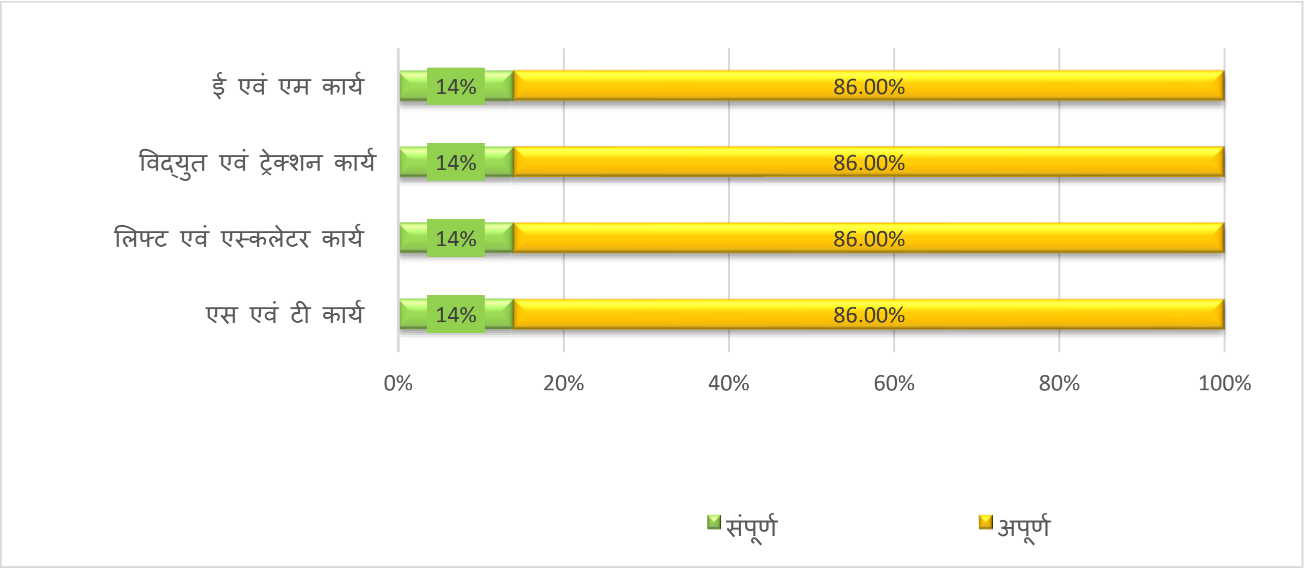

दिनांक 30/06/2021 को चरण 1बी की समग्र भौतिक प्रगति 9.40% है।

2.3. चरण II की परियोजना की स्थिति

निदेशक मंडल ने दिनांक16 सितंबर, 2014 को आयोजित 18वीं बैठक में, 11.2 कि. मी. लंबाई पर जेएलएन स्टेडियम से कक्कनाड होते हुए इन्फोपार्क तक के मेट्रो कॉरिडोर के कार्यों के व्यय के रूप में कर एवं शुल्क सहित 2017.46 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूरी प्रदान की। इस आदेश के अनुसार, केएमआरएल ने सरकार को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जी.ओ. (एम/एस) सं.32/2015/ट्रांस दिनांकित 25 मई, 2015 के तहत प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त हुई। इसके अलावा, यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए दिनांक 29.05.2015 को भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

इसके बाद, आवास और शहरी विकास मंत्रालय दिनांकित 1 सितंबर 2017 के अपने पत्र के तहत नई मेट्रो रेल नीति 2017 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव को संशोधित करने और पुनः प्रस्तुत करने की सलाह दी। तदनुसार, अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी (यूएमटीसी) को वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) तैयार करने के साथ-साथ जेएलएन स्टेडियम से कक्कनाड होते हुए इन्फोपार्क तक के दूसरे चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को संशोधित करने के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। सलाहकार ने परियोजना के पूरा होने तक के लिए 2310 करोड़ रुपए (शुल्क और कर सहित) की संशोधित व्यय को निर्धारित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की इसे केएमआरएल बोर्ड द्वारा दिनांक 6 जून 2018 को आयोजित अपनी 30 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। संशोधित प्रस्ताव दिनांक 14 फरवरी 2018 को केरल सरकार को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 27 जुलाई 2018 के जीओ (एमएस) संख्या 52/2018/ट्रांस के तहत केरल सरकार ने प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) और संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सहित प्रस्ताव दिनांक 27 जुलाई 2018 के पत्र संख्या सी2/75/207/ट्रांस के तहत अनुमोदन के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

इसके अलावा, आवास और शहरी विकास मंत्रालय की सलाह पर, अन्य महानगरों की लागत और मेट्रो रेल परियोजनाओं की बेंचमार्क लागत के आधार पर परियोजना की लागत को संशोधित किया गया। परियोजना पूरा करने के लिए इसकी संशोधित लागत रु. 1957.05 करोड़ (कर और शुल्क सहित) रुपए है। संशोधित डीपीआर के पूरक दस्तावेज के साथ संशोधित लागत केरल सरकार के पत्र संख्या सी2/75/2017/ट्रांस दिनांकित 4 फरवरी 2019 के तहत भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया। एएआर के साथ संशोधित डीपीआर और व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अंतर-मंत्रालयी समिति के विभागों और मंत्रालयों के बीच परिचालित किया गया और मांगे गए स्पष्टीकरणों का संतोषजनक उत्तर दिया गया।

प्रस्तुत सबमिशन के आधार पर, वित्त विभाग, भारत सरकार ने जेएलएन स्टेडियम से कक्कानाड होते हुए इन्फोपार्क तक के कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए 1957.05 करोड़ रुपए का 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है; इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के दिनांक 26 फरवरी 2019 की पत्र संख्या एफ़.सं.के-14011/08/2015-एमआरटीएस-IV के तहत सूचित भी किया गया।

दिनांक 13.03.2020 को आयोजित सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की बैठक में उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया, और कैबिनेट की मंजूरी की प्रतीक्षा में है। बाद में, माननीय वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित चरण-II योजना का उल्लेख किया। परियोजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन की प्रतीक्षा में है।

2.3.1 चरण II के विभिन्न संबद्ध कार्यों की स्थिति :

1. अनुबंध आधार पर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) में परियोजना के निष्पादन के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति : भारत सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन के अधीन पीएमसी की नियुक्ति के लिए निविदाजारी की जाती है।

2. (क) प्रारंभिक कार्य भाग- I: केरल सरकार ने चरण II प्रारंभिक कार्यों के लिए 189 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। सड़क चौड़ीकरण कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है और जेएलएन स्टेडियम स्टेशन से कुन्नुमपुरम तक के 4.5 कि.मी. सड़क चौड़ा करने का ठेका दिया गया है और यह कार्य जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रवेश संरचना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है।

   (ख) प्रारंभिक कार्य भाग II: केरल सरकार ने जी.ओ. (एमएस) 73/2018/ट्रांस के तहत सीपोर्ट-एयरपोर्ट रोड की चौडीकरण के लिए चरण II के प्रारंभिक कार्य पैकेज के रूप में 74.07 करोड़ रुपए की प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की गई।

   इसी प्रकार केबीसी1 को कक्कनड सिग्नल जंक्शन से इन्फोपार्क एक्सप्रेसवे प्रवेश द्वार तक मेट्रो कॉरिडोर के माध्यम से बंदरगाह-एयरपोर्ट रोड पर 2.5 किमी की दूरी तक सड़क को चौड़ा करने का ठेका दिया गया है, जिसका कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है।

3.0 ब्लिस सिटी

वर्ष 2013 में, केरल सरकार ने सरकारी आदेश के तहत कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड को धनार्जन और गैर-फेयर-बॉक्स राजस्व के लिए 17.43 एकड़ भूमि आबंटित की है। कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड ने इस भूमि को सभी आयु समूहों के लिए एक मनोरंजन हब में बदलने का निर्णय लिया है, जिससे कोच्ची मेट्रो के परिचालन व्यय के लिए कुछ अच्छा राजस्व प्राप्त हो सकता है। केएमआरएल ने उसी क्षेत्र में अतिरिक्त 14 एकड़ (लगभग) भूमि के लिए अनुरोध किया है। व्यवहार्यता अध्ययन के लिए नियुक्त सलाहकार ने 31.43 एकड़ (लगभग) की विस्तृत अंतिम परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। शेष 14 एकड़ भूमि प्राप्त होने पर परियोजना को शुरू किया जाएगा और उक्त अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, रियायतग्राही या विकासकर्ता को अंतिम रूप देने के लिए निविदा जारी की जाएगी।

4.0 एकीकृत जल परिवहन परियोजना (जल मेट्रो परियोजना)

आपकी कंपनी को केरल सरकार (जीओके) की ओर से कोच्ची जल मेट्रो परियोजना नामक एक शहरी जल पारगमन परियोजना को निष्पादित करने का सौंपा गया है। कानूनी तौर पर केरल सरकार परियोजना का स्वामी है और आपकी कंपनी परियोजना निष्पादन एजेंसी है जो इसके निष्पादन और संचालन के लिए उत्तरदाई है। कोच्ची जल मेट्रो परियोजना की परिकल्पना, 38 जेटीयों को जोड़ने तथा जेटियों, बस टर्मिनलों और मेट्रो नेटवर्क के बीच अंतर-मोडल कनेक्टिविटी प्रदान के लिए की गई है। इस परियोजना से शहर में यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कोच्ची तक के पहुँच को आसान बनाने की उम्मीद है। इस परियोजना में कुल 76 कि.मी. लंबाई सहित 15 परिभाषित मार्ग है। इस परियोजना की कुल लागत 747 करोड़ रुपए (भूमि लागत को छोड़कर) हैं। जर्मन वित्त पोषण एजेंसी केएफ़डबल्यू ने इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय की ओर से भारत सरकार के साथ 85 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री पिणराई विजयन की उपस्थिति में दिनांक 18 जून 2016 को नई दिल्ली में केरल सरकार, केएफडब्ल्यू और आपकी कंपनी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।

दिनांक 2 जून 2017 को एईकोम, यूएमटीसी और सेबेक मरीन से मिलकर बना एक कंसोर्टियम को सामान्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। आपकी कंपनी ने परियोजना विवरण को अंतिम रूप देने के लिए सामान्य सलाहकार के लिए परियोजना क्षेत्र के सभी सर्वेक्षण पूरे कर लिए हैं। आपकी कंपनी को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केरल तटीय प्रबंधन प्राधिकरण और केरल राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण जैसी विभिन्न वैधानिक एजेंसियों से जल मेट्रो परियोजना के लिए सभी वैधानिक अनुमति प्राप्त हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने दिनांक 1अक्टूबर 2019 को जल मेट्रो परियोजना के लिए पर्यावरण अनुमति की सिफारिश की है।

सामान्य परामर्श अनुबंध के अंतिम मूल्यांकन और शेष कार्यों के अनुमान के आधार पर सामान्य सलाहकार ने परियोजना लागत को 1064.83 करोड़ रुपए में संशोधित किया। केरल सरकार ने संशोधित परियोजना लागत और केएफडब्ल्यू से 28.60 मिलियन यूरो कीअतिरिक्त वित्त पोषण के लिए भी मंजूरी प्रदान की है।

5.0 एकीकृत शहरी पुनर्वास और जल परिवहन प्रणाली (आईयूआरडब्ल्यूटीएस) परियोजना

आपकी कंपनी को परियोजना कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक विभाग से दिनांक 12.02.2021 को 1528 करोड़ रुपए का संशोधित सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हुआ। आपकी कंपनी ने परियोजना की विकास गतिविधियों के लिए भूमि अधिग्रहण के हिस्से के रूप में, 41.27 हेक्टेयर निजी भूमि और 2.79 हेक्टेयर सरकारी भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राजस्व विभाग ने दिनांक 18.02.2021 को 16.32 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण की अनुमति पहले से ही दी जा चुकी है और शेष के लिए अनुमति शीघ्र ही दी जाएगी।

परियोजना के लिए ईआईए क्लीयरेंस प्राप्त करने के हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने केएसपीसीबी को ईआईए रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया और एसडबल्यूएके क्लीयरेंस और एसबीडबल्यूएल (वन) क्लीयरेंस प्राप्त करने के बाद दिनांक 16.03.2021 को जन सुनवाई आयोजित की। अंतिम ईआईए रिपोर्ट एक बार केसीज़ेडएमए क्लीयरेंस और एनबीडबल्यूएल (वन) क्लीयरेंस प्राप्त हो जाने के बाद तुरंत ही एमओईएफ और सीसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

परियोजना के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन घटक के हिस्से के रूप में, किफ़्बी से आपकी कंपनी को 106 करोड़ रुपए की वित्तीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसमें भूमि अधिग्रहण और निर्माण लागत भी शामिल है।

इसके अलावा, परियोजना की आवश्यकता के अनुसार, आपकी कंपनी ने बाथिमेट्री सर्वेक्षण, एसआईए अध्ययन, जल गुणवत्ता अध्ययन, परिवेशी वायु गुणवत्ता अध्ययन, गाद अध्ययन, जल-भूवैज्ञानिक अध्ययन भू-तकनीकी जाँच आदि पूरा कर लिया है और बाढ़ मैदानी अध्ययन तथा तूफान जल मानचित्रण कार्य प्रगति पर हैं।

आपकी कंपनी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से सशर्त छूट प्राप्त की है और भारतीय नौसेना, हवाईअड्डा प्राधिकरण और रक्षा मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद रामेश्वरम-कलवती नहर में लिडार/ ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर किया है।

6.0. रोलिंग स्टॉक और प्रणाली अनुबंध

क. रोलिंग स्टॉक

परियोजना के पहले चरण के मौजूदा आदेश के तहत 25 ट्रेनों की रोलिंग स्टॉक डिलीवरी पूरी कर ली गई है। सभी ट्रेनों को केएमआरएल डिपो तक पहुंचाया गया; ट्रेनों का निरीक्षण और कमीशनिंग पूरा हो गया है और उन्हें राजस्व सेवा में शामिल कर लिया गया है। फेज-1 के तहत खरीदी गई ट्रेनें फेज 1ए और 1बी कैटेगरी में चलेंगी।

ख. सिग्नलिंग और दूरसंचार

संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण (सीबीटीसी) संपूर्ण चरण खंड में लागू किया गया। सभी 25 ट्रेनों में ऑन-बोर्ड एटीटीओ सिस्टम स्थापित किया गया और राजस्व संचालन के लिए उपलब्ध कराया गया। सभी 25 ट्रेनों में ऑन-बोर्ड एटीटीओ सिस्टम स्थापित किया गया और राजस्व संचालन के लिए उपलब्ध कराया गया। त्रिपुनित्तुरा टर्मिनल तक के चरण 1ए और 1बी के सिग्नलिंग और

दूरसंचार कार्य प्रगति पर है। मुट्टम डिपो में पूर्ण ऑटोमेशन ट्रेन सुरक्षा पर कार्य प्रगति पर है और इसे शीघ्र चालू करने का निर्णय लिया गया है। यात्रियों की मेट्रो दूरसंचार ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सीसीटीवी, पीआईडीएस, पीएएस, एफओटीएस और टेट्रा जैसे सभी दूरसंचार उपकरणों का उपयोग किया गया है।

ग. बिजली आपूर्ति और कर्षण और विद्युत और यांत्रिक

परियोजना चरण I का विद्युत आपूर्ति एवं कर्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। एक ट्रैक्शन सबस्टेशन/औक्सिलियरी सबस्टेशन वाले पेट्टा (रीच 2सी) का राजस्व संचालन दिनांक 07 सितंबर 2020 को यात्रियों के लिए खोल दिया गया।

मुट्टम डिपो में संभावित बाढ़ को कम करने के एक स्थाई उपायों के हिस्से के रूप में, मुट्टम डिपो के पहली मंज़िल पर एक संयुक्त औक्सिलियरी सबस्टेशन/ट्रैक्शन सबस्टेशन का निर्माण किया और सितंबर 2020 महीने में कमीशन किया गया। इसी तरह, मुट्टम और तैक्कूडम के रिसीविंग सबस्टेशनों के औक्सिलियरी उपकरण इमारत की मौजूदा दूसरी मंजिल पर स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि भविष्य में बाढ़ से होने वाले नुक्सान को रोका जा सके।

घ. सौर संयंत्र

केएमआरएल समावेशी तरीके से सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा तटस्थता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। केएमआरएल पर्यावरण क्षरण को कम करने, संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी में योगदान करने वाले उपायों का समर्थन करने के लिए सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

पारंपरिक ऊर्जा के प्रति तटस्थता हासिल करने के लिए, केएमआरएल ने पहले ही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के दो चरणों को चालू कर दिया है, जैसे कि 2670 KWp रूफ टॉप सौर ऊर्जा परियोजना और 2719 KWp ग्राउंड माउंटेड प्रकार, दोनों को मिलाकर कुल बिजली क्षमता 5389 KWp हो गई है।

परियोजनाओं के उपरोक्त दोनों चरणों को रेस्को मॉडल के तहत निष्पादित किया जाता है, जिसमें बिजली उत्पादक पूंजी निवेश करते हैं, जबकि बिजली खरीदार कमीशन के बाद 25 वर्षों के लिए एक निश्चित टैरिफ का भुगतान करता है। 5389KWp की बिजली संयंत्र क्षमता की उपलब्धि केएमआरएल द्वारा डिपो और कर्षण शक्ति सहित 22 स्टेशनों के लिए खपत की गई कुल ऊर्जा का 30% से अधिक है।

प्रदान किए गए नए अनुबंध का लक्षित क्षेत्र है, रीच 2बी और रीच 2सी पर नए कमीशन किए गए मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास भवन की छतों के साथ-साथ सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए संरचना के साथ-साथ मुट्टम डिपो ट्रैक लोकेशन, डिपो एंट्री रैंप, ऑपन स्टेबलिंग लाइन आदि शामिल है। सौर ऊर्जा परियोजना के तीसरे चरण के तहत 1.91 मेगावाट बिजली सफलतापूर्वक चालू कर दी गई है। शेष 3.535 मेगावाट की क्षमता वाली चरण III परियोजना सितंबर 2021 के महीने में चालू होने के लिए निर्धारित है, जिसका निष्पादन प्रगति पर है। यह अनुमानित किया जाता है कि उपरोक्त संयंत्र चालू होने से कोच्ची मेट्रो की ऊर्जा तटस्थता में लगभग 65% के स्तर तक के सुधार होंगे।

ङ. स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली

अलुवा से पेट्टा तक के 22 स्टेशनों के लिए चालू एएफसी प्रणाली इस खंड के खुलने के बाद से संतोषजनक ढंग से काम कर रही है। नियमित यात्रियों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड (कागज़ आधारित क्यूआर और मोबाइल ऐप आधारित क्यूआर) के अलावा, ट्रांजिट संचालन के लिए गैर-संपर्क स्मार्ट कार्ड, जैसे कोच्ची1 कार्ड पर यात्रा पास, और आरएफआईडी पर दैनिक और सप्ताहांत पास पेपर टिकट आदि शुरू हो गए हैं। कोच्ची 1 कार्ड के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और बढ़ाने के लिए इसे मेट्रो क्षेत्र के बाहर के स्थानों से जारी करने हेतु कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, थोक वितरण के लिए, कोच्ची 1 ने एक गैर-व्यक्तिगत कार्ड पेश किया, जो काउंटर पर डिलीवरी के समय को कम करेगा। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच इसे बढ़ावा देने के लिए कोच्ची 1 माइनर कार्ड (10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए) को भी पेश किया गया। इन सुविधाओं के साथ, कोच्ची 1 कार्ड अब शैक्षणिक संस्थानों, कॉर्पोरेट कार्यालयों और मॉल जैसे सार्वजनिक अभिसरण बिंदुओं से जारी किए जा सकते हैं।

के एम आर एल एएफसीएस में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, मौजूदा नकद, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, कोच्ची 1 मोबाइल एप्लिकेशन भुगतान के साथ यूपीआई/भीम आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। यात्री अब केएमआरएल काउंटर पर पीओएस मशीन पर उत्पन्न डायनामिक क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और यूपीआई-आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

यात्रा प्लानर, इवेंट, प्रचार और यूपीआई भुगतान जैसे विभिन्न विकल्पों को शामिल करके कोच्ची 1 मोबाइल ऐप को नया रूप दिया गया है।

स्वचालित गेटों के संचालन के लिए नेटवर्क तक बेहतर पहुँच के लिए अलुवा से पेट्टा तक के सभी 306 सत्यापनकर्ताओं पर क्यूआर सत्यापन के लिए जीपीआरएस कनेक्टिविटी स्थापित की गई है।

चरण 1ए और 1बी (वडक्केकोट्टा, एसएन जंक्शन और त्रिपुनित्तुरा टर्मिनल) और जल मेट्रो परियोजना के लिए एएफसी प्रणाली का कार्यान्वयन मौजूदा कंसोर्टियम अनुबंध के तहत मेसर्स एक्सिस बैंक द्वारा किया जाएगा। 3 जेटी के गेट पहले ही तुर्की से लाए जा चुके हैं और वैटिला बोट जेट्टी में लगाए गए हैं। एएफसी सॉफ्टवेयर में अपेक्षित परिवर्तन पहले ही किए जा चुके हैं और उनका परीक्षण किया जा चुका है।

च. आईटी पहल

- **एनआईसी प्लेटफॉर्म पर ईमेल सेवाओं का स्थानांतरण :** सभी आधिकारिक ईमेल गूगल (एक निजी सेवा प्रदाता) से एनआईसी (सरकारी स्वामित्व वाले) प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट किए गए हैं। यह न केवल देश के भीतर के सर्वर का आश्वासन देता है और इस प्रकार डेटा सुरक्षा और उपलब्धता सुनिश्चित करता है साथ ही पहले की व्यवस्था की तुलना में लागत बचत भी प्रदान करता है।
- **साइबर सुरक्षा ऑडिट संपूर्ण:** कॉर्पोरेट वेबसाइट और सभी वेब पोर्टल का सिडाक- (एक सरकारी एजेंसी) द्वारा एक बहु-स्तरीय सुरक्षा लेखापरीक्षा किया गया है। सिडाक से प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं।

- **कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण:** आईटी टीम ने केएमआरएल में कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए एक खुला स्रोत कार्यक्रम तैयार किया है।

7.0 संचालन और रखरखाव

कोच्ची मेट्रो को दिनांक 19 जून, 2017 को जनता के लिए खोल दिया गया। कोच्ची मेट्रो रेल के संचालन और रखरखाव गतिविधियों का प्रबंधन के एम आर एल के ओ एवं एम विभाग करते हैं। आरओडी (राजस्व दिवस) से, मेट्रो संचालन को चिरस्थाई रूप से बनाए रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई और कार्यान्वित की गई है। यात्रियों की भलाई के लिए, केएमआरएल ने ट्रिप कार्ड, पार्किंग सुविधाओं और पर्यावरण के अनुकूल ई-ऑटो और ई-बसों के साथ पहली और अंतिम मील कनेक्टिविटी जैसे ऑफ़र और प्रोत्साहन पेश किए।

सरकार के निर्णय के अनुसार और अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए, हमने कोविड -19 महामारी के कारण अपनी राजस्व सेवाओं को लगभग 5 महीने के लिए बंद कर दिया था।

हमने सख्त सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, 7 सितंबर 2020 को अपनी सेवाएं फिर से शुरू कीं। हमने बिजली की खपत और घरेलू उपकरणों की लागत को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। हमने कार्यबल के प्रभावी उपयोग के लिए भी योजना बनाई है और प्रभावी निर्णयों के द्वारा कार्य बल की लागत को काफी कम करने में सफल रहे हैं। चिरस्थाईता प्राप्त करने के लिए ओ एंड एम विभाग में विभिन्न गतिविधियों को लागू किया जा रहा है।

कोच्ची मेट्रो ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है जब दिनांक 13 मार्च, 2021 को जब कोच्ची1 कार्डधारकों की संख्या बढ़कर एक लाख हो गई थी।

संचालन

कोविड-19 महामारी ने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के संचालन को प्रभावित किया है। केएमआरएल ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालनार्थ वित्तीय वर्ष 2020-21 में 23 मार्च 2020 से 7 सितंबर, 2020 को सेवाओं की बहाली तक अपना संचालन निलंबित कर दिया। इसके बाद 8 मई, 2021 को संचालन बंद कर दिया गया, जिसे 1 जुलाई, 2021 को फिर से शुरू किया गया।

7.1.1 कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल

यात्रियों की बढ़ती संख्या और कोविड-19 महामारी की स्थिति को मद्देनज़र, कोच्ची मेट्रो ने थर्मल स्क्रीनिंग, गैर-संपर्क टिकटिंग, ट्रेनों और स्टेशनों की नियमित सफाई और सामाजिक दूरी आदि सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए हैं।

केएमआरएल ने सभी स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों द्वारा नियमित निरीक्षण भी शुरू किया है।

यह भी देखा गया कि सुबह और शाम के व्यस्त घंटों के दौरान यात्रियों की संख्या में तेज़ वृद्धि होती है और केएमआरएल यात्रियों की संख्या पर बारीकी से नजर रख रहा है और भीड़भाड़ को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त ट्रेनों का संचालन कर रहा है।

7.1.2 सुरक्षा प्रबंधन: सभी गतिविधियों में सुरक्षा हमारा आदर्श वाक्य है। मॉक ड्रिल और रात्रि अभ्यास निर्धारित समय के अनुसार प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। यह तकनीकी विफलताओं के दौरान कर्मचारियों की दक्षता में सुधार करने और सुरक्षा से संबंधित किसी भी जोखिम की पहचान करने में मदद करता है।

इसके अलावा, संचालन कर्मचारियों को सुरक्षा प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान 16 मॉक ड्रिल और 1144 विभिन्न रात्रि अभ्यास आयोजित किए गए।

कर्मचारियों के बीच सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में कर्मचारियों को शामिल करने के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा, अग्नि, प्राथमिक चिकित्सा, निकासी अभ्यास, प्रख्यात पेशेवरों द्वारा व्याख्यान आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, सुरक्षा पोस्टर और नारा लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई और विजेताओं को सम्मानित किया गया।

7.2 यात्री

परिवहन प्रणाली की सफलता का निर्धारण करने में यात्री सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक हैं। इसकी सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि शुल्क संरचना, सस्ती दरें, पहुंच, क्षमता और कनेक्टिविटी।

कोविड-19 महामारी ने यात्रियों को प्रभावित किया। कोविड-19 की महामारी की स्थिति के कारण केएमआरएल ने मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक अपनी सेवाएँ निलंबित कर दिया गया।

वर्ष के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3820268 थी, जिसमें से 12.90 करोड़ रुपए का फेयर फॉक्स राजस्व प्राप्त हुआ। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 41762 यात्राएं की गईं, 99.92% की औसत सटीकता के साथ 1023707 कि.मी. की यात्रा की।

पहले लॉकडाउन के बाद राजस्व सेवा बहाल होने के बाद पीक आवर्स के दौरान अधिकतम 13 ट्रेनों का परिचालन 7 मिनट के अंतराल पर किया गया।

7.3 सार्वजनिक शिकायत, प्रतिक्रिया और सुझाव प्रबंधन

शिकायतें केएमआरएल प्रबंधन के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होने का मार्ग प्रशस्त करती हैं, साथ ही संगठनात्मक प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए मूल्यवान सुझाव प्रदान करती हैं। शिकायत किसी संगठन, उसकी सेवाओं या कर्मचारियों के प्रति असंतोष का प्रकटीकरण है।

गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने का आधार शिकायतों का प्रभावी ढंग से निपटान है। पेशेवर तरीके से शिकायतों को निपटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -

1. स्टेशनों पर रखी गई शिकायत पुस्तिका या कॉल सेंटर, ईमेल आदि के माध्यम से लोगों को शिकायत करने में सक्षम बनाने की व्यवस्था।
2. शिकायतों का तुरंत जवाब दिया जाता है और निष्पक्ष, यथोचित और गोपनीय तरीके से निपटा जाता है।
3. शिकायतों को स्पष्ट उत्तरदायित्व के साथ संभाला जाता है, और शिकायतों का उपयोग संगठनात्मक सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।

यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतों को समयबद्ध तरीके से स्वीकार किया जाता है और तुरंत हल किया जाता है और तत्काल के रूप से, शिकायतकर्ता को इस पूरी प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाता है। हम हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी शिकायतों का न्यायसंगत, यथोचित और निष्पक्ष रूप से निपटारा किया जाए।

7.4 पाट्रोनेज संवर्द्धन और अंतिम मील/प्रथम मील कनेक्टिविटी

चालू वर्ष के दौरान यात्रियों के कल्याण को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:

क) कोच्ची वन ऐप: कोच्ची1 ऐप अब सभी यात्रियों के लिए गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है जिससे यात्रियों को टिकट खरीदने और अपने कोच्ची1 कार्ड को ऑनलाइन रिचार्ज करने की सुविधा मिलेगी। ऐप उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन टिकट बुक करने लाइव मेट्रो समय सारिणी और शुल्क आदि देखने की सुविधा देती है और इसके साथ जर्नी प्लानर फीचर आता है जो आपके वर्तमान स्थान के आधार पर यात्रा के सर्वोत्तम मार्गों और साधनों का सुझाव देता है।

ख) सार्वजनिक बाइक शेयरिंग सुविधा : केएमआरएल ने कोचीन स्मार्ट मिशन लिमिटेड के साथ मिलकर कोच्ची शहर में एक सार्वजनिक बाइक शेयरिंग योजना शुरू की। कंपनी ने मेट्रो स्टेशनों सहित 40 हब में 400 साइकिलें तैनात की हैं और चालू वर्ष में 600 साइकिल और 60 हब शुरू करने की योजना बनाई है।आपकी कंपनी ने यात्रा करते समय बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के फोल्डेबल साइकिल को मेट्रो के डिब्बों के अंदर लाने में सक्षम बनाया है।

ग) **पेट्टा स्टेशन पर "मेट्रो ट्रस्ट" चिकित्सा सहायता स्टेशन:** मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल के सहयोग से अलुवा और पलारिवट्टम मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई चिकित्सा कक्ष सुविधा के विस्तार में, पेट्टा मेट्रो स्टेशन पर भी यह सुविधा शुरू की गई। यह सुविधा को किसी भी आपातकालीन चिकित्सा स्थिति के मामले में यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

घ) **ई-वाहन**

आपकी कंपनी ने हरित परिवहन का उपयोग करने के लिए जनता को प्रोत्साहित करने हेतु मेट्रो के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो और बसों को फीडर सेवा के रूप में पेश किया है। अलुवा मेट्रो स्टेशन और कोचीन हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए फीडर

बस सेवा 'पवनदूत' शुरू की गई है। केएमआरएल ने कोच्ची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पवन दूत ट्रिप पास लॉन्च किया।ट्रिप पास वाले कर्मचारियों को पवन दूत सेवा का उपयोग करने पर 50% की छूट मिलेगी।

ङ) **ई-रिक्शा:** केएमआरएल ने महाराजा कॉलेज और अलुवा मेट्रो स्टेशनों पर ई-रिक्शा उपलब्ध कराए हैं। कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर के कारण राज्य सरकार के आदेश के तहत मेट्रो रेल संचालन बंद कर दिया गया। दूसरी लहर में कोविड -19 मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण, केरल सरकार ने दिनांक 8 मई 2021 से मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया, और कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन करते हुए दिनांक 1 जुलाई 2021 को ट्रेन सेवाएँ फिर से शुरू हुईं। इस साईलेंट अवधि का पूरा उपयोग करते हुए पटरियों की मरम्मत की गई।

दिनांक 1 जुलाई 2021 को सेवाएँ फिर से शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि होने लगी।

7.5. प्रशिक्षण: सभी नए भर्ती पाने वालों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण उन्हें संगठनात्मक मिशन, दृष्टि, नियमों और विनियमों का ज्ञान, नौकरी कौशल से परिचित कराता है ताकि उन्हें अपने काम के लिए तैयार किया जा सके। प्रशिक्षुओं को एक विशिष्ट अवधि के लिए सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग/ अटैचमेंट दिया जाता है। सभी आवश्यक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, प्रशिक्षुओं को पात्रता प्रक्रियाओं के लिए अनुशंसित किया जाता है। प्रारंभ में, इन सभी प्रशिक्षणों की व्यवस्था भारत के अन्य महानगरों में की गई थी। केएमआरएल अब मेट्रो गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार के प्रशिक्षण को संभालने में सक्षम है। 22 नए कर्मचारियों को खुले बाज़ार से काम पर रखा गया। इन कर्मचारियों का संपूर्ण प्रशिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में ही दिया गया। इससे प्रशिक्षण लागत को काफी कम करने के लिए हमें मदद मिली।

यह प्रशिक्षण केंद्र केएमआरएल के कर्मचारियों के लिए पेशेवर और व्यक्तिगत कौशल विकास पर ज्ञान और क्षमता हासिल करने के लिए अत्याधुनिक परिवर्तनकारी प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है। (कुल 222 बैचों में 2388 प्रशिक्षण दिवस, जिसमें 8 विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं)।

7.5.1 लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रशिक्षण

प्रशिक्षण केंद्र ने लॉकडाउन अवधि के दौरान 44 एससी/टीओ उन्नत ट्रेन ऑपरेटर प्रशिक्षण सहित छोटे बैचों में सभी प्रशिक्षण आयोजित किए हैं।लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 652 कर्मचारियों ने भाग लिया।

7.6 नवाचार और नई प्रथाएँ

7.6.1 स्टेशन पर जारी एएफसी समूह टिकट को केंद्रीय नियंत्रण में अद्यतन करने के लिए पोर्टल का विकास

ग्रुप टिकट पोर्टल PHP और MySQL का उपयोग करके इन-हाउस स्टाफ द्वारा बनाया गया है जो ऑनलाइन और केएमआरएल नेटवर्क के भीतर है। इससे स्टेशनों पर जारी समूह टिकटों को केंद्रीय प्रणाली में अपडेट करने में मदद मिली है यह कम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ त्रुटि की संभावनाओं को रोकता है।

7.6.2 आंतरायिक रखरखाव दृष्टिकोण

आपूर्तिकर्ता/ओईएम द्वारा अनुशंसित आंतरायिक रखरखाव गतिविधियों और अनुसूचियों का विस्तृत अध्ययन किया है और ट्रेन फिटनेस परीक्षण, सेवा जांच और ओवरहालिंग जैसी रखरखाव गतिविधियों को भी युक्तिसंगत बनाया गया। यह कुशल रखरखाव, संसाधनों के बेहतर उपयोग और उच्च लागत प्रभावशीलता के लिए यथोचित रूप से किया जाता है। इसने राजस्व सेवा के लिए ट्रेन उपलब्ध कराकर रखरखाव का समय कम कर दिया।

7.6.3 कागज़ रहित रखरखाव प्रबंधन

रोलिंग स्टॉक परिसंपत्तियों में निवारक और सुधारात्मक रखरखाव और रखरखाव के प्रबंधन सहित किसी भी कार्य के लिए एकीकृत जॉब कार्ड का निर्माण कागज रहित प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। पेपर रहित कार्य प्रबंधन की सुविधा के लिए ईपीआईसी (इंजीनियर पोज़शन इन-चार्ज) एक टैब प्रदान किया जाएगा।

7.7 बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन

7.7.1 कम्पोस्टिंग प्रक्रिया का विवरण

एरोबिक अपघटन: ऐसी अपघटन प्रक्रिया हवा की उपस्थिति में होती है, जब एरोबिक बैक्टीरिया जटिल कार्बनिक पदार्थों पर कार्य करते हैं और इसे पोषक तत्वों में तोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि स्यूडोमोनास प्रजाति और बैसिलस प्रजाति एरोबिक अपघटन के लिए मदद करते हैं।

कम्पोस्टिंग की एरोबिक प्रक्रिया से मीथेन का उत्पादन नहीं होता है क्योंकि मीथेन बनाने वाले सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में सक्रिय नहीं होते हैं। खाद बनाना वर्तमान में संग्रहीत या जमीन में दफन जैव-अपशिष्ट से मीथेन के उत्सर्जन को कम करने का एक तरीका है। कम्पोस्टिंग विधियाँ जो अवायवीय स्थितियों को कम करती हैं और एरोबिक स्थितियों को अधिकतम करती हैं, यह तरीका ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का सबसे प्रभावी है।

ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में, जीवाणु और कवक जैसे रोगाणु ऊर्जा के लिए कार्बन का उपयोग करते हैं और जैविक कचड़े को विघटित करते हैं। इसका लाभ:

ऊष्मा उत्पन्न होती है जो कीटाणुओं और उनके स्रोत को नष्ट कर देती है।

शेष कार्बन स्थिर ह्यूमस है जो कृषि, भूनिर्माण, बागवानी या अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए खरपतवार मुक्त और सुरक्षित है।

स्टेशनों, डिपो और कैंटीनों में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 75 से 100 किलोग्राम जैव अपशिष्ट के उपचार के लिए सभी 22 स्टेशनों और डिपो पर 79 सेट बायोपोट उपलब्ध कराए गए हैं। कम्पोस्ट की मात्रा उपचारित जैविक कचड़े का 1/5 होगी। वैकल्पिक उत्पाद का उपयोग भूनिर्माण के लिए और खाद बनाने की प्रक्रिया में एक स्टार्टर-नमी नियंत्रण के रूप में किया जाता है।

7.7.2 अपशिष्ट से उद्यान परियोजना

हरित पहल के हिस्से के रूप में, केएमआरएल मेट्रो रेल कॉरिडोर के साथ-साथ मीडियन का उपयोग करके उद्यान स्थापित करने की योजना बना रही है। कोच्ची मेट्रो इन मीडियनों को को बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट सिंक के रूप में बदलने के लिए सोच रहे हैं।

यह परियोजना दुनिया में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी, और इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल का 95% अपशिष्ट और पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों से बनाया जाता है। प्रक्रिया में प्रयुक्त प्राकृतिक कॉयर फाइबर और पिथ जैसे कच्चे माल उस क्षेत्र को प्रोत्साहित करेंगे। उत्खनित भूमि का उपयोग उपजाऊ क्षेत्रों से उपजाऊ मिट्टी के उत्खनन को प्रभावी ढंग से रोकता है। यह न केवल कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है, बल्कि यह केरल में शहरी कचरे के उपचार में भी मदद करता है, जो बंद डंप साइटों के कारण गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। यह स्वच्छ भारत मिशन का "बाग खाद" समाधान प्रदर्शित करने का एक बड़ा उदाहरण होगा जो शहरी अपशिष्ट उपचार के साथ-साथ भारत के सभी शहरों में कार्बन पदचिह्न में कमी को सीधे प्रभावित करता है। इस तकनीक का उपयोग करके कलूर से एरणाकुलम साउत तक के कई मीडियनों को सुशोभित किया गया है।

7.7.3 प्लास्टिक कचड़ा प्रबंधन

केएमआरएल ने कुछ स्टेशनों पर प्लास्टिक की बोतल क्रशिंग मशीनें लगाई हैं। केएमआरएल ने इस सुविधा को सभी स्टेशनों तक विस्तारित करने की योजना बनाई है ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। जब व्यक्ति मशीन में दिए गए स्लॉट में एक खाली प्लास्टिक की बोतल डालते हैं, तो मशीन के अंदर कन्वेयर बोतल को श्रेडर तक ले जाया जाता है। एक बार बोतल को कुचलने के बाद, डिस्काउंट कूपन पार्टनर के चयन के लिए मशीन स्क्रीन पर एक पॉप-अप प्रदर्शित किया जाएगा। व्यक्ति किसी भी विकल्प का चयन कर सकता है और डिस्काउंट कूपन मशीन के प्रिंटर से उसी के अनुसार निकलेगा। इन कूपनों का उपयोग संबंधित उत्पाद स्टोर पर किया जा सकता है।

7.8 कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान MACE से PETT तक ट्रैक का सुधारात्मक रखरखाव।

(i) आर2बी सेक्शन में रेल ग्राइंडिंग का कार्य

रेल की सतह की त्रुटि का सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, ट्रेन के सेवा जीवन को कम करता है साथ ही ट्रैक और यात्री के आराम को भी प्रभावित करता है।

रेल की त्रुटि रेल और वाहन के बीच गतिशील संपर्क को बढ़ाते हैं और ट्रैक घटकों और रोलिंग स्टॉक को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

आरजीएम 8 पीस स्टोन के साथ 8 से 10 किमी प्रति घंटे की गति से 0.02 से 0.04 मिमी प्रति पास की गति से सतह के त्रुटियों को दूर करने में सक्षम है।

रेल ग्राइंडिंग से पहले, ग्राइंड डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम (जीडीएमएस) सॉफ्टवेयर विश्लेषण की गई मशीन के माध्यम से ट्रैक डेटा एकत्र करता है और उपयुक्त ग्राइंडिंग पैटर्न का सुझाव देता है। पास की संख्या रेल की स्थिति पर निर्भर करेगी, जैसे कि गड्ढे, झुर्रियाँ

और व्हील बर्न आदि। ग्राइंडिंग के बाद, रेल की सतह एक समान हो जाती है और एकाधिक संपर्क के बजाय सिंगल पॉइंट रेल व्हील संपर्क सुनिश्चित करती है।

(ii) राजस्व सेवाओं की पुन:आरंभ

दूसरी लहर लॉकडाउन के बाद दिनांक 01.07.2021 को कोविड -19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हुईं ।

पहले दिन कुल 7586 यात्रियों ने यात्रा की और दैनिक यात्रियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। दिनांक 12 जुलाई 2021 (सोमवार) 16846 यात्रियों ने मेट्रो में यात्रा किया।

8.0 गैर-मोटर चालित परिवहन परियोजना

239 करोड़ रुपए में से, 32.19 करोड़ रुपए के संचयी मूल्य के विभिन्न परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। 54.23 करोड़ रुपए के संचित मूल्य वाली 5 विभिन्न परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और काम सौंप दिया गया है। शेष कार्य के लिए योजना तैयार की जा रही है।

फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, सड़क सुरक्षा आदि के निर्माण के लिए 27 मिलियन यूरो के लिए एएफडी, फ्रांस के साथ ऋण समझौते और परियोजना समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एएफडी ने केरल सरकार को 24.47 करोड़ रुपए जारी किए और केरल सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड को यह राशि वितरित की है।

9.0 मानव संसाधन

केएमआरएल के मानव संसाधन विभाग ने कंपनी की व्यावसायिक ज़रूरतों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। केएमआरएल के मिशन और विज़न के प्रति सचेत रहते हुए, कंपनी – 'कर्मचारी सशक्तिकरण' मूल्य का अनुसरण करती है और कार्य संस्कृति, कर्मचारी जुड़ाव, उत्पादकता, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है ।

चालू निर्माण गतिविधियों और उसके बाद के राजस्व कार्यों को देखते हुए, कर्मचारियों और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का काम जारी है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को, केएमआरएल के पास समर्पित कर्मचारियों की एक टीम है, जिसमें परियोजना श्रेणी में 98, संचालन और रखरखाव विंग में 397 और जल परिवहन प्रभाग में 18 शामिल हैं।

कुडुम्बश्री (महिला स्वयं सहायता समूह) के सहयोग से, केएमआरएल ट्रांसजेंडर सहित आर्थिक रूप से कमजोर समूहों (ईडब्ल्यूएस) की महिलाओं द्वारा "महिलाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र" के रूप में कोच्चि मेट्रो स्टेशनों का प्रबंधन और संचालन करती है। जिससे महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता सुनिश्चित हो सके। 60 प्रतिशत से अधिक कार्यबल महिलाएं हैं। केएमआरएल की प्रबंधन रेंज के विभिन्न स्तरों से लेकर शॉप फ्लोर तक पूरे संगठन में महिलाओं की उपस्थिति है। लोको पायलट से लेकर टिकट काउंटर आपरेटर तक, स्टेशनों के समग्र नियंत्रण से लेकर सफाई के काम तक, सुरक्षा अधिकारियों से लेकर इंजीनियरों तक, यहां

महिलाओं की उपस्थिति ने सीमाओं को पार कर सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। कुदुम्बश्री ने कोच्ची मेट्रो में 11 ट्रांसजेंडरों को भी नियुक्त किया है। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर लोगों को मुख्यधारा के क्षेत्र में नौकरी के लिए अनुमति दी जा रही है।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद पूरे देश में व्याप्त अनिश्चितता के मद्देनजर, केएमआरएल ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के निर्देशों और निवारक उपायों का पालन किया। सभी मानक जैसे सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और कार्यालय में प्रवेश करते और छोड़ते समय सैनिटाइसर का उपयोग आदि अनिवार्य कर दिया। कार्यालय परिसर की नियमित रूप से सफाई की जाती थी। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही कर्मचारियों को कार्यालय और कार्य स्थलों में प्रवेश की अनुमति दी गई। लॉकडाउन अवधि के दौरान, केएमआरएल आउटसोर्स कर्मचारियों और अनुबंध कर्मचारियों सहित सभी को वेतन का भुगतान एमएचए के विभिन्न दिशानिर्देशों में निहित निर्देशों के अनुसार किया गया।

9.1 आरक्षित श्रेणी का रोज़गार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/ओबीसी आदि के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को बारीकी से पालन किया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च 2020 तक, कंपनी में 55 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति, 245 अन्य पिछड़ा वर्ग, 9 भूतपूर्व सैनिक और 5 विकलांग व्यक्ति कार्यरत है।

केएमआरएल के प्रबंधन ने हमेशा यह महसूस किया है कि संगठित लक्ष्यों की सफल उपलब्धि के लिए प्रेरणादायक, कंटेन्ट और संतुष्ट कार्यबल महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कंपनी मानव संसाधन विकास और अपनी क्षमता की प्राप्ति के लिए काम जारी रखती है। नियोक्ता-कर्मचारी संबंध पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण बना रहता है और केएमआरएल अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में सक्षम है।

10.0 कॉर्पोरेट संचार प्रबंधन और सोशल मीडिया में उपस्थिति

पिछले साल, कॉर्पोरेट संचार विभाग (सीसी) ने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के ब्रांड मूल्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न विभागों के साथ मीडिया कवरेज और समन्वय से कार्य किया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित आयोजन से कोच्ची मेट्रो में यात्रियों की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है।

10.1 पूरे मेट्रो कॉरिडोर में सौंदर्यीकरण

शहर को हरियाली से सुशोभित करने के लिए हरित पहल के हिस्से के रूप में, केएमआरएल ने मीडियनों के लिए उपयुक्त पौधों के साथ इसे सुशोभित करने के लिए विभिन्न पार्टियों को 324 मीडियन क्षेत्रों को आबंटित किया है। वास्तव में स्वीकृत खंड में सभी मीडियनों को आबंटित किया है और इस खंड में कुछ भी लंबित नहीं है। पूरे शहर में यह हरित मीडियन आने से शहर का चेहरा बदल जाएगा।

10.2 दिनांक 26.01.2021 को आयोजित साइक्लोथॉन 2021

गैर-मोटर चालित परिवहन की अवधारणा को बढ़ावा देने और भविष्य के यात्रियों को पहली और अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, केएमआरएल ने साइक्लोथेन 2021 का आयोजन किया। इसका थीम था "स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ गतिशीलता"। कार्यक्रम एक मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर मेट्रो स्टेशन पर खत्म होने वाले मेट्रो कॉरिडोर के प्रभावित इलाके में हुआ। इस कार्यक्रम में आमंत्रित और मेहमानों सहित 30 अन्य साइकिल चालकों के साथ कुल 717 साइकिल चालकों ने भाग लिया। यह केरल में आयोजित सबसे बड़ा साइक्लोथेन था।

10.3 फिट इंडिया फ्रीडम रन - 2 अक्टूबर 2020

राष्ट्रीय पहल "फिट इंडिया फ्रीडम रन" (युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक पहल) के हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने केएमआरएल कर्मचारियों में अपनी पसंद के मार्ग पर दौड़ने/चलने/साइक्लिंग में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह दिनांक 15 अगस्त 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को मुट्टम यार्ड में सभी कर्मचारियों के लिए एक सार्वजनिक दौड़/साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित करते हुए समापन समारोह संपन्न हुआ।

10.4 दिनांक 27.03.2021 को आयोजित अर्थ आवर समारोह

केएमआरएल ने जेसीआई (कोच्ची) के सहयोग से दिनांक 27.03.2021 को अर्थ आवर मनाया। इसके लिए तीन अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए:

हरित परिवहन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वुमेन ओन्ली साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। साइक्लोथॉन को वैटिला मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर तैक्कूडम तक किया गया और वैटिला मेट्रो स्टेशन पर वापस आ गया। साइक्लोथॉन में कुल 12 किलोमीटर की दूरी तय की गई और लगभग 70 महिला साइकिल चालकों ने भाग लिया।

पृथ्वी दिवस मनाने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वायटिला मेट्रो स्टेशन में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसी मंच पर एक कलाकार की लाइव पेंटिंग भी थी।

पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 27 मार्च 2021 की शाम को एक जनसभा आयोजित की गई। यह केएमआरएल जोस जंक्शन स्थल पर मोमबत्तियों और रोशनी के साथ एक खूबसूरत माहौल में किया गया। अर्थ आवर 2021 का पालन करने के लिए लाइटें बंद कर दी गईं और मोमबत्तियां जलाई गईं।

10.5 दिनांक 30 जनवरी 2021 को जोस जंक्शन में आयोजित संगीत समारोह

प्रथम कोविड लॉकडाउन के बाद से फिर से खुलने के बाद, जोस जंक्शन पर केएमआरएल के ओपन थिएटर को मेट्रो बीटल्स के हिस्से के रूप में क्यूरेटेड प्रदर्शन के साथ फिर से सक्रिय किया गया। इस कार्यक्रम में श्री षोन थॉमस और वायली (बांस संगीत) ग्रूप द्वारा आयोजित एक संगीत कार्यक्रम के साथ-साथ प्रोफेसर अरुणिमा द्वारा भरतनाट्यम का प्रदर्शन शामिल था।

11.0 सतर्कता तंत्र

दिनांक 18 जनवरी 2016 को आयोजित तेईसवीं बैठक में, आपके बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) के तहत सतर्कता प्रणाली/व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की। तब से इसमें कोई और बदलाव नहीं किया गया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उसी तरह रहा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सतर्कता तंत्र के तहत एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसे कंपनी के पूर्वोक्त प्रावधानों के साथ-साथ सतर्कता नियमावली और सीडीए नियमों के अनुसार हल किया गया।

12.0 सूचना का अधिकार

नागरिकों को कंपनी में अपनाई गई जवाबदेही और पारदर्शिता पर उन्हें प्रबुद्ध करने की दृष्टि से सूचना तक पहुंच प्रदान करके आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद "आरटीआई अधिनियम" के रूप में संदर्भित) लागू किया है। उपयुक्त अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरटीआई अधिनियम के विभिन्न सक्षम प्रावधानों को अक्षरश: लागू किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को कुल 94 आरटीआई आवेदन और साथ ही 7 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं। उपरोक्त सभी आरटीआई अनुरोधों और प्रथम अपीलों का निपटारा संबंधित अधिकारियों द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन में किया गया। कंपनी के खिलाफ राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के समक्ष दूसरी अपील दायर की गई।

13.0 ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अवशोषण का संरक्षण

13.1 ऊर्जा का संरक्षण

सभी मेट्रो स्टेशनों, कार्यालयों, डिपो क्षेत्रों, वायडक्ट्स, पार्किंग क्षेत्रों और संपत्ति विकास क्षेत्रों में ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटिंग का उपयोग किया जाता है, और जहां भी प्रकाश की आवश्यकता होती है, वहाँ ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटिंग का उपयोग किया जाता है। ट्रेनों के आंतरिक और बाहरी हिस्से को रोशन करने के लिए ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों का उपयोग किया जाता है और इस तरह से ऊर्जा की बचत की जाती है।

वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी (वीवीवीएफ़) ड्राइव का उपयोग ट्रेन के प्रणोदन प्रणाली में किया जाता है, जो ट्रेन की शक्ति के दौरान अनुकूलित ऊर्जा का उपयोग करता है। पुनर्योजी ब्रेकिंग तकनीक को अपनाया जाता है, जो ब्रेकिंग के दौरान बर्बाद होने वाली ऊर्जा को बिजली में बदल देती है और ट्रेनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ट्रेन नियंत्रण एटीओ का ऊर्जा बचत मोड चालू किया गया है, जिससे ट्रेन संचालन के दौरान ऊर्जा की बचत होने की उम्मीद है।

स्टेशन, डिपो, व्यवस्थापक भवन और कॉर्पोरेट कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले उच्च दक्षता वाले वीआरएफ (वैरिएबल रेफ्रिजेंट फ्लो) आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग, काफी मात्रा में ऊर्जा बचाता है। एचवीएसी के तापमान सेटिंग में संशोधन - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार एसी तापमान में प्रत्येक डिग्री वृद्धि से 6% की ऊर्जा बचत होती है। उपकरण कक्षों में तापमान 6 डिग्री से 23 डिग्री तक बढ़ा दिया गया है और कम भीड़ वाले कमरों में इसे 25 डिग्री पर सेट किया गया।

एस्केलेटर पर ऊर्जा बचत मोड को सक्षम करके, 21 स्टेशनों पर कुल साप्ताहिक ऊर्जा बचत में काफी वृद्धि हुई है। कम भीड़ वाले समय एस्केलेटर बंद करके, विशेष रूप से कम भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों में गैर-पीक आवर्स में - सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बिजली की खपत को कम करके। एचवीएसी अपव्यय में कमी जैसे कट-आउट को बंद करके, एसी अपव्यय को कम करना। तकनीकी कक्षों में बीडिंग का उपयोग कर दरवाजे के गैप से एसी लीकेज को बंद करना आदि।

वीवीवीएफ (वैरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी) का उपयोग सभी स्टेशनों पर और एडमिन बिल्डिंग में ड्राइव का उपयोग लिफ्टों और एस्केलेटरों के लिए किया गया है, जो लिफ्टों के लिए स्लीप मोड प्रदान करता है और जब कोई यात्री नहीं होता है, एस्केलेटर निष्क्रिय या धीमी गति मोड में आता है।

केएमआरएल स्टेशनों, डिपो और कॉर्पोरेट कार्यालय ने डिजाइन चरण में ही ग्रीन बिल्डिंग मानदंडों को अपनाया है, जो महत्वपूर्ण रूप से ऊर्जा की बचत करते हैं और प्रतिष्ठानों को नेशनल ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम का दर्जा दिया जाता है।

13.2 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग

केएमआरएल ने सौर ऊर्जा नीति अपनाई है जिसके माध्यम से पूर्ण ऊर्जा तटस्थता हासिल करने का प्रयास कर रही है। केएमआरएल ने अपने स्वामित्व वाली छतों और अप्रयुक्त भूमि पर 7.3 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित और चालू की है। इन परियोजनाओं को रेस्को (रेस्को) (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसमें बिजली उत्पादक / ठेकेदार द्वारा सभी पूंजी निवेश किया जाता है। सौर ऊर्जा का वर्तमान औसत उत्पादन प्रति दिन 25,000 यूनिट है। इसके अलावा, 3.5 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का अनुबंध किया गया है और इसका कार्य प्रगति पर है।

13.3 ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूँजी निवेश

आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी में सुधार के प्रयास और जहाँ आवश्यक हो उसमें निवेश भी करना संगठन का एक लक्ष्य रहा है। सौर ऊर्जा परियोजनाएं रेस्को मॉडल पर कार्यान्वित की जाती हैं, जिसमें केएमआरएल ने कोई पूंजी निवेश नहीं किया है।

13.4 प्रौद्योगिकी अधिग्रहण

i) <u>प्रौद्योगिकी अधिग्रहण की दिशा में किए गए प्रयास:</u>

(क) पीआईडी (यात्री सूचना प्रदर्शन प्रणाली) जैसे दूरसंचार उपकरण ऑफ-पीक घंटों के दौरान बिजली बचाने के लिए प्लेटफॉर्म और कॉनकोर्स पर स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं।

(ख) डिजिटल टाइमर और ऑक्यूपेंसी सेंसर-आधारित लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम का उपयोग स्टेशनों और प्रशासनिक भवनों में अप्रयुक्त अंतराल या खाली क्षेत्रों पर बिजली की बर्बादी को कम करने के लिए किया जाता है।

ii) <u>उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे व्युत्पन्न लाभ:</u>

केएमआरएल ने एक सौर नीति लागू की है जिसके माध्यम से वह पूर्ण ऊर्जा तटस्थता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। केएमआरएल ने अपने स्वामित्व वाली छतों और अप्रयुक्त भूमि पर 7.3 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित और चालू की है। इन परियोजनाओं को रेस्को (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें बिजली उत्पादक / ठेकेदार द्वारा सभी पूंजी निवेश किया जाता है। सौर ऊर्जा का वर्तमान औसत उत्पादन प्रतिदिन 25,000 यूनिट है। इसके अलावा, 3.5 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का अनुबंध किया गया है और यह कार्य प्रगति पर है।

iii) आयातित प्रौद्योगिकी के संदर्भ में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गणना वित्तीय वर्ष की शुरुआत से की जाती है):

आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी में सुधार के प्रयास और जहाँ आवश्यक हो उसमें निवेश भी करना संगठन का एक लक्ष्य रहा है। सौर ऊर्जा परियोजनाएं रेस्को मॉडल पर कार्यान्वित की जाती हैं, जिसमें केएमआरएल ने कोई पूंजी निवेश नहीं किया है।

(क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण:

प्रौद्योगिकी को अनुबंध चरण में ही अपनाने के लिए आवश्यक शर्तों को अपनाया गया और तदनुसार केएमआरएल के लिए रोलिंग स्टॉक का निर्माण भारत में 70% स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके किया गया, जिससे ट्रेनों की लागत में काफी कमी आई थी। स्पेयर पार्ट्स और कलपुर्जों को स्थानीयकृत करने के प्रयास जारी हैं।

वर्तमान में, नए स्टेशनों के लिए लिफ्टों और एस्केलेटरों पर स्थानीय उपकरण बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं, शेष का आंशिक रूप से/पूरी तरह से आयात किए जाते हैं।

(ख) आयात का वर्ष: 2015-2018

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से स्वीकार किया है: कुछ घटक हैं जो अभी भी हैं आयात पर निर्भर है।

(घ) यदि पूरी तरह से अधिग्रहण नहीं किया है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ अधिग्रहण नहीं हुआ है, और इसके कारण: निर्माताओं की अनुपलब्धता।

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय: लागू नहीं

14.0 ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने –

क. किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है;

ख. किसी अन्य निकाय, कॉर्पोरेट या व्यक्ति को किसी भी ऋण के संबंध में कोई संपार्श्विक या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है; तथा

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित किसी अन्य कॉरपोरेट निकाय की प्रतिभूतियों को सदस्यता, खरीद या किसी अन्य माध्यम से हासिल नहीं किया गया है।

15.0 संबंधित पार्टी लेनदेन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी सहायक नियम, 2013 की धारा 188 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद दिनांक 26 जून 2020 को सीएसएमएल के साथ किराया अनुबंध किया जो कि एक संबंधित पार्टी है।

गैर-किराया बॉक्स राजस्व को बढ़ावा देने के लिए, केएमआरएल सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध सरकारी और राज्य सरकार के संस्थानों से जेएलएन मेट्रो स्टेशन पर वाणिज्यिक परिसर किराए पर लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मेसर्स कोचीन स्मार्ट मिशन लिमिटेड ने अपने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर (IC4) की स्थापना के लिए लगभग 10,000 वर्ग फुट भूमि को किराए पर लेने की पेशकश की है।

16.0 प्रमुख परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई प्रमुख परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और इस रिपोर्ट की तिथि के मध्य में नहीं हुई।

17.0 लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा समिति या निदेशक मंडल को किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी है।

18.0 सावधि जमा

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के तहत जनता से कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है।

19.0 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

चालू वर्ष के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं हुआ। वर्ष के दौरान विदेश यात्रा के लिए कोई राशि खर्च नहीं की गई। हालांकि, ठेकेदारों को विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए 4.62 करोड़ रुपए के बराबर राशि खर्च की गई।

20.0 जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी संभावित जोखिमों के घटित होने से पहले उनकी पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परियोजना की अवधि के दौरान जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की योजना बनाई जा सकें और लागू की जा सकें।

इसे ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों की पहचान की है:

1. यह सुनिश्चित करें कि कंपनी के सभी मौजूदा और भविष्य के प्रमुख जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और समयबद्ध तरीके से मापा जाता है और समय पर उचित रूप से, न्यूनतम और नियंत्रित किया जाता है।
2. यह सुनिश्चित करें कि उच्च-प्राथमिकता वाले जोखिमों को प्राथमिकता देकर प्रबंधित और समाप्त किया जाता है;
3. यह सुनिश्चित करें कि पूरी परियोजना के दौरान सभी जोखिमों को लागत प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जाता है;
4. परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रबंधन के सभी स्तरों पर जानकारी साझा करने को प्रोत्साहित करना; सुनिश्चित करें कि जहां भी लागू हो उचित प्रतिबंधों का पालन किया जाता है।
5. जहां भी लागू हो, उचित विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

आपकी कंपनी ने विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने और सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं:

- आईआईएम कोझीकोड द्वारा कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है।
- कंपनी पर लागू विभिन्न नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी सचिव, महाप्रबंधक (मानव संसाधन, प्रशासन और प्रशिक्षण) और कानूनी अधिकारी से मिलकर एक आंतरिक टीम का गठन।
- स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा त्रैमासिक आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करना; लेखापरीक्षा समिति द्वारा उनकी टिप्पणियों की समीक्षा की जाती है और जहाँ उपयुक्त पाया जाता है वहां सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- इस उद्देश्य के लिए गठित एक टीम और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित अंतराल पर परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन।
- संचार और डेटा के भंडारण के लिए डेटा एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग जो सुरक्षा और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- कंपनी के परिसंपत्तियों का बीमाकरण।

21.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और चिरस्थाईता पहल

एक ज़िम्मेदार और उत्तरदायी कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते, आपकी कंपनी अपने हितधारकों यानि शेयरधारकों, कर्मचारियों, प्रबंधन, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण के अनुकूल मेट्रो संगठन के रूप में, समाज के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए आपकी कंपनी कोच्ची के लोगों के जीवन स्तर में उत्थान और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कंपनी की शुरुआत से ही नई पहल करती रही है।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन किया है और एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है जिसमें शामिल हैं:

1. श्री अलकेश कुमार शर्मा - अध्यक्ष
2. श्री एस. सुहास - सदस्य
3. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य
4. श्री डी.के. सिन्हा - सदस्य
5. श्री कुमार के.आर. - सदस्य

यद्यपि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करने के लिए कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी, आपकी कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान स्वेच्छा से पहल की, जिसमें शामिल हैं:

क. मीडियन सौंदर्यीकरण
ख. स्टेशनों में जैव अपशिष्ट प्रबंधन
ग. वेंडर को सूखा कचरा और कार्यालय उपयोग के लिए समकक्ष पुन: उपयोग योग्य सामग्री ले जाना।
घ. वर्षा जल संग्रहण

केएमआरएल ने स्टेशनों और डिपो में वर्षा जल संचयन की संभावना तलाशने के लिए एससीएमएस जल संस्थान के साथ जल लेखा परीक्षा और व्यवहार्यता अध्ययन किया है।

इन अध्ययनों के आधार पर, केएमआरएल और एससीएमएस के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है और कंपनिपड़ी मेट्रो स्टेशन पर वर्षा जल संचयन के लिए एक पायलट परियोजना लागू की गई है। वर्षा जल संचयन संयंत्रों को बाकी स्टेशनों तक विस्तारित करने की योजना है।

22.0 वैकल्पिक राजस्व पहल: कार्यालय और खुदरा स्थान आबंटन

कोविड - 19 महामारी के प्रभाव ने वैकल्पिक राजस्व गतिविधियों सहित व्यवसायों को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ ग्राहकों ने परिसर खाली कर दिया। हालांकि, इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान आपकी कंपनी ने बाजार तक अपनी पहुँच बढ़ाई और विभिन्न खुदरा कियोस्क और कार्यालय स्थान के लिए नए ग्राहक प्राप्त किए।

23.0 निदेशक मंडल

दिनांक 31.03.2021 को, आपकी कंपनी के बोर्ड में 13 निदेशक हैं, जिनमें से 5 भारत सरकार के नामित हैं, 5 केरल सरकार के नामित हैं और 3 कार्यात्मक निदेशक हैं। सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार इसके अध्यक्ष हैं, जबकि प्रबंध निदेशक केरल सरकार द्वारा नामित हैं। निदेशक मंडल पर एक विस्तृत नोट 'निगमित अभिशासन की रिपोर्ट' में दिया गया है।

23.1 बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की चार बार बैठक हुई, 27 मई 2020, 28 जुलाई 2020, 23 नवंबर 2020 और 25 फरवरी 2021 को।

23.2 बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने केएमआरएल की गतिविधियों के आकार और प्रकृति के आधार पर आठ उप-समितियों का गठन किया है। ये हैं लेखापरीक्षा समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, मानव संसाधन विकास और नामांकन और पारिश्रमिक समिति, संचालन और रखरखाव समिति, परियोजना प्रबंधन समिति, निवेश समिति, खरीद समिति और संपत्ति विकास समिति। इनमें से प्रत्येक उप-समिति हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित संदर्भ की शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखा है। ये उपसमितियाँ आपकी कंपनी के आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर बैठक आयोजित करती हैं। बोर्ड की उप-समितियों का विवरण 'निगमित अभिशासन की रिपोर्ट' खंड के तहत प्रदान किया गया है।

23.3 निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, सेवानिवृत्त/अधिवर्षिता प्राप्त कर चुके नामित निदेशकों के स्थान पर निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति की गई:

क्रम सं.	सेवानिवृत्त निदेशक का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	नियुक्त निदेशक का नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री टॉम जोस	31.05.2020	डॉ. विश्वास मेहता	23.06.2020
2.	श्री डिंपी गर्ग	09.08.2019	श्री भूपेंदर सिंह बोध	18.12.2020

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों के कार्यालय अपरिवर्तित रहे:

- श्री दुर्गा शंकर मिश्रा
- श्री डी.के. सैनी
- श्रीमती सुजाता जयराज
- श्री जयदीप
- श्री राजेश कुमार सिंह
- श्री अलकेश कुमार शर्मा

- श्री के.आर. ज्योतिलाल
- श्री एस. सुहास
- श्री तिरुमन अर्चुनन
- श्री कुमार के.आर.
- श्री डी.के. सिन्हा

दिनांक 31 मार्च, 2021 तक हुए निदेशकीय परिवर्तन:

- दिनांक 23 जून 2020 को श्री टॉम जोस के स्थान पर डॉ. विश्वास मेहता, मुख्य सचिव, केरल सरकार ने निदेशक (केरल सरकार द्वारा नामित) के रूप में कार्यभार संभाला।
- दिनांक 18 दिसंबर 2020 को, श्री डिंपी गर्ग के स्थान पर श्री भूपेंद्र सिंह बोध, एसएजी / आईआरएसईई, ईडी / आरई, रेलवे बोर्ड ने बोर्ड में निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित) के रूप में कार्यभार संभाला।

निदेशकीय परिवर्तन जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के बाद पर इस रिपोर्ट की तारीख से पहले हुए:

- दिनांक 07 अप्रैल 2021 को, श्री अलकेश कुमार शर्मा को कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति के कारण, श्री. के आर ज्योतिलाल, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, केरल सरकार को केएमआरएल के प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
- दिनांक 1 जून, 2021 को, श्री थिरुमन अर्चुनन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड में निदेशक (परियोजना) के रूप में उनकी नियुक्ति पर निदेशक (परियोजना) के कार्यालय से कार्यमुक्त हो गए।
- एस. सुहास आईएएस के स्थान पर केरल सरकार के जी.ओ. (आरटी) सं.267/2021/ट्रांस दिनांकित 02/08/2021 तहत केएमआरएल के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्री जाफ़र मालिक, आईएएस, जिलाधीश, एरणाकुलम को नियुक्त किया गया।

निदेशक मंडल ने निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री टॉम जोस, श्री अल्केश कुमार शर्मा, श्री तिरुमन अर्चुनन और श्री एस. सुहास की सेवाओं की सराहना की।

आपकी कंपनी के पास आज की तारीख में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं:

- श्री के.आर. ज्योतिलाल - प्रबंध निदेशक
- श्री कुमार के.आर. - निदेशक, वित्त एवं सीएफओ
- श्री डी.के. सिन्हा - निदेशक, प्रणाली
- श्री श्याम सुंदर अग्रवाल - कंपनी सचिव

23.4 निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

कंपनी वार्षिक आधार पर अपने तीनों कार्यात्मक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तीनों कार्यकारी निदेशकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बेहत्तर प्रदर्शन किया। नामित निदेशकों के मामले में, प्रदर्शन मूल्यांकन संबंधित सरकारों द्वारा किया जाता है जो उन्हें नामित करते हैं।

24.0 सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों का विवरण

आपकी कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी नहीं है। वर्ष के दौरान कोई भी कंपनी सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी नहीं बनी या बंद हुई है।

25.0 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया गया है। आपकी कंपनी आर्थिक तुलन पत्र तैयार करने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

26.0 महत्वपूर्ण और प्रमुख आदेश

नियामकों या किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी की प्रगति और उसके संचालन को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण और प्रमुख आदेश पारित नहीं किया गया है।

27.0 वार्षिक रिटर्न का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ए) के प्रावधानों के अनुसार, एमजीटी-9 के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई वार्षिक रिटर्न का सारांश कंपनी की वेबसाइट www.kochimetro.org में दिया गया है।

28.0 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

बोर्ड ने आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय विवरण समय पर तैयार करने और विश्वसनीय वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के द्वारा आपकी कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है।

29.0 निगमित अभिशासन

आपकी कंपनी निगमित अभिशासन मानकों का पालन करती है और अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही का अनुसरण करती है। इस रिपोर्ट के साथ 'निगमित अभिशासन की रिपोर्ट' नामक एक अलग खंड संलग्न किया गया है।

30.0 आईसीएसआई के सचिवीय मानक

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से अनुमोदन के अनुसरण में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और इसके निदेशक मंडल (एसएस -1) और आम बैठक (एसएस -2) ने दिनांक 1 अक्टूबर 2017 से अपने कार्यकारी वित्त मानदंडों को संशोधित किया है। कंपनी इसका अनुपालन कर रही है।

31.0 लेखा परीक्षक

31.1 सांविधिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार, मेसर्स के. वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी व एजी) द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था, जो वार्षिक आम बैठक का समापन तक इस पद पर बने रहेंगे।

वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।

31.2 सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, मेसर्स विवेक सरथ और नौफल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों के संकाय, को वर्ष 2020-21 के लिए आपकी कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी सचिव द्वारा अपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दिए गए प्रत्येक अवलोकन/योग्यता पर टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

31.3 आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स सी के प्रस्टी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोच्ची, को आंतरिक लेखा परीक्षा और कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के कर्तव्यों की निगरानी आदि के लिए आपकी कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, उनकी रिपोर्ट का समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

32.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

वित्तीय विवरण, उचित मूल्य में मापे गए कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर, भारतीय लेखा मानकों के अनुसार, हिस्टोरिकल कोस्ट कन्वेन्शन के लेखांकन और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों (कानून) के आधार पर एक प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाते हैं। कंपनी ने सभी लागू भारतीय लेखा मानकों को अपनाया है और लागू रूपांतरण दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकार किया गया। जब तक नए लेखांकन मानक स्वीकार किए गए हो या अब तक लागू लेखा नीति में चालू लेखांकन मानदंड में संशोधन आवश्यक न हो, तब तक इन लेखांकन नीतियों को लागू किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन में, निदेशकों का कहना है कि:

- दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते वक्त, मटिरियल डिपार्चेर्स के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखांकन मानदंडों का पालन किया गया;
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हों ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में आपकी कंपनी की स्थिति के बारे में और उस अवधि के लिए आपकी कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष जानकारी दी जा सके;
- निदेशकों ने आपकी कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल प्रदान की है;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखा गोइंग-कन्सेर्ण आधार पर तैयार किया है;
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और यह प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

33.0 व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

34.0 लेखा परीक्षकों द्वारा की गई प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ

सचिवीय लेखापरीक्षक ने यह टिप्पणी की कि दिनांक 01.04.2020 से 23.11.2020 तक की संक्षिप्त अवधि के लिए मानव संसाधन विकास और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना धारा 178(1) के अनुरूप नहीं है।

इसे संशोधित किया और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, मानव संसाधन विकास और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना अधिनियम की धारा 178 (1) के अनुरूप है।

35.0 अन्य प्रकटीकरण - कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कंपनी के लिए एक नीति है। कंपनी ने कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, उपाय) अधिनियम, 2013 के तहत महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने और यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्य वातावरण की सुविधा के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए।

आंतरिक शिकायत समिति की संरचना:

- सुश्री सीनी अलेक्स कुरुविला, ए जी एम (एफ एवं ए) - पीठासीन अधिकारी
- डॉ लिज़म्मा कोशी, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष (रसायन) महाराजा कॉलेज, एरणाकुलम - बाहरी सदस्य
- सुश्री लिल्ली कुट्टी राजू, एमडी का ईएस - सदस्य
- सुश्री मिनी छाबड़ा महाप्रबंधक (मानव संसाधन, प्रशासन एवं प्रशिक्षण) - सदस्य एवं संयोजक

36.0 आभारोक्ति

आपके निदेशक केंद्र/राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय, सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक, एएफडी, केएफडब्ल्यू, केनरा बैंक,यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केरल राज्य सहकारी बैंक, हडको,और अन्य वाणिज्यिक बैंक, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दोनों प्रिंटऔर विजुअल मीडिया, ठेकेदारों,आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, सलाहकारों, ग्राहकों और कंपनी के मामलों से जुड़े विभिन्न पणधारियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता को अपने तहे दिल से सराहना करते हुए उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद देते हैं। बोर्ड आपकी कंपनी के अधिकारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त प्रतिबद्धता और पूरे सहयोग के लिए भी तहे दिल से सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से ,

ह0/-
अध्यक्ष

स्थान: कोचीन
दिनांक: 5 अगस्त, 2021

प्रपत्र संख्या एमआर - 3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्य,
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
सीआईएन: **U**60100**KL**2011**SGC**029003
जेएलएन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची – 682017

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (बाद में कंपनी कहा जाता है) द्वारा बेहतर कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि जो हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

कंपनी की पुस्तकें, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तकें, प्रपत्र और दाखिल दिया गया रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों तथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारी, एंजेंटों, और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष (लेखा परीक्षा अवधि) यहाँ सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया और यह भी कि कंपनी ने बोर्ड प्रक्रियाओं का पालन किया है और उस सीमा तक आवश्यक अनुपालन तंत्र है, इस ढंग से और उसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन:

हम ने निम्न प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए **कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड** द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जाँच की हैं :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम; (**कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण यह खंड लागू नहीं है)**

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम; (**कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण यह खंड लागू नहीं है)।**

(iv) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान खंड लागू नहीं होता है)**

(v) निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित है;

(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण, खंड (v) और इसके उप खंड (क) से (ज) लागू नहीं हैं)

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंशों का सब्स्टेंशियल अधिग्रहण और टेकोवर) विनियम, 2011;
(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 1992;
(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी को जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009;
(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन स्कीम और कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम) गाइडलाइन, 1999
(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;
(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में;
(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009; और
(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998।

हमने संबन्धित अनुपालनों की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक, एसएस-1 और एसएस-2 और निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, और यह रिपोर्ट किया जाता है कि कंपनी ने प्रायः उक्त मानकों का अनुपालन किया है।

(ii) कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग समझौता। **(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण यह खंड लागू नहीं है।)**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकन के अधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

क) अधिनियम की धारा 178(1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होने चाहिए, जिनमें कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 839 (ई) दिनांक 05/07/2017 ने गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों, जो एक संयुक्त उद्यम है, को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट दी है। अतः मानव संसाधन विकास और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें स्वतंत्र निदेशकों के बिना ही आयोजित की जाती हैं। मानव संसाधन विकास एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन दिनांक 01.04.2020 से 23.11.2020 तक की संक्षिप्त अवधि के लिए अधिनियम की धारा 178(1) के अनुरूप नहीं था। हालाँकि, इसका संशोधन किया गया और इस रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, मानव संसाधन विकास और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना अधिनियम की धारा 178(1) के अनुरूप किया है।

हम, आगे रिपोर्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, कंपनी पर लागू उद्योग विशिष्ट कानूनों की प्रयोज्यता पर और प्रबंधन से प्राप्त जानकारी और अनुरक्षित अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने हमारी राय में, आम तौर पर निम्नलिखित उद्योग विशिष्ट कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक किया है; जहाँ तक ये लागू होते हैं -

(i) आयकर अधिनियम, 1961;
(ii) माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;
(iii) कंपनी के कर्मचारियों को अभिशासित करने वाले निम्नलिखित श्रम कानूनों के प्रावधान अर्थात्;
  (क) न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948
  (ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
  (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
  (घ) मज़दूरी भुगतान अधिनियम, 1936
  (ङ) कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923
(iv) ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970;
(v) अंतर राज्यीय प्रवासी कामगार (रोज़गार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979;
(vi) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996;
(vii) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005;
(viii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013;
(ix) मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013;
(x) बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और
(xi) भारतीय विद्युत नियम, 1956।

कंपनी के संबंधित विभाग पर्यावरण संरक्षण कानूनों और उसके तहत बनाए गए नियमों सहित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए संबंधित ठेकेदार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं।

कंपनी ठेकेदारों के माध्यम से लगे ठेका श्रमिकों के संबंध में कानून के लागू प्रावधानों का पालन कर रही है। नए अनुबंधों के लिए, लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। जहां कहीं भी खामियां पाई जाती हैं, अनुपालन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और महिला निदेशक के उचित संतुलन के साथ किया गया है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया।

बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं और और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड की बैठकों में निर्णय लिए जाते हैं और इसे निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किए जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रासंगिकता वाली निम्नलिखित कार्रवाई हुई है:

(क) जल मेट्रो परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए 26% की इक्विटी भागीदारी के साथ एक नया विशेष प्रयोजन वाहन बनाने का निर्णय।

कृते : विवेक शरथ एवं नौफल
कंपनी सेक्रटरीज़
ह0/-
शरथ एस

साझेदार – सदस्य संख्या 47669
सी.पी. संख्या 17466

स्थान : कोचीन
दिनांक: 27.07.2021
यूडीआईएन: **A047669C000694183**

सेवा में,

सदस्य,

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

सीआईएन: **U**60100**KL**2011**SGC**029003

जेएलएन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची – 682017

सम तारीख की रिपोर्ट को इस अनुलग्नक के साथ पढ़ें।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करें।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया गया था, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के किसी भी वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की किताबों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

4. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमने लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के आधार पर अपनी राय प्रस्तुत की है और रिपोर्टिंग उस सीमा तक सीमित है।

6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता की जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते : विवेक शरथ एवं नौफल
कंपनी सेक्रटरीज़
ह0/-
शरथ एस
साझेदार – सदस्य संख्या 47669
सी.पी. संख्या 17466

स्थान : कोचीन
दिनांक: 27.07.2021

निगमित अभिशासन की रिपोर्ट

निगमित अभिशासन कानूनों, प्रक्रियाओं या कानूनों का एक संयोजन है जिसके द्वारा कॉर्पोरेट संचालित, विनियमित या नियंत्रित होते हैं। इसमें आंतरिक और बाहरी कारक शामिल हैं जो शेयरधारकों, आपूर्तिकर्ताओं, उपभोक्ताओं, सरकारी नियामकों और प्रबंधन सहित कंपनी के भागीदारों के हितों को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में, निगमित अभिशासन नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की एक संरचना है जिसका उपयोग किसी कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए किया जाता है।

यह रिपोर्ट कंपनी द्वारा अपनाई गई निगमित अभिशासन प्रथाओं और कंपनी ने बेहतर निगमित अभिशासन के लिए आवश्यक तरीकों और प्रथाओं को कैसे लागू किया है इसके बारे में वर्णन करती है।

निदेशक मंडल

कंपनी के आर्टिकिल्स ऑफ असोशिएशन पर, सरकारी कंपनियों पर लागू छूट के अधीन, निदेशक मंडल की संख्या 3 से कम नहीं होनी चाहिए तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशक या तो नामित निदेशक हो सकते हैं, या पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

इस रिपोर्ट की तिथि पर, केएमआरएल के निदेशक मंडल में 11 निदेशक हैं, जिनमें से 5 निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित हैं और 4 निदेशक केरल सरकार के नामिती हैं और 2 कार्यात्मक निदेशक हैं। अध्यक्ष, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव है और प्रबंध निदेशक केरल सरकार के एक नामिती है।

कंपनी के निदेशक मंडल में कंपनी के लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध प्रशासनिक और कार्यकारी कौशल वाले पेशेवर शामिल हैं, वे संयुक्त रूप से कंपनी के संचालन कार्य करते हैं।

निदेशकों की उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	2020-21 के दौरान निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल में आयोजित बैठकें	भाग लिया गया बैठक	वार्षिक आम बैठक भागा लिया/नहीं
1.	श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	4	4	हाँ
2.	श्री भूपेंद्र सिंह बोध	1	1	नहीं
3.	श्री जयदीप	4	4	हाँ
4.	श्रीमती सुजाता जयराज	4	3	हाँ

5.	श्री डी.के. सैनी	4	4	हाँ
6.	श्री राजेश कुमार सिंह	4	4	नहीं
7.	श्री टॉम जोस	1	1	नहीं
8.	श्री विश्वास मेहता	3	3	नहीं
9.	श्री के.आर. ज्योतिलाल	4	4	नहीं
10.	श्री एस. सुहास	4	4	नहीं
11.	श्री अलकेश कुमार शर्मा	4	4	हाँ
12.	श्री कुमार के.आर	4	4	हाँ
13.	श्री डी.के. सिन्हा	4	4	हाँ
14.	श्री तिरुमन अर्चुनन	4	4	हाँ

बोर्ड को दी गई जानकारी

कंपनी के संचालन से संबंधित विभिन्न मामलों पर जिन पर बोर्ड के विचार की आवश्यकता है, बोर्ड को अपनी प्रत्येक बैठक से पहले प्रासंगिक जानकारी और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, विशेष रूप से जिनके लिए उच्च स्तरीय विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है। कार्यात्मक निदेशक समय-समय पर परियोजना की प्रगति, कानूनी अनुपालन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण करते हैं।

बोर्ड की प्रक्रियाएँ

बोर्ड की बैठकें कंपनी के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन और समीक्षा करने और प्रबंधन निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की चार बार बैठक हुई; दिनांक 27 मई 2020, 28 जुलाई 2020, 23 नवंबर 2020 और 25 फरवरी 2021 को।

कंपनी ने बोर्ड और बोर्ड की उप-समिति की बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जो नीचे बताया गया है:

क)सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया

सभी निगमित मामले, बोर्ड चर्चा और सामूहिक निर्णयों के पूर्व-नियोजन के लिए आवश्यक प्रणालियों और प्रक्रियाओं की व्यवस्था करने के लिए कंपनी के पास निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आयोजित करने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सूचना का प्रचार-प्रसार एक अवगत और कुशल तरीके से किया जाता है।

ख) बोर्ड/बोर्ड उप-समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण और चयन

- बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, उचित नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। विशिष्ट तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कम समय की सूचना पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं। बोर्ड परिचालन द्वारा भी संकल्प पारित करता है, केवल ऐसे मामलों के लिए, जो अत्यंत आवश्यक हैं और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय हैं; प्रासंगिक वर्ष में परिचालन द्वारा दो प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।
- कार्यसूची संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार किए जाते हैं और संबंधित कार्यकारी निदेशक की सहमति प्राप्त करने के बाद, अनुमोदन के लिए प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं। विधिवत अनुमोदित विस्तृत कार्यसूची टिप्पणी, व्यापक पृष्ठभूमि जानकारी द्वारा समर्थित प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण आदि बैठकों में सार्थक, सूचनात्मक और केंद्रित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए सदस्यों के बीच पहले से ही परिचालित किए जाते हैं;
- जहाँ कोई दस्तावेज़ संलग्न करना अवांछनीय है या यदि कार्यसूची संवेदनशील है, तो उसे प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के अनुमोदन से बैठक में रखा जाता है। विशेष और असाधारण परिस्थितियों में,अतिरिक्त या अनुपूरक मद जो कार्यसूची में नहीं हैं, को अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के लिए लिया जाता है;
- बोर्ड को महत्वपूर्ण घटनाओं/वस्तुओं और आवश्यकता पड़ने पर लिए गए अनुमोदनों के बारे में भी सूचित किया जाता है। प्रबंध निदेशक बोर्ड की बैठकों में कंपनी के समग्र प्रदर्शन से बोर्ड को अवगत कराते रहते हैं;
- कार्यसूची के एक भाग के रूप में, की गई कार्रवाई रिपोर्ट, पिछली बैठकों में बोर्ड के निर्देशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा, भौतिक और वित्तीय प्रगति, समिति की बैठकों के कार्यवृत्त आदि शामिल है।
- बोर्ड के सदस्यों के लिए कंपनी की सभी जानकारी पर पूरी तरह से पहुँच में है।
- बोर्ड की बैठकें आम तौर पर उपयुक्त सचिवीय मानकों के अनुरूप आयोजित की जाती हैं।

ग) प्रबंध निदेशक द्वारा संक्षिप्त विवरण देना

बोर्ड के प्रत्येक बैठक की शुरुआत में, प्रबंध निदेशक बोर्ड के सदस्यों को परियोजना की वर्तमान स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों/विकासों के बारे में जानकारी देते हैं।

घ) बोर्ड की बैठक में कार्यवाही के कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग

प्रत्येक बोर्ड की कार्यवाही के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड किया जाता है और कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज किया जाता है। बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लागू सचिवीय मानकों के अनुसार परिचालित किए जाते हैं। बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त पर बोर्ड की अगली बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और फिर कार्यवृत्त पर अध्यक्ष

द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। बोर्ड की उपसमिति की बैठकों के कार्यवृत्त भी सूचना हेतु बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं और फिर कार्यवृत्त पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

ङ) अनुपालन

विभागाध्यक्ष, कार्यसूची टिप्पणी तैयार करते वक्त, अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, आर्टिकिल्स ऑफ अस्सोसियेशन और सीवीसी दिशानिर्देशों सहित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करते हैं।

कंपनी के कर्मचारी उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, कंपनी द्वारा अनुमोदित और अपनाई गई आचार संहिता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे कॉर्पोरेट कामकाज में योगदान देने में हमेशा उच्च नैतिक मानकों और मूल्यों को बनाए रखते हैं और प्रबंधन से प्राप्त उचित और समय पर मार्गदर्शन उन्हें बेहतर शासन प्रथाओं को सुनिश्चित करने में मदद करता है।

अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड के समक्ष रखी गई जानकारी में शामिल हैं:

- विस्तृत बजट अनुमान और राजस्व संचालन की स्थिति।
- वार्षिक वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट।
- बोर्ड की उप समितियों की बैठकों के निर्णय/ कार्यवृत्त।
- चरण I, चरण Iए, चरण Iबी, चरण II, चरण III, एकीकृत जल परिवहन परियोजना, आईयूआरडबल्यूटीएस आदि की अद्यतन स्थिति सहित नए प्रस्ताव/परियोजनाएँ
- डीपीआर में विचार किए गए प्रस्तावों को छोड़कर प्रौद्योगिकी/प्रौद्योगिकी मानकों में परिवर्तन सहित सभी प्रस्ताव।
- मानव संसाधन का कोई महत्वपूर्ण विकास, महत्वपूर्ण परिसंपत्ति विकास मामले।
- सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण, अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित जानकारी।
- अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
- अन्य मामले जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्देशित/सलाह दी गई।

बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने कंपनी के संचालन के आकार और प्रकृति के आधार पर आठ उप-समितियों का गठन किया है। ये निम्न प्रकार है :

i. लेखा परीक्षा समिति
ii. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
iii. मानव संसाधन विकास एवं नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

iv. संचालन और रखरखाव समिति

v. परियोजना प्रबंधन समिति

vi. निवेश समिति

vii. अधिप्राप्ति समिति

viii. संपत्ति विकास समिति

इनमें से प्रत्येक समिति बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित संदर्भ की शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ये समितियाँ समय-समय पर कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार बैठक बुलाती है। बोर्ड की उप-समितियों का विवरण निम्नलिखित है:

1. लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च, 2021 की संरचना :

1. श्री आर. के सिंह - अध्यक्ष
2. श्री के.आर. ज्योतिलाल - सदस्य
3. श्रीमती सुजाता जयराज - सदस्य
4. श्री जयदीप - सदस्य

वर्ष 2020-21 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की बैठक दो बार हुई, अर्थात् दिनांक 28 जुलाई 2020 और दिनांक 25 फरवरी 2021 को। इन बैठकों में लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के अतिरिक्त निदेशक, वित्त और समिति को जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिकारी भी शामिल थे। बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप है।

कंपनी सचिव ने लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य किया। सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	**सदस्य का नाम**	**वर्ष 2020-21 में उनकी सदस्यता कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें**	**भाग लिए गए बैठक**
1.	श्री राजेश कुमार सिंह	2	2
2.	श्री के.आर. ज्योतिलाल	2	2
3.	श्रीमती सुजाता जयराज	2	1
4.	श्री जयदीप	2	1

2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

31 मार्च, 2021 की संरचना :

1. श्री अल्केश कुमार शर्मा - अध्यक्ष
2. श्री एस. सुहास - सदस्य
3. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य
4. श्री डी.के. सिन्हा - सदस्य
5. श्री कुमार के.आर. – सदस्य

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 41वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:

05/08/2021 को हुए पुनर्गठन के बाद सीएसआर समिति की संरचना:

1. श्री के.आर. ज्योतिलाल - अध्यक्ष
2. श्री जाफर मलिक आईएएस - सदस्य
3. श्री डी.के. सिन्हा - सदस्य
4. श्री कुमार के.आर. - सदस्य

वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

3. परियोजना प्रबंधन समिति

31 मार्च, 2021 की संरचना :

1. श्री अल्केश कुमार शर्मा - अध्यक्ष
2. श्री जयदीप - सदस्य
3. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य
4. श्री कुमार के.आर - सदस्य

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 41वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:

05/08/2021 की संरचना :

1. श्री के.आर. ज्योतिलाल - अध्यक्ष
2. श्री जयदीप - सदस्य
3. श्री कुमार के.आर - सदस्य

वर्ष के दौरान परियोजना प्रबंधन समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

4. निवेश समिति

31 मार्च, 2021 की संरचना :

1. श्री आर के सिंह - अध्यक्ष
2. श्री अल्केश कुमार शर्मा - सदस्य
3. श्री के.आर. ज्योतिलाल - सदस्य
4. श्री कुमार के.आर - सदस्य

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 41वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:

05/08/2021 की संरचना :

1. श्री आर के सिंह - अध्यक्ष
2. श्री के.आर. ज्योतिलाल - सदस्य
3. श्री कुमार के.आर – सदस्य

वर्ष के दौरान निवेश समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

5. अधिप्राप्ति समिति

31 मार्च, 2021 की संरचना :

1. श्री अल्केश कुमार शर्मा - अध्यक्ष
2. श्री एस. सुहास - सदस्य
3. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य
4. श्री कुमार के.आर - सदस्य
5. श्री डी.के. सिन्हा - सदस्य

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 41वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:

05/08/2021 की संरचना :

1. श्री के.आर. ज्योतिलाल - अध्यक्ष
2. श्री जाफर मलिक आईएएस - सदस्य
3. श्री कुमार के.आर - सदस्य
4. श्री डी.के. सिन्हा – सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 21 मई 2020, 21 जुलाई 2020 और 16 सितंबर 2020 को तीन बार समिति की बैठक हुई।

सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	**सदस्य का नाम**	**वर्ष 2020-21 में उनकी सदस्यता कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें**	**भाग लिए गए बैठक**
1.	श्री अलकेश कुमार शर्मा	3	3
2.	श्री एस. सुहास	3	2
3.	श्री तिरुमन अर्चुनन	3	3
4.	श्री कुमार के.आर	3	3
5.	श्री डी.के. सिन्हा	3	3

6. संचालन और रखरखाव समिति

31 मार्च, 2021 की संरचना :

1. श्री अल्केश कुमार शर्मा - अध्यक्ष
2. श्रीमती सुजाता जयराज - सदस्य
3. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य
4. श्री कुमार के.आर - सदस्य
5. श्री डी.के. सिन्हा – सदस्य

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 41वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:

05/08/2021 की संरचना :

1. श्री के.आर. ज्योतिलाल - अध्यक्ष
2. श्रीमती सुजाता जयराज - सदस्य
3. श्री कुमार के.आर - सदस्य
4. श्री डी.के. सिन्हा - सदस्य

वर्ष के दौरान संचालन एवं अनुरक्षण समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

7. संपत्ति विकास समिति

31 मार्च, 2021 की संरचना :

1. श्री अल्केश कुमार शर्मा - अध्यक्ष
2. श्री एस. सुहास - सदस्य
3. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य
4. श्री डी.के. सिन्हा - सदस्य
5. श्री कुमार के.आर - सदस्य

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 41वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:

05/08/2021 की संरचना :

1. श्री के.आर. ज्योतिलाल - अध्यक्ष
2. श्री जाफर मलिक - सदस्य
3. श्री डी.के. सिन्हा - सदस्य
4. श्री कुमार के.आर - सदस्य

वर्ष के दौरान संपत्ति विकास समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

8. मानव संसाधन विकास एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

31 मार्च, 2021 की संरचना :

1. श्री अल्केश कुमार शर्मा - अध्यक्ष
2. श्री के.आर. ज्योतिलाल - सदस्य
3. श्रीमती सुजाता जयराज - सदस्य
4. श्री एस सुहास - सदस्य
5. श्री कुमार के.आर - सदस्य

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 41वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:

05/08/2021 की संरचना :

1. श्री के.आर. ज्योतिलाल - अध्यक्ष

2. श्रीमती सुजाता जयराज - सदस्य
3. श्री जाफर मलिक - सदस्य
4. श्री कुमार के.आर - सदस्य
5. श्री जयदीप - सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की बैठक दिनांक 21 जुलाई, 2020 को एक बार हुई।

सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	वर्ष 2020-21 में उनकी सदस्यता कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिए गए बैठक
1.	श्री अल्केश कुमार शर्मा	1	1
2.	श्री के आर ज्योतिलाल	1	1
3.	श्रीमती सुजाता जयराज	1	1
4.	श्री तिरुमन अर्चुनन	1	1
5.	श्री कुमार के आर	1	1

प्रकटीकरण

1. कोई भी प्रमुख और महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी अर्थात, कंपनी के अपने संवर्धकों, निदेशकों या प्रबंधन, सहायक कंपनियों या रिश्तेदार आदि के साथ कंपनी के किसी भी तरह के लेनदेन नहीं हुआ है, जिससे बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ उनके हितों के संभावित टकराव हो सकें।
2. किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर जुर्माना या सख्त प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
3. कंपनी की व्यावसायिक ज़रूरतों के अलावा कोई भी खर्च खाता बही में डेबिट नहीं किया जाता है।
4. कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों पर पृथक व्यक्ति हैं।

पिछले तीन वर्षों में आयोजित आम बैठकें:

एजीएम/ईजीएम	7वीं एजीएम	8वीं एजीएम	7वीं एजीएम	तीसरी ईजीएम
तिथि और समय	01.12.2018 12:00 अपराह्न	30.09.2019 11:30 पूर्वाह्न	28.09.2020 03.00 अपराह्न	01.02.2020 12:30 अपराह्न
स्थान	पंजीकृत कार्यालय	पंजीकृत कार्यालय	पंजीकृत कार्यालय	पंजीकृत कार्यालय

विशेष संकल्प (यदि कोई है तो)	5. श्री कुमार के.आर., निदेशक वित्त (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति। 5. श्री डी.के. सिन्हा, निदेशक प्रणाली (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति।	-	-	1. 5,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए तक कंपनी की उधार सीमा बढ़ाना। 2. एमओए के खंड III में परिवर्तन। 3. एमओए के खंड IV में परिवर्तन। 4. एओए के नए सेट को अपनाना। 5. 1250 करोड़ रुपए की सीमा तक घरेलू बांड जारी करने के लिए अनुमोदन।

कंपनी की वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट www.kochimetro.org है। परियोजना, निदेशक मंडल, नवीनतम समाचार अपडेट, अनुबंध, निविदाएँ और नौकरी भर्ती प्रक्रियाओं सहित कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा, कंपनी अपनी सभी निविदाएं अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करती है ताकि वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद पर समय पर जानकारी प्रदान की जा सके। वेबसाइट पर मेट्रो रेल परियोजना की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं, गतिविधियों, प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण विकासों के बारे में भी जानकारी मिलती है, और इसे लगातार अपडेट किया जाता है।

ह0/-

अध्यक्ष

एओसी – 2 प्रपत्र

कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे नियम के तहत कुछ आर्म्स लेंग्थ ट्रांसाक्शन शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का ब्योरा, जो आर्म्स लेंग्थ आधार पर नहीं है।

(क)	संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
(ग)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
(घ)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं की प्रमुख शर्तें या मूल्य सहित लेनदेन, यदि कोई हो	लागू नहीं
(ङ)	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
(च)	बोर्ड द्वारा दी गई अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
(छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं
(ज)	धारा 188 के पहले नियम के तहत अपेक्षित रूप में आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित होने की तिथि	लागू नहीं

2. आर्म्स लेंग्थ आधार पर महत्वपूर्ण अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेनों का विवरण

(क)	संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	कोचीन स्मार्ट मिशन लिमिटेड, संबंध की प्रकृति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के खंड (vi) के अनुसार है।
(ख)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रकृति	परिसंपत्ति को पट्टे पर देने के लिए लाइसेंस समझौता (कार्यालय स्थान)
(ग)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की अवधि	10 साल 2 महीने
(घ)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं की प्रमुख शर्तें या मूल्य सहित लेनदेन, यदि कोई हो	अनुबंध की प्रमुख शर्तें दिनांक 26.06.2020 के लाइसेन्स समझौते के अनुरूप है। जीएसटी @ 18% सहित अनुबंध का मूल्य 6,69,40,169 रुपए है।

(ङ)	बोर्ड द्वारा दी गई अनुमोदन की तिथि	27 मई 2020
(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में प्राप्त किराए की राशि

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से ,
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

ह0/-
अध्यक्ष

स्थान : कोच्ची
तारीख : 5/08/2021

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, चेन्नै

Indian Audit and Accounts Department
Office of the Director General of Commercial Audit, Chennai

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप में अधिनियम की धारा 143 के तहत स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 05.08.2021 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया, ऐसा बताया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) के तहत दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा किया गया है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक प्रदान करें।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से,

Yours faithfully,

(C.NEDUNCHEZHIAN)
Director General of Commercial Audit, Chennai

स्थान : चेन्नई
तारीख : 22.09.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के
सदस्यों के लिए

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 के तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय का विवरण लाभ और हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरण और और उस वर्ष समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ,और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय और जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उस तारीख में जिसमें वर्ष समाप्त हुआ, जिसका अन्य व्यापक आय सहित इसकी हानि, इसका नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन पर जैसाकि संशोधित (‘अधिनियम’) में आवश्यक है और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ संशोधित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जैसाकि संशोधित किया गया है, (भारतीय लेखा मानक) 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के मामलों की स्थिति में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं।

राय का आधार

हमने वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एमएएस) मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों के बारे में हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व' खंड में वर्णित है।

हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं,और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मदों का महत्व

1. हम कोविड-19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संचालन और वित्तीय परिणामों पर प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन से संबंधित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 1.2.1

और नोट संख्या 30.37 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, पहले चरण के साथ कंपनी के मेट्रो रेल संचालन को 22 मार्च 2020 से 6 सितंबर 2020 तक निलंबित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप फेयर बॉक्स और गैर- फेयर बॉक्स राजस्व वसूली में भारी गिरावट आई।

2. हम 180 मिलियन यूरो (सहायता प्राप्त होने की तिथि पर 1327 10.77 लाख रुपए के बराबर) और 2.84 मिलियन यूरो (सहायता प्राप्त होने की तिथि के अनुसार 24 46.67 लाख रुपए के बराबर) के लिए ऋणदाता के रूप में एजेंस फ्रैन्काइज़ डी डेवलपमेंट (एएफ़डी) और भारत सरकार (भारत सरकार) उधारकर्ता के रूप में, के बीच ऋण सुविधा समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पास थ्रू सहायता (पीटीए) से संबंधित विदेशी विनिमय दर भिन्नता के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 30.2.1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। पीटीए फंड भारत सरकार द्वारा कंपनी को बजटीय प्रावधानों और भारत में राज्यों को विकास सहायता के लिए भारत सरकार की मानक प्रक्रियाओं के माध्यम से भारतीय रुपये में जारी किया गया और कंपनी की क्रेडिट सुविधा के लिए देयता 135157.44 लाख रुपए तक सीमित है।

   भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 23 के अनुसार, विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का मूल्यांकन, तुलन पत्र की तिथि पर, समापन दरों का उपयोग करके किया जाना है। कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से संबंधित विदेशी मुद्रा भिन्नता हानियों को मान्यता नहीं दी, क्योंकि कंपनी की देयता भारत सरकार के प्रति रु.135157.44 लाख की राशि के लिए है और कंपनी की चुकौती दायित्व प्राप्त पीटीए की राशि तक सीमित है, जोकि भारतीय रुपए में रु. 1351 57.44 लाख, और नुकसान, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण, केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 31.03.2021 को पीटीए को बकाया राशि 121886.36 लाख रुपए है।

3. हम प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य से परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 30.3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर के कारण और डीएमआरसी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित स्थाई परिसंपत्ति रजिस्टर प्राप्त करने में देरी की प्रत्याशा में, 23 मई 2013 को डीएमआरसी और केएमआरएल के बीच समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.20 के अनुसार, 226,58.30 लाख रुपए के लिए परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के लिए कंपनी ने डीएमआरसी द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों पर विश्वास किया है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में वित्तीय विवरणों पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

<u>वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी</u>

अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निहित जानकारी शामिल है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उपरोक्त उल्लिखित जानकारी इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, इस बात पर विचार करें कि क्या ऐसी अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ प्रमुख रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा गलत प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मुख्य रूप से अन्य जानकारी का गलत विवरण दिया है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि इसमें कोई गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को अभिशासन के अधिकारियों को सूचित करने की आवश्यकता है और परिस्थितियों तथा लागू कानूनों और विनियमों द्वारा आवश्यक उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

<u>वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और उन पर अभिशासन अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ</u>

वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले इन वित्तीय विवरणों, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी के (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन के साथ पढ़ित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडीएएस) सहित आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की नकदी प्रवाह और परिवर्तन की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित के अनुसार इन मामलों के लिए कंपनी के निदेशक मण्डल उत्तरदाई है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लेना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन और रखरखाव, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और गलत विवरण से मुक्त हों शामिल है।

वित्तीय विवरणों तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामले करने के लिए जिम्मेदार है, और लेखांकन को ऑन गोइंग आधार का उपयोग करना जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख भी निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है।

<u>वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ</u>

हमारा उद्देश्य क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त है, पर उचित आश्वासन प्राप्त करना है और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्चस्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक मौजूदा गलत विवरण का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल

मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

सचिवीय लेखापरीक्षा के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करेंगे, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करेंगे, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली प्रमुख गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर करनेवाले चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है। यह त्रुटि के कारण होनेवाले जोखिम से भी बड़ा है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ हासिल करेंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करेंगे।

  लेखांकन के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें और, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू इकाई के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक प्रमुख अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर या, यदि इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं । हालांकि, ऑन गोइंग कंसर्न में भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी जारी रहना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करेंगे, कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाएँ इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

मेटेरियलिटी वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से, या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक मेटेरियलिटी और

गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; तथा (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में अभिशासन के अधिकारियों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम अभिशासन अधिकार प्राप्त को एक विवरणी प्रदान करते हैं जोकि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के बारे में बताते हैं और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय, हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित रूप से विचार किया जा सकता है।

<u>अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट</u>

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 11 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') के अनुसार, जहाँ तक लागू है, आदेश के परिच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान, हम 'अनुबंधक क' में प्रदान करते हैं।

2. कंपनी के खातों की पुस्तकों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर "अनुलग्नक बी" में एक रिपोर्ट देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं।

   ख) हमारी राय में कानून के अनुरूप आवश्यक उचित खाता लेखों को, जहाँ तक उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा रखा गया है।

   ग) तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय के विवरण सहित लाभ और हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट से निपटने के लिए खाता बहियों के अनुरूप है।

   घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जैसा कि संशोधित है।

ङ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

च) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

छ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर 463 (ई) दिनांकित 5 जून 2015 एक अनुसार, निदेशक को पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित है, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) कंपनी ने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। *(वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 30.29 देखें)*।

(ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हुआ हो।

(iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

ह0/-
कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकर
एफ़आरएन: 004610S
यूडीआईएन: 21232723AAAACN6851

सी ए . विष्णु मोहन
सहभागी | सदस्य सं. 232723

स्थान : कोचीन
दिनांक: 05अगस्त 2021

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों को समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक क

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए और हमारे द्वारा जाँच किए गए खाता बहियों और अन्य अभिलेखों के आधार पर, सामान्य लेखा परीक्षा, और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1) कंपनी की स्थाई परिसंपत्तियों के संबंध में:

क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और स्थाई परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हुए हैं,

ख) कंपनी के पास अपनी स्थाई परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए एक कार्यक्रम है। हमारी राय में, इस तरह के भौतिक सत्यापन की आवधिकता में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सुधार की आवश्यकता है।

ग) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल स्थाई परिसंपत्तियों के टाइटल डीड / लीज डीड कंपनी के नाम पर हैं 174,76.74 लाख रुपये मूल्य की 2.731 हेक्टेयर भूमि को छोडकर, जिसके लिए कंपनी के नाम पर स्वत्व विलेखों का पंजीकरण, कार्य प्रगति पर है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, प्रलेखन प्रगति पर है और उक्त मामले को केरल सरकार के राजस्व विभाग द्वारा संभाला जा रहा है।

2) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपकरणों के भंडार होने के कारण मालसूची का वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, कंपनी के आकार के संदर्भ में सत्यापन की आवृत्ति उचित है। इसके अलावा, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

3) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कंपनी ने कोई भी , सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

4) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण अनुदान, निवेश और गारंटी और प्रतिभूतियां प्रदान करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया है।

5) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। अतः, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

6) कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अतः आदेश के खंड 3(vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

7) सांविधिक देय राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

क) कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और उस पर लागू अन्य सांविधिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करते हैं।

ख) दिनांक 31 मार्च, 2021 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक देय बकाया के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है।

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2021 तक निम्नलिखित को छोडकर आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, माल और सेवा कर, उपकर का कोई बकाया नहीं है।

क्रम सं.	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (दंड सहित) रुपये में	संबंधित राशि की अवधि	फोरम जहां विवाद लंबित है
1	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	8096 225	2013-14, 2014-15 & 2015-16	आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)

8) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर, वित्तीय संस्थानों, बैंकों या सरकार को ऋण या उधार के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है;

क्रम सं.	देय राशि का विवरण	ऋण	
		राशि (रुपए लाखों में)	अवधि (दिनों की संख्या)
1	देय पीटीए राशि और भारत सरकार को देय - तीसरा किस्त *	33 17.77	59
	कुल	**3317.77**	

** चुकौती की नियत तारीख 15 सितंबर 2020 थी। केरल सरकार से निधि प्राप्त करने की तिथि 06 नवंबर 2020 थी। दिनांक 12 नवंबर, 2020 को केरल सरकार से 'वेयस एंड मीन्स' अनुमति प्राप्त करने के बाद, भारत सरकार को निधि का भुगतान किया गया ।*

9) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण के माध्यम से जुटाई गई धनराशि, प्रथम दृष्ट्या, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उस उद्देश्य के लिए लागू की गई है जिसके लिए उन्हें लिया गया था। कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।

10) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से निष्पादित परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी सूचित नहीं की है या रिपोर्ट की गई है।

11) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463 (ई) दिनांकित 5 जून 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

12) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और अतः आदेश के खंड 3 (xii) के तहत रिपोर्टिंग के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

13) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जहां लागू हो, कंपनी के संबंधित पार्टियों के साथ का लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, और ऐसे लेनदेन का आवश्यक विवरण लागू लेखा मानकों के अनुसार भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में प्रकट किया है।

14) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और तुलन पत्र की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं बनाया

है और अतः आदेश के खंड 3 (xiv) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

15) प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 में संदर्भित अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

16) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ह0/-
कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकर
एफ़आरएन: 004610S
यूडीआईएन: 21232723AAAACN6851

सी ए . विष्णु मोहन
सहभागी | सदस्य सं. 232723

स्थान : कोचीन
दिनांक: 05 अगस्त 2021

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक बी

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए दिनांक 05 अगस्त, 2021 की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 1 के तहत संदर्भित
'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट'

क्रम. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सामान्य निर्देश	सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ
1	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के अलावा लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, निर्दिष्ट करें।	जी हां, कंपनी के पास आईटी प्रणाली, अर्थात् एसएपी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा किए गए सत्यापन और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का कोई भी उदाहरण हमारे सामने नहीं आया है, जिसका लेखों की अखंडता और परिणामी वित्तीय निहितार्थ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो।
2	क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण की के लिए छूट/ऋण समाप्ती/ऋण/ब्याज आदि के मामले पर पुनर्गठन किया गया ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में निर्दिष्ट करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक तरह से हिसाब लगाया जाता है ?	वर्ष के दौरान ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण की के लिए छूट/ऋण समाप्ती/ऋण/ब्याज आदि के मामले पर पुनर्गठन आदि कोई मामला नहीं है।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों	हमारे सामने प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के सत्यापन पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि

क्रम. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सामान्य निर्देश	सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ
	के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को निर्दिष्ट करें।	आमतौर पर अनुबंध 1 में उल्लिखित उदाहरणों को छोड़कर इसके नियमों और शर्तों के अनुसार हिसाब / उपयोग किया जाता है।

ह0/-
कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकर
एफ़आरएन: 004610S
यूडीआईएन: 21232723AAAACN6851

सी ए . विष्णु मोहन
सहभागी | सदस्य सं. 232723

स्थान : कोचीन
दिनांक: 05 अगस्त 2021

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर जारी कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड की दिनांक 05 अगस्त, 2021 की रिपोर्ट के बिंदु 3 में संदर्भित अनुलग्नक 1

(राशि रुपए लाखों में)

क्रम सं.	उन विशिष्ट योजनाओं का विवरण जिनके लिए धन प्राप्त किया गया था	दिनांक 31 मार्च, 2021 तक केरल सरकार से प्राप्त (जीओके) राशि	दिनांक 31 मार्च, 2021 तक योजना के लिए उपयोग की गई राशि जिसके लिए निधि प्राप्त की गई थी	31 मार्च, 2021 तक अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई राशि
1	कुन्नरा पार्क से पेट्टा तक पीडब्ल्यूडी रोड चौडीकरण का प्रारंभिक कार्य	22 35.00	19 43.21	2 91.79
2	रेल ओवर ब्रिज-पच्चालम के निर्माण हेतु प्रारंभिक कार्य	52 59.00	23 66.57	28 92.43
3	इडप्पल्ली से जेएलएन स्टेडियम/कलूर तक इडप्पल्ली-हाई कोर्ट रोड के सुधार हेतु प्रारंभिक कार्य	34 00.00	15 95.91	18 04.09
4	जीओ (एमएस) संख्या 110/2013/ट्रांस दिनांकित 07.12.2013 में सूचीबद्ध विभिन्न प्रारंभिक कार्य	2 36 00.27	2 10 66.23	25 34.04
5	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इन्फोपार्क से होकर काक्कनाड तक के नई मेट्रो लाइन के प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण	20 00.00	75.94	19 24.06
6	बकाया एएफडी ऋण की पहली से चौथी किस्त की चुकौती पुनर्भुगतान और भारत सरकार को देय	139 96.00	13 271.07	7 24.93
	उप जोड़	**504 90.27**	**403 18.93**	**101 71.34**
	कम करें: केएमआरएल द्वारा विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधि से अधिक खर्च की गई अतिरिक्त राशि;			
7	चरण 1ए (पेट्टा से एसएन जंक्शन/त्रिप्पुनित्तुरा) के लिए प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण	61 20.00	69 12.28	(7 92.28)
	दिनांक 31 मार्च, 2021 तक अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई कुल राशि			**93 79.06**

टिप्पणी -

1. उपरोक्त कार्यों की दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति नीचे दी गई है;

क. क्रम सं. 1,3,4, एवं 5 के तहत का कार्य प्रगति पर है।

ख. क्रम सं.2 के तहत का काम पूरा हो गया है।

ग. क्रम सं. 6 में बताई गई राशि अधिक मात्रा में प्राप्त निधि है, जिसे वर्ष 2021-22 के लिए अनुरोधित निधि के रूप में समायोजित किया गया है।

2. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने दिनांक 31.03.2021 तक केरल सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त राशि के लिए 31 मार्च 2021 को 50 25.06 लाख रुपए की कुल राशि के लिए सावधि जमा और स्वीप इन डिपॉजिट (विशिष्ट प्रयोजन के लिए निर्धारित के अलावा) भी बनाया रखा है।

स्थान : कोचीन
दिनांक: 05 अगस्त, 2021

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों को समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ग

('अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत अनुच्छेद 3 (एफ) में संदर्भित हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च 2021 तक के कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड ('कंपनी') के समसख्यक तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय शासनपत्रित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा ("मार्गदर्शन नोट") के मार्गदर्शन नोट में कथित के अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण" मानदंड के आधार पर कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित जिम्मेदारियों में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो कंपनी की नीतियों के पालन सहित,अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहे थे, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना और रोकथाम, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी आदि शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी मानकों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानकों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक और भारतीय शासनपत्रित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट के आधार पर किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें, इस बारे में कि क्या इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि प्रमुख रूप से ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं आदि शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक

वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यदि एक प्रमुख कमज़ोरी मौजूद है तो उक्त जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना आदि शामिल है। चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में हुए महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हम मानते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह पर्याप्त और उपयुक्त है।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

1. रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंध में, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाया जाता है;

2. उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है,और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

3. कंपनी की परिसंपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटानजिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, का रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण के ओवरराइड सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकता है और इसे पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन हैं जोकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण, नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के सभी प्रमुख मामलों में, इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर और आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए और इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली दिनांक 31 मार्च 2021 को प्रभावी ढंग से जारी है।

ह0/-
कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकर
एफ़आरएन: 004610S
यूडीआईएन: 21232723AAAACN6851

सी ए . विष्णु मोहन
सहभागी | सदस्य सं. 232723

स्थान : कोचीन
दिनांक: 05 अगस्त 2021

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2021 को	31.03.2020 को
पारिसंपत्तिया			
(I) गैर-चालू पारिसंपत्तिया			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2.क	5606 99.01	5396 05.94
(ख) पूँजीगत कार्य प्रगति पर	2.ख	224 82.65	241 37.58
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3.क	31 50.65	32 36.38
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3.ख	-	-
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ		-	-
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4	693 56.93	343 80.60
(च) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	5	277 90.02	287 39.24
कुल गैर चालू परिसंपत्तिया (I)		**6834 79.27**	**6300 99.74**
(II) चालू परिसंपत्तिया			
(a)वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	6	9 65.09	13 52.71
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	7	125 48.20	14 30.61
(iii) अन्य बैंक बकाया	8	33 39.50	33 39.50
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	122 35.10	206 38.27
(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	10	10 64.23	8 72.51
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (II)		**301 52.12**	**276 33.60**
कुल परिसंपत्तियाँ (I) +(II)		**7136 31.38**	**6577 33.34**
इक्विटी एवं देयताएँ			
(I) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	11	1507 46.00	1507 46.00
(ख) अन्य इक्विटी	12	1034 40.87	815 89.47
कुल इक्विटी (I)		**2541 86.87**	**2323 35.47**
देयताएँ			
(II) गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) ऋण	13	3900 70.92	3228 86.97
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	14	62 26.28	83 16.98
(ख) प्रावधान	15	16 19.31	12 41.19
(ग) अमूर्त कर देयताएँ	16	-	-
(घ) अन्य गैर चालू देयताएँ	17	7 65.55	9 49.39
कुल गैर चालू देयताएँ (II)		**3986 82.06**	**3333 94.53**
(III) चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) ऋण	18	20 77.42	85 30.08
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	19	566 89.52	760 81.71
(ख) अन्य चालू देयताएँ	20	18 80.20	72 64.66
(ग) प्रावधान	21	1 15.31	1 26.89
कुल चालू देयताएँ (III)		**607 62.45**	**920 03.34**
कुल इक्विटी एवं देयताए (I) + (II) + (III)		**7136 31.38**	**6577 33.34**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	1		
वित्तीय विवरण के भाग के रूप में गठित टिप्पणी पर ध्यान दें	2-30		

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

समसंख्यक तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकार
एफ़आरएन 004610S
यूडीआईएन:21232723AAAACN6851

ह0/-
के आर ज्योतिलाल
प्रबंध निदेशक
(डिन : 01650017)

ह0/-
कुमार के आर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
☐ (डिन : 08106837)

ह0/-
श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

ह0/-
विष्णु मोहन
सहभागी
सदस्यता सं.. 232723

स्थान : कोचीन
दिनांक : 05.08.2021

स्थान : कोचीन
दिनांक : 05.08.2021

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
I संचालन से राजस्व	22	39 96.98	94 02.98
II अन्य आय	23	127 49.08	40 92.07
III **कुल आय (I + II)**		**167 46.06**	**134 95.05**
IV **व्यय :**			
परिचालन व्यय	24	40 68.62	45 11.09
कर्मचारी लाभ व्यय	25	42 80.35	41 54.82
वित्त लागत	26	187 87.03	162 18.84
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	27	201 40.83	169 50.68
अन्य व्यय	28	28 86.86	27 19.96
कुल व्यय (IV)		**501 63.69**	**445 55.39**
V **कर के पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)**		**(334 17.63)**	**(310 60.34)**
VI कर व्यय:			
(1) कर पूर्व समायोजन		-	-
(2) अमूर्त कर		-	-
		-	-
VII **अवधि के दौरान हानि/लाभ (V - VI)**		**(334 17.63)**	**(310 60.34)**
VIII **अन्य व्यापक आय**			
मदें जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।			
- रोजगार के बाद के लाभ दायित्वों का पुनः मूल्यांकन		(23.03)	(21.64)
उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं		-	-
		(23.03)	**(21.64)**
IX **वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+ VIII) (वर्ष के लिए लाभ/हानि**		**(334 40.66)**	**(310 81.98)**
X **प्रति इक्विटी शेयर आय :**	29		
(1) मूल और डायलूटिव		**(22.18)**	**(20.62)**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	1		
वित्तीय विवरण के भाग के रूप में गठित टिप्पणी पर ध्यान दें	2-30		

समसंख्यक तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकर
एफ़आरएन 004610S
यूडीआईएन:21232723AAAACN6851

ह0/-
विष्णु मोहन
सहभागी
सदस्यता सं.. 232723

स्थान : कोचीन
दिनांक : 05.08.2021

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह0/-
के आर ज्योतिलाल
प्रबंध निदेशक
(डिन : 01650017)

ह0/-
श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

ह0/-
कुमार के आर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
(डिन : 08106837)

स्थान : कोचीन
दिनांक : 05.08.2021

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
क. संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अवधि के दौरान शुद्ध लाभ/(हानि)	(334 40.66)	(310 81.98)
समायोजन :		
(लाभ) /परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि (निवल)	4.56	8.89
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	201 40.83	169 50.68
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	1 24.06
व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि	13.44	1 59.53
ब्याज आय	(4 40.75)	(42.57)
वित्तीय लागत	155 28.59	137 22.10
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	8.20	-
एफ़वीटीपीएल पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाला शुद्ध लाभ	(9 20.93)	(8 53.03)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/(हानि)	**8 93.28**	**(10 12.32)**
परिचालन संपत्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन		
वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(71 56.74)	(79 47.91)
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(9 55.71)	(104 08.92)
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(1 91.72)	(112 10.08)
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	3 66.55	4 61.94
अन्य देय राशि में (वृद्धि)/कमी	7 86.64	122 84.86
परिचालन गतिविधियों (ए) से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(62 57.70)**	**(178 32.43)**
ख.निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए भुगतान	(72 61.86)	(20 57.31)
पूंजी अग्रिम सहित पूंजी डब्ल्यूआईपी के लिए भुगतान	(433 81.65)	(608 54.95)
प्राप्त ब्याज आय	3 79.51	50.53
निवेश गतिविधियों (बी) से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(502 64.00)**	**(628 61.73)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लंबी अवधि के ऋण होने की आय	614 37.22	429 45.17
भारत सरकार की ओर से पास थ्रू सहायता से प्राप्त होने वाली राशि	24 46.67	-
केरल सरकार से उप-ऋण होने के नाते आय	625 87.34	477 39.51
बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण होने की आय	(64 52.66)	85 30.08
पट्टा देयताओं का भुगतान	(1.35)	-
भुगतान की गई वित्त लागत	(250 64.99)	(144 93.05)
वर्ष के दौरान चुकाया गया ऋण	(273 12.95)	(30 00.00)
वित्तीय गतिविधियों (सी) से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह	**676 39.28**	**817 21.71**
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क) + (ख) + (ग)	**111 17.59**	**10 27.55**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	**14 30.61**	**4 03.06**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**125 48.20**	**14 30.61**
को शामिल करना		
अथ शेष	14.74	.40
बैंकों के साथ शेष राशि:		
- चालू और स्वीप-इन खाते	83 43.46	14 29.56
- सावधि जमा (बारह महीने से कम की परिपक्वता के साथ)	41 90.00	.65
कुल	**125 48.20**	**14 30.61**

समसंख्यक तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकार
एफ़आरएन 004610S
यूडीआईएन:21232723AAAACN6851
ह0/-
विष्णु मोहन
सहभागी
सदस्यता सं.. 232723

स्थान : कोचीन
दिनांक : 05.08.2021

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह0/-
के आर ज्योतिलाल
प्रबंध निदेशक
(डिन : 01650017)

ह0/-
श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

ह0/-
कुमार के आर एवं सी एफ़ ओ
निदेशक (वित्त)
(डिन : 08106837)

स्थान : कोचीन
दिनांक : 05.08.2021

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तन का विवरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	इक्विटी शेयर पूँजी	अन्य इक्विटी						
		अमूर्त आय - आर्थिक अनुदान			अमूर्त आय- गैर मौद्रिक अनुदान	आरक्षित और अधिशेष	अन्य व्यापक आय	कुल
		ब्याज मुक्त उप ऋण - केंद्र सरकार	ब्याज मुक्त उप ऋण - केरल सरकार	राज्य करों का प्रतिपूर्ति- केरल सरकार	केरल सरकार	प्रतिधारित उपार्जन		
अप्रैल 1, 2019 को बकाया	1507 46.00	213 24.86	886 70.82	171 04.72	138 38.52	(490 08.71)	(27.99)	919 02.22
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	(1 24.06)		(124.06)
1 अप्रैल 2019 को बकाया राशि (पुनः कथित)	**1507 46.00**	**213 24.86**	**886 70.82**	**171 04.72**	**138 38.52**	**(491 32.77)**	**(27.99)**	**917 78.16**
जोड़ें: वर्ष के लिए व्यापक लाभ/(हानि) बहाल	-	-	-	-	-	(310 60.34)	(21.64)	(310 81.98)
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-	-	177 49.09	58 89.37	91.91	-	-	237 30.37
कम करें : वर्ष के दौरान के लाभ में हस्तांतरण	-	(3 61.77)	(16 38.41)	(8 36.90)	-	-	-	(28 37.08)
31 मार्च 2020 को बकाया राशि (पुनः कथित)	**1507 46.00**	**209 63.09**	**1047 81.50**	**221 57.19**	**139 30.43**	**(801 93.11)**	**(49.63)**	**815 89.47**
1 अप्रैल 2020 को बकाया राशि (पुनः कथित)	1507 46.00	209 63.09	1047 81.50	221 57.19	139 30.43	(801 93.11)	(49.63)	815 89.47
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
	1507 46.00	**209 63.09**	**1047 81.50**	**221 57.19**	**139 30.43**	**(801 93.11)**	**(49.63)**	**815 89.47**
जोड़े : वर्ष के लिए व्यापक लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-	(334 17.63)	(23.03)	(334 40.66)
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-	-	592 54.59	-	-	-	-	592 54.59
कम करें : वर्ष के दौरान के लाभ में हस्तांतरण	-	(3 98.95)	(26 42.14)	(9 21.44)	-	-	-	(39 62.53)
31 मार्च, 2021 को बकाया	**1507 46.00**	**205 64.14**	**1613 93.95**	**212 35.75**	**139 30.43**	**(1136 10.74)**	**(72.66)**	**1034 40.87**

सम तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकर
एफ़आरएन 004610S
यूडीआईएन:21232723AAAACN6851

ह0/-
विष्णु मोहन
सहभागी
सदस्यता सं.. 232723

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह0/-
श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

ह0/-
के आर ज्योतिलाल
प्रबंध निदेशक
(डिन : 01650017)

ह0/-
कुमार के आर
निदेशक (वित्त) एवं सी एफ़ ओ
(डिन : 08106837)

स्थान : कोचीन
दिनांक : 05.08.2021

स्थान : कोचीन
दिनांक : 05.08.2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

निगमित जानकारी

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड (एतद् पश्चात "कंपनी" या केएमआरएल के रूप में संदर्भित) कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों तहत दिनांक 2 अगस्त 2011 को CIN: U60100KL2011SGC029003 के साथ निगमित है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थ के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है।

कंपनी भारत सरकार (जीओआई) और केरल सरकार (जीओके) के तुल्य इक्विटी भागीदारी के साथ गठित एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी मुख्य रूप से कोच्ची शहर में मेट्रो रेल परियोजना की अवधारणा और संचालन में शामिल है। शहर में एक मल्टी मोडल परिवहन प्रणाली के स्थाई संचालन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी को मेट्रो नेटवर्क के बाद के विस्तार कार्य, इसका संचालन, रखरखाव और संबद्ध गतिविधियों के कार्यों को भी सौंपा गया है। कंपनी ने अपनी वाणिज्यिक परिचालन दिनांक 19.06.2017 को शुरू किया। कंपनी की राजस्व धाराओं में यात्रियों से किराया संग्रह, संपत्तियों और विज्ञापन स्थानों का लाइसेंस/पट्टे पर देना और अन्य संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना आदि शामिल है।

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1.1 अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 की धारा 133 के तहत समय-समय पर संशोधित भारतीय लेखा मानकों ("आईएनडी एएस" के रूप में संदर्भित) और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

1.1. क. तैयारी का आधार

इन वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य राशि पर मापा गया है; प्रोद्भवन के आधार पर हिस्टोरिकल कोस्ट कन्वेन्शन पर तैयार किए गए हैं:

क. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ और आकस्मिक विचार;

ख. परिभाषित लाभ योजनाएँ - उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियाँ;

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों ('आईएनडी एएस') के अनुपालन के अनुरूप और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित नियमों सहित तैयार किए गए हैं।

लेखाकरण नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां एक नए प्रकार जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो। कंपनी द्वारा आम तौर पर उद्योग में प्रचलित नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया गया है।

1.2 अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) की मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को कुछ अनुमान और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता होती है, जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्ति की रिपोर्ट की गई मात्रा, देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार प्रकटीकरण और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय को प्रभावित करते हैं। कुछ अनुमानों को दूसरों की तुलना में लागू करने के लिए उच्च स्तरीय निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रबंधन उपलब्ध जानकारी और उसके अनुभव के आधार पर लगातार अपने सभी अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन करता है और विश्वास करता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात या भौतिक रूप से ज्ञात होते हैं।

निवेश की हानि, संपत्ति के उपयोगी जीवन, संयंत्र और उपकरण, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन, प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं से संबन्धित वित्तीय विवरणों की तारीख पर अनिश्चितता के आकलन के प्रमुख स्रोत, जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशियों में एक महत्वपूर्ण समायोजन का कारण बन सकता है।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा करती है। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि क्या कोई मद परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि पूंजीकरण की गारंटी दी जा सके और परिसंपत्ति के किस घटक को पूंजीकृत किया जा सके। उपयोगी जीवन का पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन कर सकता है।

यदि पिछले अनुमानों से महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं तो भविष्य की अवधि के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन संशोधित किया है।

ख) अमूर्त कर परिसंपत्तियों की मान्यता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में अमूर्त कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है। अमूर्त कर मदों के तत्वों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। उसी के लिए नीति को टिप्पणी 1.23 के तहत वर्णित किया गया है।

ग) पट्टे

कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टे के

योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। पट्टा अवधि का आकलन करने में (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर पर कंपनी महत्वपूर्ण निर्णयों लेती है।

पट्टे की व्यवस्था का वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण कई कारकों के आकलन पर आधारित है, जैसेकि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, पट्टेदार की खरीद का विकल्प और ऐसे विकल्प के प्रयोग की अनुमानित निश्चितता, परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे पर दी गई संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा आदि शामिल है।

उक्त नीति टिप्पणी 1.28. के तहत वर्णित किया गया है।

घ) अग्रिमों/प्राप्तियों की वसूलीयोग्यता

कंपनी व्यापार और अन्य प्राप्तियों की वसूली के आकलन के आधार पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान करती है। पहचान के लिए निर्णय और अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है। प्रत्येक तुलन पत्र के तिथि पर, अपेक्षित जीवन पर देखी गई ऐतिहासिक डिफ़ॉल्ट दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्राप्तियों और अग्रिमों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि का आकलन करता है।

ई) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व होने पर एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारी लाभ को छोड़कर) को इसके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है और तुलन पत्र के तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। एक आकस्मिक परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन वित्तीय विवरणों में एक टिप्पणी के रूप में इसका प्रकटीकरण किया है।

च) रोज़गार के बाद के हितलाभ योजनाएँ

कर्मचारी लाभ दायित्वों को परियोजना इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें नाश का दर और निकासी दर के साथ-साथ छूट दरों में भविष्य के विकास के संबंध में मान्यता, बढ़ती दर और मुद्रास्फीति दर आदि शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि अपने दायित्वों को मापने के लिए उपयोग

की जाने वाली मान्यताएँ उपयुक्त और दस्तावेज़ित हैं हालांकि, इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का गणनाओं पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

छ) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि परीक्षण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की मान्यताओं के निर्णय के आधार पर निर्धारित की जाती है। इन मान्यताओं में कोई भी परिवर्तन वसूली योग्य राशि के मापन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

ज) प्राप्य व्यापार और ऋण एवं अग्रिम

संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों/ऋणों और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता दी जाती है, जब वसूली की अनिश्चितता होती है, भले ही इसके देय राशि की अवधि की परवाह किए बिना और अवास्तविकता स्थापित होने पर बट्टे खाते में डाल दिया जाए।

1.2.1 कोविड-19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान

कोविड 19 महामारी के फैलाव ने भारत सहित दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। कोविड -19 महामारी के कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार दिनांक 22 मार्च 2020 से 6 सितंबर 2020 तक मेट्रो संचालन को निलंबित कर दिया गया था।

कंपनी ने उन संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो कोविड -19 से संबंधित महामारी के कारण प्राप्य राशियों और बिल न किए गए राजस्व पर हो सकते हैं। इस महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं को देखते हुए, कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार, वहन मूल्यों पर इसके प्रभाव की समीक्षा की और निर्णय लिया है और अन्य मेट्रो द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर भरोसा किया है। कोविड -19 के प्रभाव का एक निश्चित मूल्यांकन परिस्थितियों पर निर्भर करता है क्योंकि वे भविष्य की अवधि में प्रकट होते हैं।

1.3 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

1.4 राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरणों और टिप्पणियों में दिए गए सभी राशियों को निकटतम हज़ारों में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

1.5 राजस्व मान्यता

क) किराया संग्रह से होने वाली आय को टिकटों की बिक्री, यात्रा पास की बिक्री, स्मार्ट कार्ड के मामले में वास्तविक उपयोग के पैसे मूल्य और अन्य प्रत्यक्ष किराया संग्रह के आधार पर पहचाना जाता है। राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशि रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट और छूट के निवल राशि है।

ख) परिसंपत्ति के लाइसेंस /किराए की आय को लाइसेंसधारी/पट्टेदार के साथ अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है और अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ग) रद्दीमाल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशियाँ, निवल रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट, माल तथा सेवा कर और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि आदि है। राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तब कंपनी राजस्व का प्रकटीकरण करता है और भविष्य के आर्थिक लाभ संस्था को प्रवाहित होने की संभावना है।

घ) प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय को प्रोद्भवन के आधार पर पहचाना जाता है।

ङ.) परामर्श सेवाओं से प्राप्त आय को निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है, अन्यथा जहां अनुबंध प्रदान करने वाले मामलों को छोड़कर मान्यता प्राप्त है।

च) अन्य आय को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

1.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर) को उनकी अधिग्रहण लागत/ऐतिहासिक लागत कम संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, पर वर्णित किया गया है। कंपनी सकल वहन राशि निर्धारित करने के लिए लागत मॉडल अपना रही है।

स्थाई परिसंपत्ति की लागत में किसी भी आयात शुल्क और वसूली योग्य करों सहित इसकी खरीद मूल्य और इसके सीधे उपयोग के लिए परिसंपत्ति को तैयार करने पर कोई भी सीधा व्यय शामिल है।

निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर जमा कार्यों/अनुबंधों को और उसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। लागत में उस तारीख तक की अर्हक स्थाई परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उधार पर ब्याज भी शामिल है, जिस तारीख तक परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार है और किसी भी व्यापार बट्टा और छूट और अन्य आकस्मिक खर्चों का शुद्ध और निराकरण की लागत का एक प्रारंभिक अनुमान, यदि कोई हो, भी शामिल है। उपयोग में लाई गई परिसंपत्ति के मामले में, जहां बिलों का अंतिम निपटान होना बाकी है, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन पूंजीकरण अनंतिम आधार पर किया जाता है।

एक वर्ष से अधिक के उपयोगी जीवन वाले पुर्जो को संबंधित शीर्षों के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के कुछ हिस्सों के अलग उपयोगी जीवन हैं, तो उन्हें अलग-अलग मदों (प्रमुख घटकों) के रूप में लेखाकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित प्रतिस्थापन पुर्जों /प्रमुख निरीक्षण की लागत केवल पूंजीकृततभी किया जाता है जब यह संभावना हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है।

जनता के लिए खोले जाने वाले नए खंड के लिए परिसंपत्ति का पूंजीकरण प्रशासनिक औपचारिकताओं के अनुसार, सभी प्रकार से पूर्णता सुनिश्चित करने के बाद और इस तरह के खंड के उद्घाटन के लिए "मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त" द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को "अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों" के तहत "पूंजीगत अग्रिम" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ऐसी तारीख से पहले उपयोग में नहीं आने वाली परिसंपत्तियों की लागत "पूंजीगत कार्य-प्रगति" के तहत प्रकट की जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से संबंधित बाद के व्ययों का पूंजीकरण केवल तभी किया जाता है जब यह संभावना हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता हो।

परिसंपत्ति की बिक्री या समापन पर वित्तीय विवरणों से लागत और संबंधित संचित मूल्यह्रास समाप्त कर दिया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

1.7 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्ति को लागत कम संचित परिशोधन और हानि पर निर्दिष्ट है। अमूर्त परिसंपत्तियों को उस तारीख से जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

ब्रांडिंग लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और पांच साल की अवधि में एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

रेलवे को वे लीव चार्ज होने के नाते, उपयोग के अधिकार (अनुमति) के लिए रेलवे को भुगतान की गई राशि,अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत है और सत्तर वर्षों की अवधि में एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया गया।

सॉफ्टवेयर की लागत जो आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, जिसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और पांच वर्षों की अवधि में एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

1.8. पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडबल्यूआईपी) और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

तुलन पत्र की तारीख में निर्माणाधीन परिसंपत्तियों को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में दिखाया गया है। निर्माण गतिविधि से सीधे संबंधित व्यय पूंजीकृत किया गया है। परियोजना के विभिन्न घटकों के फलस्वरूप सभी प्रत्यक्ष व्यय सीडब्ल्यूआईपी के रूप में मापा जाता है। बाहरी उधार पर सामान्य व्यय और ब्याज जो सीधे निर्माण गतिविधियों से संबंधित हैं, लेकिन कार्यों के एक से अधिक घटकों के फलस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी के तहत निर्माण के दौरान खर्च के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे पूरा होने पर विभिन्न परिसंपत्तियों में आबंटित किया जाता है। मूल्य परिवर्तन सहित दावे प्राप्ति पर लेखांकित किए जाते हैं।

जमा कार्य/अनुबंध के रूप में निष्पादित परियोजनाओं के जो कार्य प्रगति पर है, उसे निष्पादन एजेंसी से प्राप्त व्यय विवरण के आधार परऔर इसकी अनुपस्थिति में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त हैं। अधिशेष परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज सीडब्ल्यूआईपी से घटा दिया गया है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे कि अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज (इक्विटी और ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से प्राप्त धन की अस्थाई परिनियोजन के अलावा), ठेकेदार को मोबिलाइज़ेशन अग्रिम पर ब्याज, निविदा दस्तावेज आदि की बिक्री सीडब्ल्यूआईपी के लिए व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

सीधे परियोजना के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक और सामान्य उपरिव्यय (आय का शुद्ध) सीडब्ल्यूआईपी की कुल लागत के लिए पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं।

1.9 भूमि

भूस्वामियों द्वारा सौंपी गई और कंपनी द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से ली गई भूमि का मूल्य जिला कलेक्टर के तत्वावधान में कार्यरत भूमि कंपनी के नाम पर टाइटल डीड के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिनाअधिग्रहण इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर पूंजीकृत किया गया है। अस्थायी रूप से किए गए भुगतान/लागत के लिए प्रदान की गई देयता या कब्जे में भूमि से संबंधित मुआवजे को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है। निर्माण के लिए सौंपी गई विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों से संबंधित भूमि का मूल्य, चूंकि देय राशि पूंजीकृत नहीं किया गया है और अन्य शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है अतः निर्धारित नहीं किया गया है।

वर्धित क्षतिपूर्ति , यदि कोई हो, “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार” के तहत जब भुगतान किया जाता है, तब बुक किया जाएगा और भूमि की लागत के रूप में माना जाएगा, चूंकि राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। भूमि में संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत और भूमि भरने का व्यय भूमि की लागत में प्रभारित किया जाता है। राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क प्राप्त भूमि, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास है, को सरकारी आदेश के आधार पर मान्यता प्राप्त है और भूमि के बाजार मूल्य पर, जिसकी गणना "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार"

की धारा 26 के आधार पर की जाती है और भूमि का कब्जा सौंपते समय भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदान के रूप में माना जाता है।

1.10. परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में परिसंपत्तियों के वहन मूल्यों की हानि के लिए समीक्षा की जाती है, यदि कोई हो। यदि ऐसी हानि का कोई संकेत मौजूद है, ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और हानि की पहचान की जाती है। पहचानी गई हानि को लाभ और हानि विवरण में दिया जाता है, उस वर्ष में जिसमें एक परिसंपत्ति को बिगड़ा हुआ के रूप में पहचाना जाता है। वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति के उचित मूल्य से निपटान की लागत कम करके और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, मानी जाती है।

1.11. इन्वेंटरी

ढीले उपकरणों सहित इन्वेंटरी का मूल्य लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो कम हो, पर किया जाता है।

1.12. संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब वसूली की अनिश्चितता होती है, भले हीइसके देय राशि की अवधि की परवाह किए बिना और अवास्तविकता स्थापित होने पर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

1.13. बीमा दावे

बीमा दावों की पहचान बीमा कंपनी द्वारा दावों की स्वीकृति के आधार पर की जाती है।

1.14. मूल्यह्रास और परिशोधन

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार और कुछ परिसंपत्तियों/संपत्ति के घटकों के मामले को छोड़कर जहां तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन निर्धारित किया जाता है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

(ii) उपयोग के अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत के कम समय में या पट्टे की अवधि का अंत तक उपयोग के अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से एक सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु और कोई महत्वपूर्ण हिस्सा जो शुरू में मान्यता प्राप्त है, निपटान पर अमान्य कर दिया गया है या जब इसके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं है। जब संपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है, परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई लाभ/हानि, को लाभ और हानि का विवरण में शामिल करते हैं।

(iv) संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन जहां जहां डीएमआरसी द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया जाता है, जबकि हस्तांतरित वक्त चरण I की परिसंपत्ति निम्नानुसार हैं;

परिसंपत्ति का विवरण	**परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन (वर्षों में)**
बिल्डिंग थीमिंग (उप परिसंपत्ति)	10
रॉलिंग स्टॉक	30
रॉलिंग स्टॉक के घटक	18
एस्केलेटर और लिफ्ट	
लिफ़्ट	30
लिफ्ट अन्य घटक	20
एस्केलेटर	30
एस्केलेटर और अन्य घटक	15
यूपीएस बैटरी के घटक	10
ए टाइप सीढ़ी-4-मीटर ऊँचाई	2
स्काड़ा सर्वर (मुख्य और स्टैंडबाय)	3
कम मूल्य वाले परिसंपत्तियाँ (प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए से कम)	1
रेलवे को मार्ग अवकाश प्रभार *	70
ब्रांडिंग	5

(v) सभी स्थाई परिसंपत्तियों के लिए 5% का अवशिष्ट मूल्य बरकरार रखा गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुरूप है।

(vi) 5,000/- रुपए की लागत के संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति (कम मूल्य की परिसंपत्ति) को खरीद के वर्ष में मूल्यह्रास/परिशोधन किया जाता है।

(vii) घटकों का अधिकतम जीवन मुख्य परिसंपत्ति के जीवन तक सीमित कर दिया गया है।

(viii) वयाडक्ट, पुल और स्थायी मार्ग/ट्रैक का काम कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुरूप "पुल, कल्वेर्ट्स, बडेर्स आदि"। एक सीधी रखा पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है।

(ix) मदों पर व्यय, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, ऐसे व्यय के वर्ष में राजस्व के लिए वसूल किया जाता है।

(x) अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से, उसके उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम अनुमान पर व्यवस्थित आधार पर परिशोधन किया जाता है।

(xi) रेलवे को भुगतान किए गए मार्ग-अवकाश प्रभार अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं और 70 वर्षों (*) की अवधि में सीधी-रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।

(xii) कार्यालय उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मोबाइल फोन का उपयोगी जीवन, तीन साल तक अनुमानित किया है।

उपयोगी जीवन, बचत मूल्य और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के मूल्यह्रास की विधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

1.15. सरकारी अनुदान

सरकार से अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जहां एक उचित आश्वासन होता है कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी सभी संलग्न शर्तों का पालन करेगी। आय से संबंधित सरकारी अनुदान लाभ और हानि के विवरण में आस्थगित और मान्यता प्राप्त हैं उन लागतों के साथ उनका मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि के दौरान जिन्हें वे क्षतिपूर्ति करने और अन्य आय के भीतर प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं।

जब कंपनी गैर-मौद्रिक आस्तियों का अनुदान प्राप्त करती है, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित मूल्य राशि पर दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ या हानि के विवरण के लिए जारी किया गया।

जब ऋण या इसी तरह की सहायता सरकारों या संबंधित संस्थानों द्वारा वर्तमान लागू बाजार दर से कम ब्याज दर या ब्याज मुक्त के साथ प्रदान की जाती है,बाजार दर से कम/ब्याज मुक्त के लाभ को भारतीय लेखा मानक 109 के साथ पठित भारतीय लेखा मानक 113 के अनुसार निर्धारित ऋण के प्रारंभिक वहन मूल्य और प्राप्त लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है। "अन्य इक्विटी" के तहत आस्थगित आय के रूप में आर्थिक अनुदान को स्थापित करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया है और उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिसके दौरान भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार ऋण बकाया है। ऋण को बाद में वित्तीय देयताओं पर लागू लेखा नीति के अनुसार मापा जाता है।

1.16. वर्तमान बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

तुलन पत्र में परिसंपत्तियाँ और देयताएँ वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर नीचे दिखाए गए तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं;

एक परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब यह निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करता है:

- सामान्य परिचालन चक्र में साकार होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की अपेक्षा, या
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, या
- नकद या नकद समकक्ष, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए किसी दायित्व के आदान-प्रदान या उपयोग से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एक देयता को चालू रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब वह निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करता है:

- सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है, या
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर निपटारा होने के कारण, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू माना जाएगा।

1.17. बिक्री के लिए गैर चालू परिसंपत्तियाँ

कंपनी एक गैर-वर्तमान परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि इसकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस शर्त को तभी पूरा माना जाता है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो।

बंद परिचालन सहित गैर-चालू परिसंपत्तियां,बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत को वहन राशियों के निचले स्तर पर मापा जाता है और बिक्री के लिए उचित मूल्य घटाकर और वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। एक बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, परिसंपत्ति मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन नहीं हैं।

बंद किए गए परिचालनों की बिक्री या पुन: माप से उत्पन्न कोई लाभ या हानि लाभ और हानि के विवरण में एकल पंक्ति वस्तु के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

1.18. संचालन चक्र

कंपनी की परिचालन गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर और संपत्ति के अधिग्रहण के बीच सामान्य समय और नकद या नकद समकक्ष में उनकी प्राप्ति, कंपनी ने अपनी संपत्ति और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

1.19 वित्तीय उपकरण

क) प्रारंभिक मान्यता, माप और गैर-मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है।

सभी वित्तीय आस्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर लेनदेन लागतों द्वारा समायोजित किया जाता है, उन वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर, जिन्हें शुरुआत में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त हो जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और कार्य हस्तांतरित हो जाते हैं। एक वित्तीय देयता को मुक्त, समाप्त, रद्द या समाप्त होने पर अमान्य कर दिया जाता है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देशय के लिए, प्रारंभिक माप/मान्यता पर; वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर मापा जाना और;
- उचित मूल्य पर अनुवर्ती रूप से मापे जाने हेतु (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से)

ग) वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताओं को छोड़कर, प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

1.20. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

एक प्रावधान को तभी मान्यता दी जाती है जब,

क) पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) है।

ख) यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

ग) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधानों को तुलन पत्र की की तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है।

निम्न परिस्थिति में आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है,

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब कोई विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं है । आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर मापा जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र के तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालाँकि, जब आय की प्राप्ति लगभग निश्चित होती है, तो संबंधित परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है।

1.21. प्रतिबद्धताएँ

प्रतिबद्धताएँ संविदात्मक व्यय के लिए भविष्य की देयताएं हैं। प्रतिबद्धताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत और प्रकट किया जाता है:

क) पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाली शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य और प्रदान नहीं किया गया।

ख) अन्य गैर-रद्द करने योग्य प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जिस हद तक उन्हें प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक माना जाता है।

1.22. पूर्व अवधि समायोजन

त्रुटियों के कारण पूर्व अवधि समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर भौतिक प्रभाव, पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुन: प्रस्तुत करके जिसमें त्रुटि हुई थी या यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण को पुन: स्थापित करके ठीक किया जाता है।

1.23. कराधान

आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल हैं। वर्तमान और आस्थगित करों को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है, सिवाय जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हैं, इस मामले में, क्रमशः वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

वर्तमान कर

वर्तमान अवधि के लिए आय पर कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कर योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर और आकलन/अपील के अपेक्षित परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणी राशि और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है। आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है, जिनके विपरीत होने पर रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार परअस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां भविष्य में कर लाभ प्राप्त होने की संभावना हो। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब आस्थगित कर शेष एक ही कराधान प्राधिकारी से संबंधित हैं।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देयताओं को ऑफसेट किया जाता है जहाँ इकाई के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और या तो शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखता है, या परिसंपत्ति को स्पष्ट करने और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा रखता है।

1.24. विदेशी मुद्रा लेनदेन/अनुवाद

संस्था के वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें इकाई संचालित होती ("कार्यात्मक मुद्रा") है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए ("आईएनआर") में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन संबंधित लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर को अपनाते हुए कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किए जाते हैं।

वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित और विदेशी मुद्रा अनुबंधों द्वारा कवर नहीं की गई मौद्रिक वस्तुओं का अनुवाद "वर्ष के अंत की विनिमय दरों" पर किया जाता है। जबकि वायदा विनिमय अनुबंधों द्वारा कवर किए गए उनके संबंधित अनुबंधों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अनुवाद/निपटान पर उत्पन्न होने वाला कोई भी विनिमय अंतर लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा सहित मौद्रिक मदों को उस अवधि के लिए, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, भारतीय लेखा मानक 101 में दी गई स्वैच्छिक छूट के आधार पर भारतीय लेखा मानक 21 के तहत प्रदान किए गए दायरे को छोड़कर लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है ।

1.25 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं। योगदान का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि लेखे में किया जाता है। भविष्य निधि योजनाओं के तहत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी भी भविष्य निधि पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त भविष्य निधि पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं लिया जाता है और नियोक्ता के योगदान से भुगतान किया जाता है।

उपदान : चालू वर्ष के दौरान पात्र कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान के लिए प्रावधान किया गया है।

अर्जित और अर्ध-वेतन छुट्टी: कंपनी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है। संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है। संबंधित देयताओं की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी के अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों को उनके गृहनगर के साथ-साथ भारत में किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा के व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित देयता की पहचान अक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को रोज़गार लाभ

अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी लाभ का भुगतान विदेश सेवा योगदान (एफ़एससी) के रूप में उनके निर्देश के आधार पर उनके संबंधित मूल संगठन नियोक्ता को किया जाता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर देय ऐसे लाभों के लिए आवश्यक प्रावधान का अनुमान लगाया गया है और इसके लिए प्रावधान किया गया है।

भारतीय लेखा मानक 19 के तहत - इसकी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके अक्चुरीस द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है।

ब्याज आय / (व्यय) की गणना शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर छूट दर लागू करके की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर शुद्ध ब्याज आय/ (व्यय) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

अक्च्युरियल मान्यताओं और अनुभव समायोजन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुन: माप लाभ और हानि उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में होते हैं।

1.26 वित्त लागत

वित्त लागत में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के पुन: माप पर उत्पन्न होने वाले उधार, लाभ या हानि पर ब्याज लागत और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस सीमा तक शामिल किया जाता है, जिसे उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

धन उधार लेने के संबंध में लागत अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से सीधे संबंधित अर्हक परिसंपत्तियों को आबंटित किया जाता है, जो अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण/विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ से लेकर ऐसी परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित है। ऐसे उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित ब्याज आय, अर्हक परिसंपत्तियों पर उनके व्यय को लंबित रखते हुए, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत से काट ली जाती है। इसके बाद, उधार लेने की लागत को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

एक अर्हक परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है।

1.27 निर्माण के दौरान ब्याज का आबंटन

उधार लेने की लागत, उधार पर ब्याज होने के नाते जो सीधे तौर पर एक अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण/उत्पादन के लिए उत्तरदाई होते हैं, भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। वर्ष के दौरान चालू की गई अर्हक परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण के दौरान ब्याज, कमीशन की गई परिसंपत्तियों के मूल्य के अनुपात में के महीने के अंत में योग्यता पूंजी कार्य प्रगति के मूल्य के अनुपात में आबंटित किया जाता है।

1.28 पट्टे

पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब भी पट्टे की शर्तों के अनुसार, पट्टादाता पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों, सम्मानों को काफी हद तक हस्तांतरित करता है। अन्य सभी पट्टे संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

वित्त पट्टों को पट्टे की शुरुआत में पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर या, यदि कम हो, तो न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे के भुगतानों को वित्त प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि बकाया देयता पर ब्याज की एक स्थिर दर प्राप्त हो सके। लाभ और हानि के विवरण में वित्त प्रभारों को वित्त लागत के रूप में पहचाना जाता है, जब तक कि वे सीधे अर्हक परिसंपत्तियों के लिए जिम्मेदार न हों, उस स्थिति में उन्हें उधार लेने की लागतों की मान्यता पर सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे व्यय किए जाते हैं।

परिचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर लाभ और हानि विवरण में एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, सिवाय इसके कि जहाँ एक और व्यवस्थित आधार समय के पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि है जिसमें पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

1.29 सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंड है, जो मेट्रो रेल प्रणाली का विकास, संचालन और रखरखाव कर रहा है और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम और रिटर्न, संगठन संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर एकल परिचालन सेगमेंट में संचालित होता है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाली राशियाँ कंपनी के एकल व्यवसाय खंड से संबंधित हैं।

1.30 नकद और नकद समकक्ष (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए)

नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजन के राशि में हाथ में बकाया, सरकारी कोष और बैंकों के पास डिमांड जमा आदि शामिल हैं। नकद समकक्ष तीन महीने या उससे अधिक की मूल परिपक्वता लेकिन अधिग्रहण की तारीख से बारह

महीने से कम, के साथ अल्पकालिक शेष राशि है, अत्यधिक लिक्विड निवेश जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

1.31 नकदी प्रवाह विवरण

'नकदी प्रवाह विवरण' पर नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) - 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

1.32 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों को निरधारित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर लिक्विड आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों को निर्धारित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 2.ए : संपत्ति, संयंत्र, उपकरण

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन/कमी				सकल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2021 तक	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	1 मार्च 2021 तक	1 मार्च 2021 तक	1 मार्च 2020 तक
भूमि *(फ्रीहोल्ड) (टिप्पणी 2.1 देखें)*	878 92.73	75 65.50	-	954 58.23	.00	-	-	-	954 58.23	878 92.73
मकान	1218 70.10	84 22.55	-	1302 92.65	42 35.36	21 74.54	-	64 09.90	1238 82.75	1176 34.74
अस्थायी संरचनाएँ	6.89	-	-	6.89	3.31	2.26	-	5.57	1.32	3.58
वायडक्ट, पुल, सुरंग और पुलिया	2010 16.65	148 94.08	-	2159 10.73	123 79.71	67 63.50	-	191 43.21	1967 67.52	1886 36.94
संयंत्र एवं यंत्र	72 12.37	11 96.71	-	84 09.08	10 03.47	5 51.68	-	15 55.15	68 53.93	62 08.90
रोलिंग स्टॉक	758 24.52	-	-	758 24.52	50 77.94	27 61.49	-	78 39.43	679 85.09	707 46.58
एस्केलेटर एवं लिफ्ट	107 86.76	7 15.03	-	115 01.79	9 78.24	4 75.70	-	14 53.94	100 47.85	98 08.52
सिग्नलिंग और दूरसंचार उपकरण	163 77.37	31 02.37	-	194 79.74	23 69.74	13 81.79	-	37 51.53	157 28.21	140 07.63
सड़कें	12 52.52	21.39	-	12 73.91	3 38.08	1 23.46	-	4 61.54	8 12.37	9 14.44
फेंसेस, कुएं, ट्यूबवेल	1 82.97	1.47	-	1 84.44	46.41	34.95	-	81.36	1 03.08	1 36.56
कंप्यूटर	57 82.46	6 37.22	20.63	63 99.05	33 64.04	8 89.20	19.59	42 33.65	21 65.40	24 18.42
विद्युत उपकरण	326 36.60	29 10.61	.40	355 46.81	63 23.00	32 96.60	.20	96 19.40	259 27.41	263 13.60
केबल और नलिकाएं	96 34.22	6 78.28	-	103 12.50	11 13.51	5 33.09	-	16 46.60	86 65.90	85 20.71
स्विचिंग केंद्र	25 66.30	3 16.84	-	28 83.14	3 55.25	2 04.03	-	5 59.28	23 23.86	22 11.05
फर्नीचर व फिक्सचर	12 81.98	50.90	1.14	13 31.74	2 23.64	1 25.99	.71	3 48.92	9 82.82	10 58.34
कार्यालय उपकरण	38 51.04	3 67.20	22.81	41 95.43	8 12.55	4 73.09	15.71	12 69.93	29 25.50	30 38.49
कम मूल्य की परिसंपत्ति	5 99.40	2.11	-	6 01.51	5 99.40	2.11	-	6 01.51	-	-
वाहन	95.02	-	-	95.02	40.31	10.29	-	50.60	44.42	54.71
उपयोग का अधिकार	-	25.08	-	25.08	.00	1.73	-	1.73	23.35	-
कुल	5788 69.90	409 07.34	44.98	6197 32.26	392 63.96	198 05.50	36.21	590 33.25	5606 99.01	5396 05.94
गत वर्ष ((पुनः वर्णित)	4204 51.99	1672 17.57	87 99.66	5788 69.90	312 68.87	166 37.06	86 41.97	392 63.96	5396 05.94	3893 24.60

टिप्पणी 2. ख पूंजी कार्य प्रगति पर

विवरण	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2021 तक
कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना- चरण 1 (टिप्पणी संख्या 30.4 देखें)	149 18.47	130 78.89	279 97.36	279 97.36	-
चरण 1ए & 1बी	50 00.11	144 41.40	194 41.51	-	194 41.51
चरण II (टिप्पणी सं. 30.4 देखें)	5 46.21	14.15	5 60.36	-	5 60.36
अन्य	36 72.79	12 22.85	48 95.64	24 14.86	24 80.78
कुल	241 37.58	287 57.29	528 94.87	304 12.22	224 82.65
गत वर्ष ((पुनः वर्णित)	1244 05.68	584 16.30	1828 21.98	1586 84.40	241 37.58

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 3. क: अन्य अमूर्त परिसंपत्ति

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन/कमी				सकल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2021 तक	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	1 मार्च 2021 तक	1 मार्च 2021 तक	1 मार्च 2020 तक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	14 68.91	2 49.60	-	17 18.51	8 00.21	2 90.46	-	10 90.67	6 27.84	6 68.70
ब्रांडिंग- कोच्ची मेट्रो	61.60	-	-	61.60	56.39	5.21	-	61.60	.00	5.21
रेलवे को रास्ता छोडने का शुल्क	27 76.22	-	-	27 76.22	2 13.75	39.66	-	2 53.41	25 22.81	25 62.47
कुल	43 06.73	2 49.60	-	45 56.33	10 70.35	3 35.33	-	14 05.68	31 50.65	32 36.38
गत वर्ष ((पुनः वर्णित)	42 52.92	2 24.46	170.65	43 06.73	9 27.38	3 13.62	170.65	10 70.35	32 36.38	33 28.92

टिप्पणी 3. ख: विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

विवरण	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2021 तक
एसएपी	-	-	-	-	-
डीडीएफएस	-	-	-	-	-
एचआरएमएस मॉड्यूल कराधान	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
गत वर्ष ((पुनः वर्णित)	.58	2 24.46	2 25.04	2 25.04	-

टिप्पणी :

2.1. कंपनी ने 31 मार्च 2021 (पिछले वर्ष 34.7076 हेक्टेयर) को 36.0227 हेक्टयर तक के निजी भूमि पर कब्जा कर लिया है।

2.2.पूंजीकृत भूमि मूल्य भूमि मालिकों और जिला स्तरीय खरीद समिति के बीच सहमत खरीद मूल्य है। पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क की लागत पर विचार नहीं किया है, क्योंकि दिनांक 25 सितंबर 2014 के सरकारी आदेश संख्या. जी. ओ. (पी) सं.164/2014/ टीडी/2353 एवं 2354 के तहत भुगतान से छूट प्रदान की है और कंपनी ने इन मदों पर कोई व्यय नहीं किया है।

2.3. 174,76.74 लाख रुपए मूल्य की 2.731 हेक्टेयर भूमि के संबंध में सरकारी अभिलेखों में कंपनी के नाम निजी भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।
297,72.72 रुपए मूल्य के 21.211 हेक्टेयर भूमि सौंपने के बाद अधिग्रहण किया है।

2.4. केरल सरकार के जीओ (एमएस) संख्या 140/2019/आरडी दिनांकित 22 मई 2019 के तहत रजिस्ट्री पर मुफ्त में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कब्जे में केएमआरएल को 17.430 एकड़ भूमि को दर्ज किया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अनुसार भूमि को वर्तमान बाजार मूल्य 139,30.43 लाख रुपये पर दिखाया गया है।

2.5. विभिन्न सरकारी निकायों/विभागों/एनएच की 5.40 हेक्टेयर भूमि पर मेट्रो का कार्य पूर्ण/प्रगति पर है। मूल्य, हस्तांतरण औपचारिकताओं और अन्य नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए, इन भूमि को स्थाई संपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है।

2.6. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान रेलवे भूमि पर कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के वियाडक्ट के निर्माण के लिए दक्षिण रेलवे को रेलवे की भूमि को पार करने की अनुमति के लिए शुल्क के रूप में 27.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया। एकमुश्त भुगतान के खिलाफ वर्ष 2014-15 में भूमि के प्रचलित बाजार के 99% के बराबर 35 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए अनुमति ली गई है। 35 वर्ष की आगे की अवधि के लिए अनुमति के कार्यकाल को नाममात्र की शुल्क के भुगतान पर लागू किया जा सकता है। एक औपचारिक समझौते के लंबित निष्पादन, 70 वर्षों की अवधि के लिए रेलवे को किए गए 27.76 करोड़ रुपए की राशि अमूर्त परिसंपत्ति और परिशोधन के तहत दिखाया गया है।

2.7. 3.33 एकड़ की सीमा तक की भूमि के संबंध में शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर गलती से पंजीकृत हैं और इसको कंपनी की स्थाई परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया है। भूमि अधिग्रहण इकाई ने कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के प्रारंभिक कार्यों को भूमि का अधिग्रहण पूरा करने के लिए किया है और इस लागत को केरल सरकार की प्रारंभिक निधियों से पूरा किया जा रहा है।

2.8 मोबाइल फोन के मामले में, इसे कार्यालय उपकरण के तहत समूहीकृत है, इसका उपयोगी जीवन का अनुमान तीन साल है।

2.9.वर्ष के दौरान, कंपनी ने 411,56.94 लाख रुपए मूल्य के मूर्त और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 4 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के प्रति केरल सरकार से प्राप्य (कृपया टिप्पणी संख्या 30.12 देखें)	691 91.84	342 33.52
सुरक्षा जमा (असुरक्षित और बेहतर माना जाता है)	1 65.09	1 47.08
कुल	**693 56.93**	**343 80.60**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 5 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
पूंजीगत अग्रिम - परियोजना के लिए (असुरक्षित और बेहतर मानने वाला) ;		
- दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को परियोजना अग्रिम	5 23.81	-
- जिलाधीश को भूमि अधिग्रहण के लिए	58 21.81	100 85.21
- पूंजीगत अग्रिम	93 41.82	74 42.18
पूंजीगत अग्रिम - प्रारंभिक कार्यों के लिए (असुरक्षित और बेहतर माना जाता है);		
- जिलाधीश को भूमि अधिग्रहण के लिए (टिप्पणी संख्या 30.9 देखें)	115 94.06	104 54.88
प्रीपेड व्यय	75.42	1 36.62
प्राप्य कर वापसी	4 33.10	6 20.35
कुल	**277 90.02**	**287 39.24**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 6 : व्यापार प्राप्तियाँ [चालू] वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
असुरक्षित- बेहतर मानने वाला (कृपया टिप्पणी सं. 30.31.2.ङ देखें)		
व्यापार ग्राहक	11 38.06	15 12.24
कम करें: व्यापार प्राप्य - जमा हानि	(1 72.97)	(1 59.53)
कुल	**9 65.09**	**13 52.71**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 7 : नकद और नकद समकक्ष [चालू]	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
नकद शेष	14.74	.40
बैंकों के साथ बकाया (चालू और स्वीप खातों में)	83 43.46	14 29.56
बैंकों में सावधि जमा (बारह महीने से कम की परिपक्वता अवधि के साथ)	41 90.00	.65
कुल	**125 48.20**	**14 30.61**

राशि (रुपए लाखों में))

टिप्पणी 8 : अन्य बैंक बकाया	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
बैंकों के साथ विशेष प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट बकाया *	33 39.50	33 39.50
कुल	**33 39.50**	**33 39.50**

* केरल वाणिज्यिक कर/ऋण सेवा आरक्षित खाते के साथ गिरवी रखे गए बैंकों में सावधि जमा

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ [चालू]	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
चालू एवं देय		
बैंकों से लिए गए ऋण के बदले केरल सरकार से प्राप्य	-	104 34.28
चालू एवं देय नहीं		
केरल सरकार से प्राप्य		
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के प्रति (टिप्पणी संख्या 30.12 देखें)	104 74.19	59 32.32
- प्रारंभिक और अन्य कार्यों के लिए	95.71	12 51.75
- राज्य कर प्रतिपूर्ति के लिए (टिप्पणी संख्या. 30.6 देखें)	-	11 41.00
- प्राप्य परिचालन नकद हानि (टिप्पणी संख्या.30.8 देखें)	-	3 80.00
असुरक्षित, बेहतर माना गया , जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो		
- अर्जित ब्याज	73.45	12.20
- अर्जित आय, किन्तु देय नहीं	14.38	28.11
- सुरक्षित जमा	13 04.32	13 65.16
- अन्य कर्मचारी अग्रिम	8.83	9.45
- अन्य (केरल सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता सहित - टिप्पणी सं. 30.19 देखें)	2 64.22	84.00
कुल	**122 35.10**	**206 38.27**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 10 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रीपेड व्यय	253.82	294.21
अन्य अग्रिम	8.37	9.00
स्टॉक ऑफ टूल्स	452.01	257.40
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	350.03	311.90
कुल	**10 64.23**	**8 72.51**

टिप्पणी 11 : इक्विटी शेयर पूँजी	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
विवरण	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)
प्राधिकृत प्रत्येक 100 रुपये के इक्विटी शेयर	20 00 00 000	2000 00.00	20 00 00 000	2000 00.00
जारी, अभिदा और पूरी तरह से भुगतान किया गया				
पूर्ण रूप से भुगतान किए गए प्रत्येक100 रुपये के इक्विटी शेयर	**15 07 46 000**	**1507 46.00**	**15 07 46 000**	**1507 46.00**

शेयरों की संख्या और बकाया राशि की सुलह	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
विवरण	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)
वर्ष की प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयर	15 07 46 000	1507 46.00	15 07 46 000	1507 46.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	**15 07 46 000**	**1507 46.00**	**15 07 46 000**	**1507 46.00**

11.1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारकों का विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	शेयरों की संख्या	धारित %	शेयरों की संख्या	धारित %
भारत के राष्ट्रपति	7 53 73 000	50	7 53 73 000	50
केरल के राज्यपाल	7 53 73 000	50	7 53 73 000	50

11.2 कंपनी के पास 100/- रुपए के प्रति शेयर का सममूल्य मूल्य के एक वर्ग के इक्विटी शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और कंपनी की बैठक में प्रति शेयर एक वोट के लिए हकदार है। परिसमापन की स्थिति में, सभी अधिमान्य राशि के वितरण के बाद, यदि कोई हो, इक्विटी शेयरधारक उनके द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए अर्ह हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति और केरल के माननीय राज्यपाल क्रमशः पाँच और चार नामांकित निदेशकों को नामित किए हैं।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 12 : अन्य इक्विटी	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
आस्थगित आय		
मौद्रिक अनुदान		
ब्याज मुक्त उप ऋण (टिप्पणी संख्या 30.5 और 30.8 देखें)		
भारत सरकार	205 64.14	209 63.09
केरल सरकार	1613 93.95	1047 81.50
केरल सरकार - राज्य कर की प्रतिपूर्ति (टिप्पणी संख्या 30.6 देखें)	212 35.75	221 57.19
कुल	**2031 93.84**	**1479 01.78**
गैर मौद्रिक अनुदान		
केरल सरकार - जागीर भूमि (टिप्पणी संख्या 30.7 देखें)	139 30.43	139 30.43
लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	(801 93.11)	(490 08.71)
जोड़ें: लेखांकन नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	(1 24.06)
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय	(334 17.63)	(310 60.34)
वर्ष के अंत में बकाया राशि	**(1136 10.74)**	**(801 93.11)**
अन्य व्यापक आय		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	(49.63)	(27.99)
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	(23.03)	(21.64)
वर्ष के अंत में बकाया राशि	**(72.66)**	**(49.63)**
कुल	**1034 40.87**	**815 89.47**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 13 : उधार [गैर चालू]	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
सावधि ऋण (सुरक्षित)		
बैंकों से (टिप्पणी सं.. 30.11 देखें)	1831 45.18	1668 28.86
सावधि ऋण (असुरक्षित)		
वित्तीय संस्थानों से (टिप्पणी संख्या 30.11 देखें)	506 08.00	130 00.00
पास थ्रू सहायता - भारत सरकार (टिप्पणी संख्या 30.13 देखें)	1152 50.82	1194 39.69
ब्याज मुक्त उप ऋण (असुरक्षित)		
(टिप्पणी संख्या 30.5 और 30.8 देखें)		
भारत सरकार	42 85.86	38 86.91
केरल सरकार	367 81.06	197 31.51
कुल	**3900 70.92**	**3228 86.97**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 14: अन्य वित्तीय देयताएं [गैर चालू]	31 मार्च 2021 को	As at 31st March 2020
प्रतिधारण	1 16.78	1 18.98
सुरक्षित जमा	10 53.13	21 54.58
पट्टा देयता (टिप्पणी संख्या 30.26.1 देखें)	19.11	-
केरल राज्य सहकारी बैंक ऋण पर देय ब्याज	50 37.26	60 43.42
कुल	**62 26.28**	**83 16.98**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 15: प्रावधान [गैर चालू]	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 30.14 और 30.15 देखें)		
उपदान के लिए प्रावधान	6 15.65	4 49.31
अर्जित छुट्टी के लिए प्रावधान	7 12.19	5 83.78
अर्ध वेतन छुट्टी के लिए प्रावधान	2 16.32	1 86.29
छुट्टी यात्रा रियायत के लिए प्रावधान	75.15	21.81
कुल	**16 19.31**	**12 41.19**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 16: आस्थगित कर देयताएँ [गैर चालू]	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
आस्थगित कर देयताएं (टिप्पणी संख्या 30.20 देखें)		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति का बही शेष और कर शेष	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति (टिप्पणी संख्या 30.20 देखें)		
अनवशोषित मूल्यह्रास और हानि	-	-
कुल	**-**	**-**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 17: अन्य गैर चालू देयताएँ	31 मार्च 2021 को	As at 31st March 2020
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	5 38.29	5 96.63
आस्थगित उचित मूल्यांकन - लाभ (सुरक्षित जमा)	2 27.26	3 52.76
कुल	**7 65.55**	**9 49.39**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 18: उधार [चालू] - वित्तीय देयताएँ	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
कार्यशील पूंजी ऋण - केनरा बैंक **(सुरक्षित)** (टिप्पणी सं. 30.11 देखें)	20 77.42	85 30.08
कुल	**20 77.42**	**85 30.08**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 19: अन्य वित्तीय देयताएँ [चालू]	**31 मार्च 2021 को**	**As at 31st March 2020**
चालू एवं देय:		
बैंकों से मीयादी ऋण* (प्रोद्भूत ब्याज सहित) (टिप्पणी संख्या 30.11 देखें)	-	104 34.28
** कंपनी को ऋण किस्त के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन प्राप्त हुआ था*		
चालू एवं देय नहीं :		
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मीयादी ऋण (नोट संख्या 30.11 देखें)	91 26.00	47 00.00
पास थ्रू सहायता - भारत सरकार (टिप्पणी संख्या 30.13 देखें)	66 35.54	66 35.54
ब्याज उपार्जित किया गया, लेकिन उधार पर देय नहीं	18 05.83	20 80.88
असुरक्षित		
- प्राप्त व्यापार/ सुरक्षा जमा	15 32.97	8 54.53
- भूमि अधिग्रहण और संरचनात्मक मूल्यांकन	89 07.39	96 91.64
- अन्य;		
- परियोजना संबंधी देयताएँ	66 57.70	189 19.13
- केरल सरकार (टिप्पणी सं. 30.18 देखें)	191 17.99	133 76.60
- देय पीटीए राशि और भारत सरकार को देय	-	66 35.54
- पट्टा देयता (टिप्पणी संख्या 30.26.1 देखें)	4.15	-
- दिल्ली मेट्रो रेल निगम	-	9 27.90
- अन्य	29 01.95	18 25.67
कुल	**566 89.52**	**760 81.71**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 20: अन्य चालू देयताएँ	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
वैधानिक भुगतान	5 56.24	8 03.10
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	12 33.82	12 99.67
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ (सुरक्षा जमा)	90.14	1 61.89
अग्रिम के रूप में प्राप्त बीमा दावा	-	50 00.00
कुल	**18 80.20**	**72 64.66**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 21: प्रावधान [चालू]	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 30.14 और 30.15 देखें)		
उपदान का प्रावधान	31.03	19.80
अर्जित छुट्टी का प्रावधान	49.91	62.69
अर्ध वेतन छुट्टी का प्रावधान	15.30	18.96
छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	19.07	25.44
कुल	**1 15.31**	**1 26.89**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 22: संचालन से राजस्व	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ट्रेन परिचालन से किराया संग्रह के रूप में प्राप्त राजस्व	12 89.87	56 77.13
गैर किराया बॉक्स राजस्व	27 07.11	37 25.85
कुल	**39 96.98**	**94 02.98**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 23: अन्य आय	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
सरकारी अनुदान (भारत सरकार और केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण से लाभ)	30 41.09	20 00.18
सरकारी अनुदान (भारत सरकार और केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण से लाभ)	9 21.44	8 36.90
परामर्श आय	8 69.59	5 38.52
बैंक जमा पर ब्याज	4 40.75	42.57
बाढ़ के नुकसान पर बीमा दावा वसूली (टिप्पणी संख्या 30.35 देखें)	71 34.74	-
अन्य गैर-परिचालनआय (टिप्पणी संख्या 23.1 देखें)	1 24.63	1 61.21
सुरक्षा जमा की समाप्ति से आय	2 16.84	5 12.69
कुल	**127 49.08**	**40 92.07**
23.1 अन्य गैर परिचालन आय:		
आवेदन/निविदा प्रसंस्करण शुल्क	10.54	14.62
अन्य ब्याज	18.91	38.88
अन्य	95.18	1 07.71
कुल	**1 24.63**	**1 61.21**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 24: परिचालन व्यय	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहक सुविधा व्यय	10 23.71	13 93.20
बिजली और पानी के शुल्क	11 83.65	15 64.80
सुरक्षा व्यय	10 27.59	10 27.33
आयोग	60.88	2 67.95
बाहरी परियोजना परामर्श	6 10.02	1 51.36
अन्य परिचालन व्यय	1 62.77	1 06.45
कुल	**40 68.62**	**45 11.09**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 25: कर्मचारी लाभ व्यय	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	36 14.08	35 69.75
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	3 04.78	2 79.38
उपदान व्यय (टिप्पणी संख्या 30.14 और 30.15 देखें)	1 09.22	95.16
कर्मचारी कल्याण व्यय	2 52.27	2 10.53
कुल	**42 80.35**	**41 54.82**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 26: वित्त लागत	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ए) पास थ्रू सहायता पर ब्याज - भारत सरकार		
सकल ब्याज (ए)	13 89.15	17 67.16
कम करें : निर्माण के दौरान व्यय (बी)		(38.39)
लाभ और हानि के विवरण में कुल हस्तांतरण (ए-बी)	**13 89.15**	**17 28.77**
बी) बैंकों से ऋण पर ब्याज		
सकल ब्याज (ए)	**149 97.58**	**127 34.72**
कम करें : निर्माण के दौरान व्यय (बी)	(9 96.25)	(8 67.15)
लाभ और हानि विवरण में कुल हस्तांतरण (ए-बी)	**140 01.33**	**118 67.57**

सी) अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (टिप्पणी संख्या 30.5 और 30.8 देखें)		
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज व्यय की समाप्ति (ए)	30 41.09	20 00.18
लाभ और हानि के विवरण में कुल हस्तांतरण (ए)	**30 41.09**	**20 00.18**
डी) प्रतिधारण राशि और सुरक्षा जमा के उचित मूल्यांकन पर ब्याज		
प्रतिधारण राशि जमा पर ब्याज व्यय की समाप्ति (ए)	2 22.68	5 02.71
कम करें : निर्माण के दौरान व्यय (बी)	(1.22)	(.87)
कम करें : केरल सरकार को देय (सी)	(4.11)	(5.29)
लाभ और हानि के विवरण में कुल स्थानांतरण (ए-बी-सी)	**2 17.35**	**4 96.55**
ई) पट्टा देयता पर ब्याज		
पट्टा देयता पर ब्याज व्यय (ए)	.77	-
लाभ और हानि के विवरण में कुल हस्तांतरण (ए)	**.77**	-
एफ़) गारंटी कमीशन		
केरल सरकार को देय गारंटी कमीशन (ए)	1 37.34	1 25.77
लाभ और हानि के विवरण में कुल हस्तांतरण (ए)	**1 37.34**	**1 25.77**
कुल योग-लाभ और हानि विवरण के लिए हस्तांतरण	**187 87.03**	**162 18.84**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 27: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (टिप्पणी संख्या 1.14 और 2ए देखें)	198 03.77	166 37.06
उपयोग के अधिकार पर मूल्यह्रास	1.73	-
अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन (टिप्पणी संख्या 1.14 और 3ए देखें)	3 35.33	3 13.62
कुल	**201 40.83**	**169 50.68**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 28: अन्य व्यय	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बीमा	10 73.44	8 88.26
मरम्मत और रखरखाव	6 18.08	4 68.33
बाढ़ के बाद पुनर्व्ययवस्था के लिए व्यय	6 02.69	1 90.99
कानूनी और पेशेवर	1 41.92	3 59.40
कार्यालय और अन्य विविध व्यय	1 15.72	1 81.02
रोड कार्य/स्टेशन उन्मुख कार्य	1 07.09	39.12
विज्ञापन और प्रचार व्यय	87.42	2 07.83
यात्रा और परिवहन खर्च	85.28	1 04.51
किराया, दरें और कर	18.16	91.53
बैंक प्रभार	15.70	20.70
व्यापार प्राप्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानि	13.44	1 59.53
लेखापरीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी संख्या 28.1 देखें)	7.92	8.74
कुल	**28 86.86**	**27 19.96**

राशि (रुपए लाखों में)

28.1 लेखा परीक्षकों को भुगतान	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षा शुल्क	6.26	6.49
अन्य सेवाएँ	1.66	2.05
व्यय की प्रतिपूर्ति	-	.20
कुल	**7.92**	**8.74**

टिप्पणी 29: प्रति इक्विटी शेयर आय	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कर के बाद कुल लाभ/(हानि) (रुपए लाख में)	(334 40.66)	(310 81.98)
इक्विटी शेयरों की संख्या	1507460 00.00	1507460 00.00
प्रति शेयर (ईपीएस) मूल और तनूकृत आय (ईपीएस) (रुपए में) (टिप्पणी संख्या 30.24 देखें)	**(22.18)**	**(20.62)**

टिप्पणी संख्या 30 वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त जानकारी

30.1 विदेशी मुद्रा में व्यय

राशि (रु. लाखों में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
टुअर्स एंड ट्रेवल्स	शून्य	4.82
केएमआरएल द्वारा व्यय - अनुबंध - अन्य	 4,61.85 46.13	 शून्य शून्य
डीएमआरसी द्वारा अनुबंधों पर व्यय (नीचे की टिप्पणी देखें)	26,98.61	43,88.39

उनके खातों के विवरण के अनुसार, कंपनी द्वारा भारतीय रुपए में उन्हें किए गए भुगतान में से डीएमआरसी द्वारा विदेशी मुद्रा में पूंजीगत व्यय किया गया था।

30.2 विदेशी विनिमय दर भिन्नता

30.2.1 भारत सरकार द्वारा कंपनी को प्रदान की जाने वाली पास थ्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में जेंसफ्रैंसेज डी डेवलपमेंट (एएफडी) और भारत सरकार (भारत सरकार), उधारकर्ता के रूप में के बीच चरण I के लिए 180 मिलियन यूरो के ऋण सुविधा समझौते पर आधारित है। चरण I के लिए पीटीए निधि भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए में बजटीय प्रावधानों के माध्यम से कंपनी को जारी किए गए। पीटीए के रूप में 13,27,10.77 लाख रुपए (180 मिलियन यूरो के बराबर) की संपूर्ण ऋण राशि को कई चरणों में आईएनआर में कंपनी को हस्तांतरित किया गया। कंपनी की देयताएँ भारत सरकार के साथ है। कंपनी की चुकौती दायित्व प्राप्त पीटीए की राशि के बराबर आईएनआर में सीमित है। तदनुसार, संबंधित तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से विदेशी विनिमय दर भिन्नता हानियों/लाभों को मान्यता नहीं दी है। भारत सरकार ने केएमआरएल की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहलों के लिए 27 मिलियन यूरो के लिए ऋण सुविधा पर अनुबंध किया है। भारतीय राज्यों को भारतीय रुपए में विकास सहायता के लिए भारत सरकार की मानक प्रक्रियाओं के अनुसार जीओके को धन हस्तांतरित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त 24,46.67 लाख रुपए (2.84 मिलियन यूरो के बराबर) की राशि भारत सरकार से पीटीए के रूप में केएमआरएल को सौंपा गया। कंपनी की चुकौती दायित्व पीटीए की राशि के बराबर आईएनआर तक

सीमित है। तदनुसार, कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से संबंधित तुलन पत्र की तारीख के अनुसार विदेशी विनिमय दर भिन्नता हानियों/लाभों को मान्यता नहीं दी है।

इसके अलावा, भारत सरकार केरल सरकार और केएमआरएल के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.1 के तहत विनिमय दर भिन्नताओं को केरल सरकार द्वारा पूरा/व्यवस्थित किया जाएगा। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 273 के तहत, ऋण पूरी तरह से चुकाए जाने के बाद और ऋण अवधि के दौरान नहीं, भारत सरकार विदेशी विनिमय दर भिन्नताओं को पहचान लेगा और विनिमय दर भिन्नता के ऐसे लेखांकन को "8680 विविध सरकारी खातों" में समायोजित/बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। समझौता ज्ञापन के अनुसार ऐसी विनिमय दर भिन्नता के कारण हो रहे अंतर का केरल सरकार द्वारा निपटान किया जाएगा। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा चुकाई गई राशि और जब भारत सरकार द्वारा विनिमय भिन्नता का निपटान किया जाता है, तब कंपनी द्वारा आईएनआर में भारत सरकार को चुकाई गई राशि के बीच का अंतर, केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

तदनुसार, तुलन पत्र में, पीटीए के तहत देयता को आईएनआर में मान्यता दी गई है।

30.2.2 वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (पीटीए से संबंधित लेनदेन के अलावा) का प्रभाव निम्नानुसार है:

चालू वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त विनिमय अंतर (शुद्ध विदेशी मुद्रा) की कुल राशि 8.20 लाख रुपए (पी.वाई.2019-20, शून्य रु.) है।

30.3 सीडब्ल्यूआईपी से परिसंपत्तियों का पूंजीकरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने डीएमआरसी से लिया गया तैक्कूडम से पेट्टा तक के 226,58.30 लाख मूल्य रुपए की परिचालन परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया है।

यह स्थाई परिसंपत्ति रजिस्टर में प्रदर्शित मूल्य और डीएमआरसी द्वारा सौंपे गए प्रासंगिक दस्तावेजों पर आधारित है। कोविड-19 महामारी की चल रही दूसरी लहर के कारण और दिनांक 23 मई 2013 को डीएमआरसी और केएमआरएल के बीच समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.20 के अनुसार डीएमआरसी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित स्थाए परिसंपत्ति रजिस्टर प्राप्त करने में देरी की प्रत्याशा में केएमआरएल ने डीएमआरसी द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों पर भरोसा किया है। स्थाई परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पर आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के आधार पर अंतर, यदि कोई हो, को वर्ष 2021-22 में मान्यता दी जाएगी।

परिचालन परिसंपत्ति "नागर विमान मंत्रालय, रेलवे सुरक्षा आयोग" से मुख्तारनामा प्राप्त होने की तारीख से उपयोग के लिए उपलब्ध थी और तदनुसार, डीएमआरसी से लिया गया तैक्कूडम से पेट्टा तक की परिसंपत्ति को दिनांक 28 मई 2020 को पूंजीकृत किया जाता है। स्थाई परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना करने के लिए अपनाई गई विधि निम्नानुसार है:

क) अनुबंधों और ठेकेदार के बिल की समीक्षा

कंपनी ने केएमआरएल की ओर से डीएमआरसी द्वारा निष्पादित अनुबंधों की समीक्षा की, जैसा कि कार्यों के दायरे और अनुबंध निष्पादन के हिस्से के रूप में बनाई गई अचल संपत्तियों की सीमा के मूल्यांकन के लिए उपलब्ध कराया गया है।

ख) उधार लागत

उधार की लागतें जो सीधे तौर पर एक अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए पूरा करने और तैयार करने के लिए आवश्यक समय की अवधि के दौरान पूंजीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान कमीशन की गई अर्हक परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण के दौरान ब्याज, उस अनुपात में आबंटित किया जाता है जिसमें कमीशन की गई परिसंपत्ति का मूल्य कमीशनिंग के महीने के अंत में अर्हक सीडब्ल्यूआईपी के बराबर होता है।

30.4 पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

निर्माण गतिविधि से सीधे संबंधित व्यय को पूंजीकृत किया गया है। परियोजना के विभिन्न घटकों के कारण होने वाले सभी प्रत्यक्ष व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के तहत मान्यता प्राप्त है।

उधार लेने की लागतें जो सीधे तौर पर एक अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण और निर्माण के कारण होती हैं, उन्हें सीडब्ल्यूआईपी के तहत वर्गीकृत किया जाता है, पूंजीकरण लंबित है।

ऋण लागत का विवरण नीचे दिया गया है -

राशि (रु. लाखों में)

विवरण	वर्ष के अंत में कुल उधार लागत	वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत	लाभ और हानि के विवरण के लिए उधार लागत वसूल की जाती है	सीडबल्यूआईपी के अंतर्गत वर्गीकृत उधार लागत
चालू वर्ष	163,86.73	शून्य	153,90.48	9,96.25
गत वर्ष	145,01.87	8,74.07	135,96.33	31.47

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने पत्र एफ.सं.30 (03) /पीएफसी.II/2019 दिनांक 15 अप्रैल 2020 के तहत कोचची मेट्रो रेल परियोजना - चरण II के कार्यान्वयन की सिफारिश की। परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, विस्तार के लिए कंपनी द्वारा किए गए

यातायात अध्ययन और अन्य आदि से संबंधित व्यय सीडबल्यूआईपी- चरण II के तहत वर्गीकृत है। तीसरे चरण की परियोजना का प्रस्ताव यानि आलुवा से अंगमाली तक (हवाई अड्डे को जोड़कर), को कोच्ची मेट्रो विस्तार कार्यों के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है।

30.5 सरकारी ऋण लेखांकन (अधीनस्थ ऋण) और संबंधित वित्त लागत

30.5.1 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए, यह संकेत दिया गया कि अधिग्रहित भूमि की लागत के लिए 67200 लाख रुपए की राशि केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, केरल सरकार ने रु। भूमि अधिग्रहण के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में दिनांक 31 मार्च 2017 को 306,25 लाख रुपए निर्मुक्त किया गया। शेष राशि के लिए, केरल सरकार ने निर्देश दिया कि कंपनी सरकार की ओर से ऋण प्राप्त करेगी।

केरल सरकार द्वाता जीओ (एमएस) संख्या 20/2015/ट्रांस दिनांकित 25.03.2015 के तहत निर्देशित के अनुसार, कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के लिए "केरल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक" जिसे पहले "एरणाकुलम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (ईडीसीबी)" के नाम से जाना जाता था, से 470,00 लाख रुपए की एक सावधि ऋण ले लिया। कुल 470,00 लाख रुपए में से 366,00 लाख रुपए चरण I के भूमि अधिग्रहण के लिए है और 104,00 लाख रुपए कुन्नरा पार्क से पेट्टा तक के वैट्टिला-पेट्टा रोड के लिए है। केरल सरकार द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर ऋण की चुकौती और ब्याज सेवा कार्य की गई है। वित्तीय विवरणों में उक्त ऋण को उधार के रूप में दर्शाया गया है।

संक्षेप में, ईडीसीबी से लिया गया ऋण परियोजना अनुमोदन आदेश के अनुसार केरल सरकार से प्राप्त होने वाले अधीनस्थ ऋण के विशेषता को दर्शाता है। तदनुसार, 366,00 लाख रुपए की राशि को दिनांक 01.04.2016 से केरल सरकार से प्राप्य अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

30.5.2 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के -14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए, यह संकेत दिया गया था कि प्रत्येक 248,50 लाख रुपए की राशि, केंद्रीय करों की तरफ़ भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तदनुसार, भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा जारी की गई निधियों को अनुमोदित निधिकरण पैटर्न के अनुसार अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

30.5.3 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 के समझौता ज्ञापन के खंड 11.1 के अनुरूप में, पार्टियों के बीच यह सहमति है कि परियोजना की समयावधि के भीतर या उसके बाद किसी भी प्रकार की लागत वृद्धि को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। तदनुसार, केरल सरकार द्वारा निर्देशित जीओ (आरटी) संख्या 215/2020/ट्रांस 22.06.2020 के तहत, कंपनी ने कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए गैप निधीकरण की दिशा में 390,00 लाख रुपए की राशि के लिए मेसर्स आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको)

के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया है। समझौते की शर्तों के अनुसार, ऋण को केरल सरकार की गारंटी द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान मैसर्स हडको से रु. 331,23 लाख (पिछले वर्ष तक शून्य) रुपए की आहरित राशि को समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

30.5.4 केरल सरकार ने जीओ (एमएस) संख्या 73/2014/ट्रांस दिनांकित 17/10/2014 के तहत मेट्रो लाइन के पहले चरण, यानि पेट्टा से एस एन जंक्शन तक के विस्तार के लिए 359,00 लाख रुपए के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की।

जीओ (एमएस) संख्या 36/2019/ट्रांस दिनांकित 15.7.2019 के तहत परियोजना लागत को संशोधित कर 710,92.00 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसमें 97,39.00 लाख रुपए की भूमि की लागत भी शामिल है। जीओ (एमएस) संख्या 63/2018/ट्रांस दिनांकित 23.10.2018 के तहत 97,39.00 लाख रुपए में से 58,11.00 लाख रुपए केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए सीधे विशेष तहसीलदार एलए को जारी किए गए, जिसे अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

केरल सरकार के जीओ (आरटी) संख्या 112/2020/ट्रांस दिनांकित 17.03.2020 के द्वारा निर्देशित अधिग्रहण के लिए आवश्यक शेष राशि के लिए, कंपनी ने मैसर्स हडको से ऋण लिया। मैसर्स हडको से लिए गए 39,27 लाख रुपए की ऋण के बराबर राशि को स्वीकृत परियोजना निधीकरण पैटर्न के हिस्से के रूप में, अधीनस्थ ऋण के रूप में केरल सरकार का हिस्सा होने के नाते केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

30.5.5 वर्ष 2020-21 के दौरान, कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए दूसरी लागत वृद्धि के लिए केरल सरकार के हिस्से की ओर, केरल सरकार से प्राप्त 51,91 लाख रुपए की राशि (जीओ (आरटी) सं.353/2020/ट्रांस दिनांकित 28.10.2020 के तहत) को समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

30.5.6 केरल सरकार के जीओ (आरटी) संख्या 24/2021/ट्रांस दिनांकित 16.01.2021 के तहत, 239,00 लाख रुपए की राशि के लिए, यानि भारत सरकार की ओर से पास थ्रू सहायता के रूप में 202,54 लाख रुपए कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन पहलों के लिए और 3646 लाख रुपए केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में संशोधित प्रशासनिक मजूरी प्रदान की । तदनुसार, 2020-21 के दौरान, केरल सरकार ने जीओ (आरटी) संख्या 77/2021/ट्रांस दिनांकित 13.02.2021 के तहत कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहलों के लिए केरल सरकार के हिस्से के रूप में, 16,00 लाख रुपए की राशि जारी की, को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

30.5.7 दिनांक 4 नवंबर 2013 को भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच के समझौता ज्ञापन के खंड 12.26 के अनुसार,नकद घाटे के कारण वरिष्ठ सावधि ऋण (जब और जब यह देय हो) यदि कंपनी इसे चुकाने में सक्षम नहीं है, तो चुकाने का दायित्व केरल सरकार का है। तदनुसार, 2020-21 के दौरान, केरल सरकार से जीओ (आरटी) संख्या 263/2020/ट्रांस दिनांकित 18.8.2020 और जीओ(आरटी) संख्या 87/2021/ट्रांस दिनांकित 20.2.2021 के तहत 133,48.00 लाख रुपए की राशि केनरा

बैंक और यूनियन बैंक को ब्याज सेवा देने हेतु केरल सरकार से प्राप्त हुआ, को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है। कंपनी को 31 मार्च, 2021 तक 245,48 लाख रुपए की संचयी राशि को (पिछले वर्ष 112,00 लाख रुपये तक) केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

केरल सरकार (आरटी) संख्या 131/2020/ट्रांस दिनांकित 20.04.2020, तथा जीओ (आरटी) संख्या 353/2020/ट्रांस दिनांकित 28.10.2020 और जीओ (आरटी) संख्या 87/2021/ट्रांस दिनांकित 20.2.2021 के तहत एएफडी की ऋण चुकौती के लिए कुल मिलाकर 137,02 लाख रु.की राशि जारी की गई जिसे केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है। तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2021 तक, केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में174,62 लाख रुपए (पिछले वर्ष 37,60 लाख रुपये तक) की संचयी राशि को मान्यता दी।

अधीनस्थ ऋण जैसा कि उपर्युक्त के अनुसार, उचित मूल्य पर मापा जाता है और सरकारी अनुदान, लाभ होने के कारण, भारतीय लेखा मानक 109-वित्तीय लिखतों और उचित मूल्य के अनुसार निर्धारित प्रारंभिक वहन मूल्यों के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और सरकारी अनुदानों के लिए भारतीय लेखा मानक 20-लेखा के अनुसार अनुदान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

30.6 राज्य करों की प्रतिपूर्ति

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 द्वारा कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए, यह संकेत दिया गया था कि राज्य करों के लिए 237,33.00 लाख रुपए की राशि का वहन केरल सरकार द्वारा किया जाएगा।

तदनुसार, जीओ (एमएस) सं. 170/2019/वित्त दिनांकित 3 मई 2019 के तहत,कोच्ची मेट्रो परियोजना के निष्पादन के लिए केएमआरएल/डीएमआरसी द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर की प्रतिपूर्ति के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की गई है। दिनांक 31 मार्च 2021 तक, राज्य सरकार ने केवीएटी और एसजीएसटी की ओर 237,33.52 लाख रुपए की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति की।

30.7 काक्कनाड में भूमि का हस्तांतरण

केरल सरकार के जीओ (एमएस) संख्या 140/2019/आरडी दिनांकित 22 मई 2019 के तहत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कब्जे वाली भूमि को केएमआरएल को नि:शुल्क रजिस्ट्री पर आबंटित करने और उक्त भूमि पर संपत्ति का विकास करने के लिए मंजूरी प्रदान की। मार्च 2020 में कंपनी को 17.430 एकड़ भूमि को रजिस्ट्री पर सौंपा गया। भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार भूमि पार्सल का मूल्य गैर-मौद्रिक अनुदान के रूप में माना जा है। अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित किया गया है और इसे अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाएगी।

30.8 नकद हानि का वित्तपोषण

दिनांक 4 नवंबर 2013 को भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.19 के अनुसार, अपने स्वयं के संसाधनों से परिचालन चरण के दौरान, यदि यह केएमआरएल द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है, नकद नुकसान के वित्तपोषण केरल सरकार का दायित्व है।

तदनुसार, क्रमशः जीओ (आरटी) संख्या 192/2020/ट्रांस दिनांकित 08.06.2020 और जीओ (आरटी) 73/2021/ट्रांस दिनांकित 11.02.2021 के तहत, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान हुई शुद्ध नकद हानि को वित्तपोषित करने के लिए 3,80 लाख रुपए और 27,71 लाख रुपए की राशि केरल सरकार द्वारा जारी की गई, जिसका केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है। अधीनस्थ ऋण के रूप में नकद हानि की प्रतिपूर्ति की दिशा में कंपनी द्वारा संचयी रूप दिनांक 31 मार्च 2021 तक 144,38.00 लाख प्राप्त किया गया।

अधीनस्थ ऋण को उचित मूल्य पर मापा जाता है और सरकारी अनुदान, लाभ होने के कारण, भारतीय लेखा मानक 109-वित्तीय साधनों के अनुसार निर्धारित प्रारंभिक वहन मूल्यों के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और उचित मूल्य और भारतीय लेखा मानक 20-सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन के अनुसार अनुदान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

30.9 प्रारंभिक और अन्य परियोजना कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु जिलाधीश को अग्रिम राशि

वायटिला	**मार्च** 31, 2021 **को**	**मार्च** 31, 2020 **को**
वैट्टिला-पेट्टा सड़क चौड़ीकरण	5.19	9.90
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इन्फो पार्क होकर कक्कनाड तक के नई मेट्रो लाइन के प्रारंभिक कार्य	91,57.09	96,72.00
नई मेट्रो लाइन का प्रारंभिक कार्य- सीपोर्ट एयरपोर्ट सड़क का चौड़ीकरण	4,01.00	401.00
चंबक्करा पुल का निर्माण	-	3,71.98
एकीकृत जल मेट्रो परिवहन प्रणाली	20,30.78	-
कुल	**115,94.06**	**104,54.88**

30.10 एकीकृत जल परिवहन प्रणाली

केरल सरकार (जीओके) ने जी.ओ (एमएस) सं. 73/2015/ट्रांस दिनांकित 19/11/2015 के तहत कोच्ची में एक एकीकृत जल परिवहन प्रणाली की अवधारणा के लिए 682,01 लाख रुपए की अनुमानित लागत को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना को जर्मन फंडिंग एजेंसी "क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबाउ" (केएफडब्ल्यू) द्वारा भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तहत "जलवायु अनुकूल

शहरी गतिशीलता" पहल के हिस्से के रूप में, और केरल सरकार द्वारा 102,30 लाख रुपए की सीमा तक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। परियोजना के सभी वित्तीय और परिचालन जोखिम, परियोजना के कानूनी मालिक के रूप में केरल सरकार के पास निहित होंगे और केएमआरएल, केरल सरकार की ओर से कार्यकारी और संचालन की एजेंसी होगी। वर्ष 2020-21 के दौरान, केरल सरकार ने 82,00 लाख (पिछले वर्ष-शून्य) रुपए की राशि और केएफडब्ल्यू ने 30,10.00 लाख (पिछले वर्ष - रु. 57,03.88 लाख) रुपए की राशि जारी की। 31.3.2021 तक जारी संचयी निधि 199,47 लाख रुपए है (जिसमें से केरल सरकार का योगदान 102,00 लाख रुपए और केएफ़डबल्यू का 97,47 लाख रुपए है)।

दिनांक 31.03.2021 तक कुल व्यय 102,75.20 लाख रुपए (पिछले वर्ष तक 49,72.79 लाख रुपए) है । दिनांक 31.3.2021 तक (पिछले वर्ष 51,70.67 लाख रुपए) ठेकेदारों को अग्रिम के रूप में 79,50.20 लाख का भुगतान किया गया।

तत्पश्चात, केरल सरकार द्वारा जीओ (एमएस) सं/ 26/2020/ट्रांस दिनांकित 23/10/2020 के तहत , कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से एक एसपीवी (विशेष उद्देश्य वाहन) के गठन के लिए मंजूरी प्रदान की, जिसमें 4,90.00 लाख रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ केरल सरकार द्वारा 74% इक्विटी और केएमआरएल द्वारा 26% स्वेट इक्विटी शामिल है। तदनुसार, मैसर्स कोच्ची जल मेट्रो लिमिटेड (केडबल्यूएमएल) को दिनांक 14 जुलाई, 2021 को समामेलन किया गया । कंपनी और केरल सरकार की दायित्वों का बयान करते हुए कंपनी ने केरल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया।

वर्ष के दौरान, केरल सरकार की ओर से केडबल्यूएमएल से संबंधित व्यय की ओर कंपनी ने 10.84 लाख रुपए व्यय किया है और उसी को केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।

30.11 बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उधार

राशि (रु. लाखों में)

क्रम सं.	बैंक/वित्तीय संस्थानों का नाम	पुनर्भुगतान की अवधि	पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि	पुनर्भुगतान समाप्त तिथि	20-21 के दौरान चुकाया गया ब्याज	ब्याज की दर प्रति वर्ष प्रतिशत	31.03.2021 को राशि	31.03.2020 को राशि
क	केनरा बैंक - चरण I	52 त्रैमासिक किश्त	तिमाही 2, 2023-24	तिमाही 3, 2036-37	68,94.20	22.2.2021 तक 9.65% 23.2.2021 से 9.20%	1198,80.04	1169,82.75
ख	केनरा बैंक - चरण I (अतिरिक्त उधार)	52 त्रैमासिक किश्त	तिमाही 2, 2023-24	तिमाही 3, 2036-37	9,62.38	9.65% तक 23.8.2020 8.85% से 24.8.2020	182,77.01	166,34.00
ग	केनरा बैंक ऋण - चरण 1 का विस्तार	56 त्रैमासिक किश्त	तिमाही 1, 2025-26	तिमाही 4, 2038-39	7,33.98	8.85%	132,57.89	50,12.11
घ	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया -चरण 1 विस्तारण	56 त्रैमासिक किश्त	तिमाही 1, 2025-26	तिमाही 4, 2038-39	2,79.91	8.85%	79,82.97	-
ङ	केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण)	10 वार्षिक किश्त	मार्च ,2018	मार्च , 2027	107,80.33	9.75%	219,60.00	337,69.19
च	केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण - वायटिला - पेट्टा रोड)						62,40.00	95,65.09

क्रम सं.	बैंक/वित्तीय संस्थानों का नाम	पुनर्भुगतान की अवधि	पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि	पुनर्भुगतान समाप्त तिथि	20-21 के दौरान चुकाया गया ब्याज	ब्याज की दर प्रति वर्ष प्रतिशत	31.03.2021 को राशि	31.03.2020 को राशि
छ	केनरा बैंक - कार्यशील पूंजी मांग ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5,63.27	9.80% तक 24.3.2021 9.30% से 25.03.2021	20,77.42	85,30.08
ज	केनरा बैंक - कार्यशील पूंजी मांग ऋण (कोविड-19 सहायता)	18 मासिक किस्तें	मार्च -21	अगस्त -2022	46.26	8.85%	8,47.27	-
झ	केनरा बैंक - कोविड -19 वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण (सीएफआईटीएल)	3 त्रैमासिक किश्त	सितंबर -2020	मार्च -2021	1.38	9.80%	-	-
ञ	हडको - प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण	52 त्रैमासिक किश्त	फरवरी -2022	नवंबर - 2034	17,03.93	भूमि अधिग्रहण के लिए प्रति वर्ष 9.75% और कार्यों के लिए प्रति वर्ष (एक वर्ष के लिए निर्धारित) 9.25%	219,84.00	130,00.00
त	हडको – चरण I	58 त्रैमासिक किश्त	फरवरी -2021	मई -2035	14,79.15		324,50.00	-
	कुल						**2449,56.60**	**2034,93.22**

वित्तीय विवरणों में उपरोक्त ऋणों की प्रस्तुति

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	संदर्भ टिप्पणी संख्या	दिनांक 31.03.2021 को राशि	दिनांक 31.03.2020 को राशि
बैंकों से सावधि ऋण (प्रतिभूत) का गैर-चालू भाग	13	1831 45.18	1668 28.86
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण (असुरक्षित) का गैर-चालू भाग	13	506 08.00	130 00.00
कार्यशील पूंजी ऋण (सुरक्षित)	18	20 77.42	85 30.08
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मीयादी ऋणों की वर्तमान परिपक्वता अवधि			
देय	19	.00	104 34.28
देय नहीं		91 26.00	47 00.00
कुल		**2449,56.60**	**2034,93.22**

उपरोक्त ऋणों पर विस्तृत टिप्पणी नीचे दिया गया है;

क) केनरा बैंक- चरण I

कंपनी ने केनरा बैंक के साथ 1170,00 लाख रुपए की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता किया। केएमआरएल के अनुरोध के अनुसार, मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज सर्विसिंग के लिए स्थगन की मंजूरी दी गई। कंपनी ने ब्याज अधिस्थगन का लाभ उठाया और तदनुसार, सावधि ऋण (पुनर्भुगतान का शुद्ध) पर प्रोद्भूत ब्याज को कोविड़-19 सहायता के रूप में पूंजीकृत किया गया। लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है।

ख) केनरा बैंक- चरण I (अतिरिक्त उधार)

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की वृद्धि की लागत को पूरा करने के लिए कंपनी ने केनरा बैंक के साथ दिनांक 18.7.2019 को 179,00 लाख रुपए की राशि के लिए सावधि ऋण का समझौता किया। केरल सरकार ने जीओ (आरटी) संख्या 323/2019/ट्रांस दिनांकित 18.7.2019 के तहत मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए गारंटी जारी की।

केएमआरएल के अनुरोध के अनुसार,मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज सर्विसिंग के लिए स्थगन के लिए मंजूरी दी गई। कंपनी ने ब्याज अधिस्थगन का लाभ उठाया और तदनुसार, सावधि ऋण (पुनर्भुगतान का शुद्ध) पर प्रोद्भूत ब्याज को पूंजीकृत किया जाता है। लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है और ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत किया है।

ग एवं घ) केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच कंसोर्टियम ऋण - चरण I विस्तार

कंपनी ने प्रारंभ में ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए राज्य सरकार की गारंटी के साथ कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के विस्तार के लिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 730,00 लाख रुपए की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता किया। लागू ब्याज दर प्रति वर्ष 8.85% थी।

तत्पश्चात् केनरा बैंक ने चरण Iए और Iबी परियोजना के वित्तपोषण के लिए 730,67 लाख रुपए का सावधि ऋण मंजूर किया। तदनुसार, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक कॉन्सोर्शियम बनाने का निर्णय लिया गया। केनरा बैंक 430,000 लाख रुपए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 300,67 लाख रुपए के अनुपात में 730,67 लाख रुपए की सावधि ऋण साझा करते हुए चरण Iए और Iबी परियोजना को वित्तपोषित करने वाला अग्रणी बैंकर होगा। कंसोर्टियम ऋण समझौता 25.05.2020 को निष्पादित किया गया और लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर है। कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है और ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत किया है। केरल सरकार नेजीओ (आरटी) संख्या 211/2020/ट्रांस दिनांकित 18.6.2020 के तहत ब्याज और ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए गारंटी जारी की। इसके अलावा गारंटी कमीशन की राशि होने के नाते, 1,59.31 लाख रुपए की राशि को केरल सरकार से प्राप्य के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

ई) केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक (ईडीसीबी) के नाम से जाना जाता था (भूमि अधिग्रहण)

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के -14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए यह संकेत दिया गया था कि केरल सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की लागत के लिए 672,000 लाख रुपए ब्याज मुक्त उप ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। केरल सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2017 तक कुल 672,00 लाख रुपए में से 306,25 लाख रुपए राशि जारी की। बकाया राशि के लिए, केरल सरकार ने निर्णय लिया कि उप ऋण योगदान के रूप में 366,00 लाख रुपए की राशि का ऋण केरल सरकार द्वारा प्रदान करेगी, उसे केएमआरएल केरल सरकार की ओर से प्राप्त करेगा।

केरल सरकार ने जी.ओ.(एमएस)सं.20/2015/ट्रांस दिनांकित 25.03.2015 के तहत, भूमि अधिग्रहण के लिए केरल राज्य सहकारी बैंक से 366,00 लाख रुपये का सावधि ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की। तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 20

जनवरी 2015 को आयोजित 19 वीं बोर्ड की बैठक में अनुमोदित के अनुसार ईडीसीबी के साथ सावधि ऋण समझौता किया। शासनादेश के अनुसार, ऋण की अवधि दो वर्ष की अधिस्थगन के साथ 12 वर्ष की होगी और चुकौती दस वर्षों में वार्षिकी आधार पर होगी जो कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित होगी। ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम होगी, जो तिमाही अंतराल पर संयोजित होगी। ब्याज दर हर तीन साल में रीसेट की जाएगी और दिनांक 1 अप्रैल 2020 से उसी को प्रतिवर्ष 9.95% से 9.75% तक घटा दिया गया। ब्याज के साथ ऋण की चुकौती केरल सरकार द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर की जाती है और जब देय हो, को केरल सरकार से प्राप्त के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशानुसार 366,00 लाख रुपए की पूरी ऋण राशि को आहृत किया है।

च) केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक (ईडीसीबी) के रूप में जाना जाता था (भूमि अधिग्रहण-वैट्टिला रोड)

केरल सरकार ने वैट्टिला-पेट्टा रोड़ की चौडीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत को पूरा करने हेतु जीओ (एमएस) संख्या 24/2015/ट्रांस दिनांकित 30.04.2015 के तहत केरल राज्य सहकारी बैंक से 104,00 लाख रुपए के सावधि ऋण लेने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 20 जनवरी 2015 को आयोजित अपनी 19 वीं बोर्ड की बैठक में अनुमोदित के अनुसार केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ सावधि ऋण समझौता किया। ऋण की अवधि दो वर्ष की अधिस्थगन के साथ 12 वर्ष की होगी और चुकौती दस वर्षों में वार्षिकी आधार पर होगी जो कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित होगी। ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम होगी, जो तिमाही अंतराल पर संयोजित होगी। ब्याज दर हर तीन साल में रीसेट की जाएगी और दिनांक 1 अप्रैल 2020 से उसी को प्रतिवर्ष 9.95% से 9.75% तक घटा दिया गया। ब्याज के साथ ऋण की चुकौती केरल सरकार द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर की जाती है और जब देय हो, को केरल सरकार से प्राप्त के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशानुसार 104,00 लाख रुपए की पूरी ऋण राशि को आहृत किया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने सावधि ऋण के तीसरी और चौथी किस्त, अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के महीने में क्रमशः 104,32.99 लाख और 97,47.34 लाख रुपए का भुगतान किया।

छ) केनरा बैंक- कार्यशील पूंजी माँग ऋण

कंपनी ने दिनांक 30.09.2019 को केनरा बैंक के साथ क्रमशः 90,00 लाख रुपए और 5,00 लाख रुपए की राशि के लिए एक फंड आधारित कार्यशील पूंजी सुविधा और गैर-निधि आधारित बैंक गारंटी सीमा में प्रवेश किया और वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया है। कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की

एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है।

ज) केनरा बैंक- कार्यशील पूंजी मांग ऋण (कोविड़-19 समर्थन)

कंपनी ने दिनांक 28 अगस्त 2020 को केनरा बैंक के साथ कोविड़ -19 केनरा क्रेडिट समर्थन के हिस्से के रूप में 9,00 लाख रुपए के लिए एक कार्यशील पूंजी मांग ऋण सुविधा पर समझौता किया। लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है।

झ) केनरा बैंक- कोविड़-19 वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण (सीएफआईटीएल)

वर्ष के दौरान, केनरा बैंक ने कोविड़ वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण (सीएफ़आईटीएल) में मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए 90,00 लाख रुपए कार्यशील पूंजी उधार पर अर्जित ब्याज की गणना हेतु योजना के लिए मंजूरी प्रदान की। यह सुविधा सितंबर 2020 में तय की गई। इसके अलावा, ऋण की अवधि के दौरान ब्याज के रूप में 1.38 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

ञ) हडको - प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण

कंपनी ने कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I, चरण Iए, चरण Iबी और चरण II के भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों के लिए दिनांक19.3.2020 को 589,82.00 लाख रुपए की राशि के लिए हडको के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया। इस पर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक हुडको द्वारा 219,84.00 रुपए का वितरण किया गया। मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन अवधि फरवरी 2022 तक है। ऋण जीओ (आरटी) सं.112/2020/ट्रांस दिनांकित 17.3.2020 के तहत, ब्याज के भुगतान और मूलधन की अदायगी के लिए सरकारी गारंटी द्वारा सुरक्षित है।

चूँकि कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से और प्रारंभिक कार्यों के लिए ऋण लिया गया था, इसलिए मूलधन के ब्याज और पुनर्भुगतान को केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा ऋण प्रसंस्करण शुल्क की राशि होने के नाते 123.90 लाख रुपए की राशि को केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ड) हडको - चरण I

कंपनी ने दिनांक 26.06.2020 को परियोजना के गैप फंडिंग हेतु 390,00.00 लाख रुपए की राशि के लिए हडको के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया। इस पर, हुडको द्वारा कंपनी को 331,23.00 रुपए की राशि वितरित की गई और दिनांक 31 मार्च, 2021 तक 6,73.00 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

जीओ (आरटी) 215/2020/ट्रांस दिनांकित 22.06.2020 के तहत, सरकार ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के संबंध में पर्याप्त बजट प्रावधान प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है। तदनुसार, मूलधन का ब्याज और पुनर्भुगतान केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा 123.90 लाख रुपए की राशि, ऋण प्रसंस्करण शुल्क की राशि के रूप में, केरल सरकार से प्राप्य के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

30.12 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के प्रति केरल सरकार से प्राप्य

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	विस्तृत टिप्पणी संदर्भ संख्या	मार्च 31, 2021		
		चालू	गैर-चालू	कुल
केरल राज्य सहकारी बैंक से लिए गए ऋण पर	30.11.ई और 30.11.एफ	47,00.00	234,94.82	281,94.82
केरल राज्य सहकारी बैंक से ऋण के लिए प्राप्य ब्याज पर		10,07.45	50,37.25	60,44.70
हडको से लिए गए ऋण पर	30.11.जे और 30.11.के	46,07.43	406,59.77	452,67.20
गारंटी कमीशन पर	30.11.सी एवं डी	1,59.31	-	1,59.31
कुल		**104,74.19**	**691,91.84**	**796,66.03**

30.13 भारत सरकार की ओर से पास थ्रू सहायता

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	बैंकों/वित्तीय संस्थानों का नाम	पुनर्भुगतान की अवधि	पुनर्भुगतान आरंभ तिथि	पुनर्भुगतान समाप्त तिथि	20-21 के दौरान चुकाया गया ब्याज	ब्याज की दर	31.03.2021 को राशि*	31.03.2020 को राशि
a	चरण I के लिए पास थ्रू सहायता	40 अर्धवार्षिक किश्तें	सितंबर, 2019	मार्च ,2039	13,23.23	6 मासिक यूरिबोर के साथ 155 आधार अंक का मार्जिन	1194,39.69	1260,75.23
ख	एनएमटी के लिए पास थ्रू सहायता	20 अर्धवार्षिक किश्तें	मई ,2025	नवंबर , 2034	19.66	1.52% या 6 महीने यूरिबोर + 1.35% (मार्जिन)	24,46.67	0.00
	कुल						**1218,86.36**	**1260,75.23**

**टिप्पणी 19 में दर्शाए गए पीटीए की वर्तमान परिपक्वता अवधि शामिल है।*

चरण I कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के लिए 180 मिलियन यूरो की भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई पास थ्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में एजेंस फ्रैन्काइज़ डी डेवलपमेंट (एएफ़डी), एक फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एजेंसी, और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार (जीओआई) के बीच क्रेडिट सुविधा समझौते पर आधारित है। ऋण भारत सरकार द्वारा सॉवरेन गारंटी के माध्यम से सुरक्षित है। 1327,10.77 लाख रुपए के बराबर के 180 मिलियन यूरो की संपूर्ण ऋण आय, एएफडी द्वारा भारत सरकार को जारी किया गया है। केएमआरएल को भारत सरकार के बजटीय प्रावधानों के अनुसार कई चरणों में भारतीय रुपए में राशि वितरित की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार को 132,71.08 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया (वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए देय किश्तों में से प्रत्येक के लिए 66,35.54 लाख रुपए) है।

केरल सरकार के माध्यम से भारत सरकार द्वारा KMRL की गैर-मोटर चालित परिवहन पहल के लिए 27 मिलियन यूरो की राशि के लिए प्रदान की जाने वाली पास थ्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में एजेंस फ्रैन्काइज़ डी डेवलपमेंट (एएफ़डी), एक फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एजेंसी, और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार (जीओआई) के बीच क्रेडिट सुविधा समझौते पर आधारित है। ऋण भारत सरकार द्वारा सॉवरेन गारंटी के माध्यम से सुरक्षित है। वर्ष 2020-21 के दौरान, आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से केरल सरकार को 24,46.67 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी जिसे बाद में केएमआरएल को जारी किया गया। इसके अलावा, दिनांक 31 मार्च, 2021 को पीटीए पर ब्याज के रूप में 19.66 लाख रुपए की राशि केरल सरकार को देय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

30.14 भारतीय लेखा मानक-19, "कर्मचारी लाभ" से संबन्धित प्रकटीकरण

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं। योगदान का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि लेखे में किया जाता है।

कंपनी की पेंशन योजना भविष्य निधि योजना से जुड़ी हुई है।भविष्य निधि योजनाओं के तहत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी भी कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत आते हैं।कंपनी के उन कर्मचारियों को छोड़कर जो 1 सितंबर 2014 के बाद भविष्य निधि (पीएफ) के सदस्य बन गए और जिनका वेतन प्रति माह 15,000/- रुपए से अधिक है। भविष्य निधि योजनाओं के तहत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी भी कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत आते हैं। कंपनी के उन कर्मचारियों को छोड़कर जो दिनांक 1 सितंबर 2014 के बाद भविष्य निधि (पीएफ) के सदस्य बन गए और जिनका वेतन प्रति माह 15,000/- रुपए से अधिक है। ऐसे कर्मचारी ईपीएस योजना के तहत कवर होने के लिए अर्ह नहीं हैं। उक्त लाभ केवल तभी बढ़ाया जाता है, जब कर्मचारी केएमआरएल में शामिल होने के दौरान पीएफ योजना का मौजूदा सदस्य हो। उपरोक्त पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों से योगदान नहीं लिया जाता है और पूरी तरह से नियोक्ता के योगदान से भुगतान किया जाता है।

उपदान: उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को उपदान देय है, जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की हो। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में देनदारियों का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है, जो एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निष्पादित किया जाता है, प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर भारतीय लेखा मानक 19 द्वारा अपेक्षित अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया जाता है। खाता बहियों में उपदान के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान किए गए हैं। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार हालांकि नियोजित परिसंपत्तियाँ दिखाई जाती हैं, कंपनी ने बहीखातों में परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी है, चूँकि कंपनी ने फंड ट्रस्ट नहीं बनाया है।

अर्जित और अर्ध-वेतन छुट्टी: कंपनी कर्मचारियों को मानव संसाधन नीति के अनुसार अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है। संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है। इस खाते की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी के अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों को उनके गृहनगर के साथ-साथ भारत में किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा के व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित देयता की पहचान अक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

बीमा: कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान अपने सभी पात्र कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी भी ली है।

30.15 बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लाभ और हानि विवरण और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

दिनांक 31 मार्च 2021 को बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर परिभाषित लाभ योजनाओं अर्थात उपदान, अर्जित छुट्टीऔर अर्ध वेतन छुट्टी, छुट्टीयात्रा रियायत (गैर निधि योजना) के लिए प्रकटीकरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)	
	31/03/2021 को	**31/03/2020 को**	**31/03/2021 को**	**31/03/2020 को**	**31/03/2021 को**	**31/03/2020 को**	**31/03/2021 को**	**31/03/2020 को**
वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व	469.11	304.86	646.46	407.29	205.25	129.54	47.25	64.43
वर्तमान सेवा लागत	135.73	121.38	117.90	173.15	36.66	51.20	19.06	24.85
ब्याज लागत	32.84	21.20	45.25	27.32	14.37	9.07	3.30	4.67
भुगतान किए गए लाभ/वापस ले लिया गया प्रावधान	(18.57)	(3.99)	(35.70)	(33.98)	(6.54)	0.00	(3.93)	(8.50)
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59	0.00

वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से अक्टूरियल (लाभ) / हानि	8.33	40.24	8.13	44.60	2.47	14.20	0.72	0.50
अक्टूरियल (लाभ) / दायित्वों पर हानि - अनुभव समायोजन के कारण	19.03	(14.58)	(19.95)	28.08	(20.59)	1.24	(0.77)	(38.70)
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व	**646.47**	**469.11**	**762.09**	**646.46**	**231.62**	**205.25**	**94.22**	**47.25**

राशि (रुपए लाखों में)

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ व्यय के तहत लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ इस प्रकार हैं:

विवरण	उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)	
	31/03/2021 को	31/03/2020 को	31/03/2021 को	31/03/2020 को	31/03/2021 को	31/03/2020 को	31/03/2021 को	31/03/2020 को
वर्तमान सेवा लागत	135.73	121.38	117.90	173.15	36.66	51.20	19.06	24.85
ब्याज लागत	32.84	21.20	45.25	27.32	14.37	9.07	3.30	4.67
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	28.59	-

प्रतिपूर्ति सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज आय	(0.73)	(0.73)	(0.50)	(0.43)	(0.27)	(0.23)	-	-
पुनर्माप	0.00	0.00	(11.31)	73.11	(17.86)	15.67	(0.05)	(38.20)
कुल	**167.84**	**141.85**	**151.34**	**273.15**	**32.90**	**75.72**	**50.90**	**(8.68)**
कम करें : बीमांकिक (लाभ)/सीडब्ल्यूआईपी/परियोजना निधि/अन्य को हस्तांतरित हानि	58.62	46.70	68.70	93.56	16.98	13.64	9.16	(1.56)
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**109.22**	**95.15**	**82.64**	**179.59**	**15.93**	**62.08**	**41.74**	**(7.12)**

राशि (रुपए लाखों में)

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ इस प्रकार हैं:		
विवरण	**उपदान पात्रता (गैर-वित्त पोषित)**	
	31/03/2021 को	**31/03/2020 को**
निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) का पुनर्माप		
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से अक्चूरियल (लाभ)/हानि	9.05	40.96
समायोजन के कारण अक्चूरियल (लाभ)/हानि- अनुभव	19.03	-14.58
ओसीआई में कुल पुनर्मापन	**28.08**	**26.38**
कम करें : सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित अक्चूरियल लाभ/हानि	5.05	4.74
ओसीआई के बयान में मान्यता प्राप्त व्यय	**23.03**	**21.64**

दिनांक 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 तक उपदान, अर्जित छुट्टी नकदीकरण, अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी यात्रा रियायत लाभ दायित्वों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ इस प्रकार हैं:		
विवरण	**31/03/2021 को**	**31/03/2020 को**
छूट की दर	6.90%	7%
वेतन वृद्धि दर - पहले 5 वर्ष	6.00%	6.00%

राशि (रुपए लाखों में)

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त कुल परिसंपत्ति/देयता								
विवरण	**उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)**		**अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)**		**अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)**		**छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)**	
	मार्च 2021 को	**मार्च 2020 को**	**मार्च 2021 को**	**मार्च 2020 को**	**मार्च 2021 को**	**मार्च 2020 को**	**मार्च 2021 को**	**मार्च 2020 को**
दायित्व का वर्तमान मूल्य	646.47	469.11	762.09	646.46	231.62	205.25	94.22	47.25
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतर	646.47	469.11	762.09	646.46	231.62	205.25	94.22	47.25
गैर-मान्यता प्राप्त ट्रांसिशनल देयता	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत - गैर निहित लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	**646.47**	**469.11**	**762.09**	**646.46**	**231.62**	**205.25**	**94.22**	**47.25**

30.16 केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों/परियोजनाओं का विवरण, जो दिनांक 31 मार्च, 2021 तक प्रगति पर हैं।

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं	चालू किए गए प्रारंभिक कार्य/परियोजना का विवरण	परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का शासनादेश	अनुमोदित परियोजना लागत	दिनांक 31.03.2021 तक प्राप्त निधि			दिनांक 31.03.2021तक व्यय की गई राशि
				निधि का स्रोत	प्राप्त राशि	कुल	
1	कुन्नरा पार्क से पेट्टा तक के1.5 किलोमीटर वैट्टिला-पेट्टा रोड का चौडीकरण	G.O (Ms) No. 13/2015/Trans दिनांकित 10/03/2015	22,35.00	केरल सरकार	22,35.00	22,35.00	19,43.21
2	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इंफो पार्क होकर कक्कनाड तक नई मेट्रो लाइन प्रारंभिक कार्य	G.O(Ms) No. 13/2016/Trans दिनांकित 08/02/2016	189,00.00	केरल सरकार हडको से ऋण लिया है	20,00.00 95,72.00	115,72.00	97,47.94
3	सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड़ की चौडीकरण के लिए कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के II चरण के प्रारंभिक कार्य	G.O(Ms) No. 73/2018/Trans दिनांकित 17/12/2018	74,07.00	हडको से ऋण लिया है	34,01.00	34,01.00	21,34.36
4	इडपल्ली से जेएलएन स्टेडियम/कलूर तक इडपल्ली - हाई कोर्ट रोड के सुधार और जल निकासी व्यवस्था के उन्नयन के लिए प्रारंभिक कार्य	G.O(Ms) No. 56/2016/Trans दिनांकित 26/08/2016	39,41.40	केरल सरकार	34,00.00	34,00.00	15,95.91

5	त्रिपुनित्तुरा के पेट्टा से एसएन जंक्शन तक कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए प्रारंभिक कार्य	G.O(Ms) No. 31/2016/Trans दिनांकित 31/03/2016	123,00.00	केरल सरकार हडको से ऋण लिया है	61,20.00 39,48.00	100,68.00	112,54.86
कुल			**447,83.40**		**306,76.00**	**306,76.00**	**266,76.28**

केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रारंभिक कार्यों और परियोजनाओं का कुल शेष, जो दिनांक 31 मार्च, 2021 तक प्रगति पर हैं, केरल सरकार से प्राप्य/देय तुलन पत्र में टिप्पणी संख्या 4,9 और 19 में दिखाया गया है।

30.17 केरल सरकार की ओर से कंपनी द्वारा लिए गए प्रारंभिक कार्यों / परियोजनाओं का विवरण, जो डीएमआरसी के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	लिया गया और पूरा किया गया प्रारंभिक कार्य/परियोजना का विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार केरल सरकार से आदेश	अनुमोदित परियोजना लागत	दिनांक 31.03.2021 तक प्राप्त निधि			दिनांक 31.03.2021तक व्यय की गई राशि प्राप्त राशि
				निधि का स्रोत	प्राप्त राशि	निधि का स्रोत	
1	प्रारंभिक कार्य	G.O.(MS) No. 110/2013/Trans दिनांकित 07-12-2013	242,47.00	केरल सरकार	220,45.27	220,45.27	197,40.50
2	पच्चालम रेल ओवर ब्रिज (आरओबी)	G.O(Ms) No. 23/2014/Trans दिनांकित 05/03/2014 and G.O(Ms)	52,59.00	केरल सरकार	52,59.00	52,59.00	23,66.57

		No.56/2014/Trans दिनांकित 24/07/2014					
3	इडप्पल्ली फ्लाईओवर	G.O (Rt) No.714/2013/PWD दिनांकित 13/05/2013	108,77.00	केरल रोड फंड बोर्ड (केआरएफबी)	34,43.55	34,43.55	35,28.25
4	चार लेन चंबक्करा पुल के निर्माण का प्रारंभिक कार्य	G.O(Ms) No. 68/2016/Trans दिनांकित 09/11/2016 and G.O(Ms) No. 64/2018/Trans दिनांकित 11/11/2018	38,36.44	केरल सरकार हडको से ऋण	27,00.00 11,36.00	38,36.00	37,09.75
कुल			**442,19.44**		**345,83.82**	**345,83.82**	**293,45.07**

केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रारंभिक कार्यों और परियोजनाओं का कुल शेष, जो डीएमआरसी के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, केरल सरकार से प्राप्य/देय को तुलन पत्र के नोट संख्या 4, 9 और 19 में दिखाया गया है।

30.18 प्रारंभिक और अन्य परियोजना कार्यों के लिए केरल सरकार से प्राप्त अग्रिम का विवरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2021 को	मार्च 31, 2020 को
नई मेट्रो लाइन का प्रारंभिक कार्य- कक्कनाड से होकर इन्फो पार्क तक	19,24.06	19,50.00
एकीकृत जल परिवहन प्रणाली	96,71.59	36,99.95
रेल ओवर ब्रिज प्रारंभिक (आरओबी)	25,34.04	18,07.95
पच्चालम कार्य	28,92.43	27,87.32
इडप्पल्ली - हाइ कोर्ट रोड़ का सुधार	18,04.09	18,39.15
पेट्टा से एसएन जंक्शन तक विस्तार के लिए प्रारंभिक कार्य	2,91.79	2,93.14
विस्तार के लिए प्रारंभिक कार्य - एलए	-	9,99.09
कुल	**191,18.00**	**133,76.60**

30.19 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) और केरल सरकार (जीओके) से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

कंपनी को शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) से शहरी परिवहन योजना स्कीम के तहत,केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में निधि प्राप्त हुआ, जिसमें सभी प्रकार के यातायात और परिवहन अध्ययन आदि के लिए कुल व्यय का 80% एमओयूडी द्वारा और राज्य सरकार द्वारा 20% वहन किया जाएगा।

दिनांक 31 मार्च 2021 तक किए गए कुल व्यय के 2,26.73 लाख रुपए में से दिनांक 31 मार्च 2021 तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रुपए की राशी जारी की है। केरल सरकार से, उनके हिस्से की वित्तीय सहायता 45.35 लाख रुपए की शेष राशि देय है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने जीओ (आरटी) संख्या 192/2020/ट्रांस दिनांकित 08.06.2020 के तहत प्राप्त निधि में से 32.61 लाख रुपए की राशि को समायोजित किया और 12.74 लाख रुपए की कुल बकाया राशि को जीओके से प्राप्य के रूप में दिखाया गया है।

30.20 भारतीय लेखा मानक-12, "आयकर" के संबंध में प्रकटीकरण

दिनांक 31.03.2021 (दिनांक 31.03.2020 को 372,56.05 लाख रुपए) तक अनवशोषित मूल्यहास और संचित हानियों के अस्तित्व पर कंपनी के पास 538,31.49 लाख रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्ति है। दिनांक 31.03.2021 को आस्थगित कर देयता 308,41.43 लाख रुपए (31.03.2020 रु. 230,78.51 लाख) है।

दिनांक 31.03.2021 को कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति 229,90.06 लाख रुपए (31.03.2020 रुपये: 141,77.54 लाख) है और प्रूडेंस के आधार पर, आस्थगित कर परिसंपत्ति खाता बही में मान्यता प्राप्त नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में जैसा कि दिनांक 15.06.2021 को आयकर विभाग, भारत सरकार के सीबीडीटी पोर्टल में दिखाई दे रहा है स्रोत पर कर कटौती को 26 लेखा मानक के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है।

30.21 एमएनआरई से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा "राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष" के तहत कुल 4.0 मेगावाट की कुल क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटो वोल्टाइक (एसपीवी) बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 4,80 लाख रुपये की राशि (32,00 लाख रुपये की अनुमानित परियोजना लागत का 15% होने के नाते) को मंजूरी दी गई है।

केएमआरएल ने 2.67 मेगा वाट की क्षमता वाली बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीएफए की पहली किस्त के रूप में 1,44.00 लाख रुपए और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 1,58.47 लाख रुपए की राशि प्राप्त की। इस प्रकार प्राप्त राशि को "अन्य वित्तीय देयताओं " के तहत वर्गीकृत किया गया है।

डीएमआरसी द्वारा मेसर्स हीरो सोलार एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (विकासक) सौर पीवी बिजली संयंत्रों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य प्रदान किया गया। अनुबंध रेस्को (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मॉडल पर आधारित है,

जहां परियोजना की लागत विकासक द्वारा वहन की जाती है और केएमआरएल ने 25 वर्षों के लिए पीपीए (विद्युत खरीद समझौता) पर हस्ताक्षर किए हैं।एमएनआरई से प्राप्त वित्तीय सहायता पूरी तरह से विकासक को वितरित कर दी गई है।

30.22 केएमआरएल में गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहल

केरल सरकार जीओ (आरटी) संख्या 24/2021/ट्रांस दिनांकित 16.01.2021 के तहत, कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन पहल के लिए 239,00 लाख रुपए की राशि के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की यानि 202,54 लाख रुपए भारत सरकार से पास थ्रू सहायता के रूप में और 36,46 लाख रुपए केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में । एनएमटी योजना में स्टेशन-उन्मुख विकास, प्रमुख जंक्शन सुधार और शहरी स्थान बनाने वाली पैदल यात्री परियोजना आदि शामिल है।

तदनुसार, दिनांक 27.12.2019 को कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना की एनएमटी पहलों के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार और एएफडी के बीच 27 मिलियन यूरो के लिए क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के राज्यों को विकास सहायता के हिस्से के रूप में, भारत सरकार द्वारा केएमआरएल को भारत सरकार द्वारा जीओके के माध्यम से निधि उपलब्ध कराया जाएगा। दिनांक 05.02.2020 को केएमआरएल (अंतिम लाभार्थी) और एएफडी के बीच परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रत्येक भुगतान तिथि पर यानि प्रत्येक वर्ष 31 मई और 30 नवंबर को ब्याज देय है। मूलराशि की चुकौती बीस समान अर्धवार्षिक किश्तों में होगा और पहली किस्त दिनांक 31 मई, 2025 को देय है और अंतिम किश्त दिनांक 30 नवंबर 2034 को केरल सरकार द्वारा देय होगी।

वर्ष 2020-21 के दौरान, केरल सरकार को आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से24,46.67 लाख रुपए जारी किए गए, जिसे बाद में केरल सरकार द्वारा जीओ (आरटी) संख्या 49/2021/ट्रांस दिनांकित 02.02.2021 और जीओ (आरटी) संख्या 54/2021/ट्रांस दिनांकित 04.02.2021 के तहत केएमआरएल को हस्तांतरित कर दिया गया ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, जीओ (आरटी) संख्या 77/2021/ट्रांस दिनांकित 13.02.2021 के तहत, एनएमटी के लिए केरल सरकार के हिस्से के रूप में केरल सरकार से 16,00 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई।

वर्ष के दौरान एनएमटी परियोजना आर 279.61 लाख रुपए व्यय किए गए।

30.23 भारतीय लेखा मानक - 23 "उधार लेने की लागत" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, "उधार लागत" पर लेखा नीति के अनुरूप शून्य रुपए की राशि (पिछले वर्ष रु.8,74.07 लाख) उधार लेने की लागत से पूंजीकृत किया गया और क्रमश: 153,90.48 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु.135,96.33 लाख रुपए) तथा 9,96.25 लाख रुपए (पिछले वर्ष 31.47 लाख रुपए) राजस्व और सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रभारित किया गया है।

30.24 भारतीय लेखा मानक -33, "प्रति शेयर आय" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	2020-21	2019-20
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (रुपए लाखों में)	(334,40.66)	(310,81.98)
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
- बुनियादी	15,07,46,000	15,07,46,000
- डाइल्यूटड	15,07,46,000	15,07,46,000
प्रति शेयर मूल आय (रु. 100/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य) (रु.)	(22.18)	(20.62)
प्रति शेयर डाइल्यूटड आय (रु. 100/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य) (रु.)	(22.18)	(20.62)

30.25 भारतीय लेखा मानक -1, “वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति”, भारतीय लेखा मानक “लेखा नीतियाँ”, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन

क. पूंजी प्रबंधन

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) कुल ऋण	4,07,909.87	3,54,088.12
(ख) कुल पूंजी	2,54,186.86	232,335.46
(ग) ऋण / इक्विटी अनुपात (क / ख)	1.60	1.52

कंपनी के पूंजी प्रबंधन की गणना के उद्देश्य से, पूंजी में जारी पूंजी और अन्य इक्विटी शामिल हैं।

ऋण में दीर्घकालिक ऋण और अधीनस्थ ऋण शामिल हैं।

ख. पिछले वर्ष के वित्तीय पुनर्विवरण के कारण

पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित कारणों से पुनर्कथित किया गया :

(i) पिछले वर्षों से संबंधित डीएमआरसी से ली गई परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य में अद्यतनीकरण और ठेकेदार के दावों के अंतिम निपटान, केएमआरएल की मौजूदा परिसंपत्तियों में मूल्य अद्यतन के कारण,

(ii) (ii) उपदान और अर्जित छुट्टी के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय की राशि में अंतर के कारण,

उक्त पुनर्कथनों का कुल प्रभाव नीचे संक्षेप में दिया गया है,

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	कुल प्रभाव
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में (वृद्धि)	31,84.27
पूंजीगत कार्य-प्रगति में (कमी)	(34,94.27)
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों में (वृद्धि)	19.54
वर्ष 2019-20 तक मूल्यह्रास में (वृद्धि)	290.46
कर्मचारी लाभ व्यय में (कमी)	(65.56)
अन्य वित्तीय देयताओं (चालू)में (कमी)	64.36
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (चालू) में (वृद्धि)	1.20
अन्य इक्विटी में (कमी)	(224.90)
प्रति इक्विटी शेयर आय में (कमी)	0.05

30.26 भारतीय लेखा मानक-116, "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

30.26.1 कंपनी ने कर्मचारियों के लाभ के लिए कुछ परिसरों को पट्टे/किराए पर लिया है। ये पट्टा व्यवस्था आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 39.26 लाख रुपए (गत वर्ष 41.86 लाख रुपए) का पट्टा किराए (वसूली का शुद्ध) का भुगतान किया है और इस प्रकार भुगतान किया गया पट्टा किराए को व्यय-कर्मचारी कल्याण व्यय शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

कंपनी ने पार्किंग सुविधा प्रदान करने के लिए 5 साल की अवधि पर केरल राज्य आवास बोर्ड से खाली जमीन पट्टे पर ली है।

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरओयू परिसंपत्तियों के अग्रणीत मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	वर्ष 2020-21के दौरान
प्रारंभ में बकाया	-
योग	25.08
विलोपन	-
मूल्यह्रास	1.73
अंत में बकाया	**23.35**

पट्टा देयताओं में उतार-चढ़ाव इस प्रकार है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	वर्ष 2020-21के दौरान
प्रारंभ में बकाया	-
परिवर्धन	24.61
अवधि के दौरान उपार्जित वित्त लागत	0.77
पट्टा देयताओं का भुगतान	(2.12)
अंत में बकाया	**23.26**

दिनांक 31 मार्च, 2021 को वर्तमान और गैर-वर्तमान पट्टा देयताओं का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वर्ष 2020-21के दौरान
वर्तमान पट्टा देयताएँ	19.11
गैर-चालू पट्टा देयताने	4.15
कुल	**23.26**

30.26.2 पट्टे जिनके तहत कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से ग्रहण करती है, उन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब अधिग्रहण किया जाता है, तो ऐसी परिसंपत्तियों को उचित मूल्य या पट्टे की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो, पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा अवधि में लाभ और हानि के विवरण में एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर व्यय के रूप में परिचालन पट्टों के तहत पट्टा भुगतानों को मान्यता दी जाती है।

कंपनी ने अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों को परिचालन पट्टे के आधार पर पार्टियों को लाइसेंस दिया है। परिचालन पट्टों से किराए की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि में एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मान्यता दी जाती है। जहाँ किरायों को केवल कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ाने के लिए संरचित किया गया है, उक्त वृद्धियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसे लाभ अर्जित होते हैं।

परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त होने वाली भविष्य की न्यूनतम लाइसेंस राशि नीचे दी गई है;

राशि (रुपए लाखों में)

परिचालन पट्टा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
एक साल बाद नहीं	392.36	3,79.95
एक साल बाद और पांच साल तक	20,81.73	17,13.70
पांच साल से परे	22,44.18	23,17.92

30.27भारतीय लेखा मानक-24, "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

30.27.1 प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति:

30.27.1.1 श्री दुर्गाशंकर मिश्रा, (अध्यक्ष)

30.27.1.2 श्रीमती सुजाता जयराज, (नामित निदेशक)

30.27.1.3 श्री. जयदीप, (नामित निदेशक)

30.27.1.4 श्री. डी.के. सैनी, (नामित निदेशक)

30.27.1.5 डॉ. विश्वास मेहता, (नामित निदेशक 28 फरवरी 2021 तक)

30.27.1.6 श्री. राजेश कुमार सिंह, (नामित निदेशक)

30.27.1.7 श्री. अल्केश कुमार शर्मा (7 अप्रैल 2021 तक प्रबंध निदेशक)

30.27.1.8 श्री के.आर. ज्योतिलाल, (7 अप्रैल 2021 से प्रबंध निदेशक)

30.27.1.9 श्री एस. सुहास, (7 जुलाई 2021 तक नामित निदेशक)

30.27.1.10 श्री भूपेंद्र सिंह बोध, (नामित निदेशक)

30.27.1.11 श्री. कुमार के आर (निदेशक-वित्त)

30.27.1.12 श्री. डी के सिन्हा (निदेशक- सिस्टम)

30.27.1.13 श्री. तिरुमन अर्चुनन(1 जून 2021 तक निदेशक-परियोजनाएं)

30.27.1.14 श्री श्याम सुंदर अग्रवाल (कंपनी सचिव)

30.27.2 उन कंपनियों का विवरण जहाँ महत्वपूर्ण प्रभाव मौजूद है और जिनके साथ कंपनी ने लेनदेन किया था

30.27.2.1 कोचीन स्मार्ट मिशन लिमिटेड

30.27.3 प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ कंपनी के लेनदेन का प्रकटीकरण:

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	2020-21	2019-20
1	वेतन और भत्ते	179.73	162.58
2	भविष्य निधि और अन्य के लिए अंशदान	16.11	17.23
3	अन्य लाभ	13.72	14.72
	कुल (कर्मचारी लागत में शामिल किया गया है)	**209.56**	**194.53**

क) पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी की नीति के अनुसार वसूली के अधीन निजी यात्राओं के लिए कंपनी के वाहनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

ख) उपरोक्त राशि में अक्च्यूरियल मूल्यांकन पर सुनिश्चित किए गए उपदान, छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी यात्रा रियायत में योगदान के प्रावधान शामिल नहीं हैं।

30.27.4 कंपनियों के साथ कंपनी के लेनदेन का प्रकटीकरण:

कंपनी ने 10 साल और दो महीने की अवधि के लिए परिसंपत्ति के पट्टे के लिए कोचीन स्मार्ट मिशन लिमिटेड (सीएसएमएल) के साथ एक समझौता किया है। वर्ष 2020-21 को अर्जित लाइसेंस शुल्क 6,69.40 लाख रुपए है। दिनांक 3 सितंबर 2020 तक लाइसेंस समझौता करते समय तक कंपनी और सीएसएमएल का प्रबंध निदेशक एक ही व्यक्ति थे।

30.28 भारतीय लेखा मानक-36 (परिसंपत्ति की हानि) के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान परिसंपत्ति पर क्षतिपूर्ति शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि के लिए मान्यता प्राप्त है। (टिप्पणी संख्या 30.35 भी देखें)।

30.29 भारतीय लेखा मानक -37 "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में प्रकटीकरण

क) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियां

राशि (रुपए लाखो में)

विवरण	**01.04.2020** को प्रारभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान परिवर्धन/हस्तांतरण/उपयोग	दिनांक **31.03.2021** को अंत शेष
प्रावधान	4,28.62	29,08.88	33,37.50
आकस्मिक देयताएं			
क. कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना की ओर			
i. भूमि अधिग्रहण संबंधी दावे	110,48.54	76,06.33	186,54.87
ii. राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ)	-	20,49.39	20,49.39
iii. जिला कलेक्टर को स्थापना एवं आकस्मिक प्रभार*	-	52,92.54	52,92.54
iv. मध्यस्थता का दावा	53,92.32	10,50.86	64,43.18
v. अन्य	8,09.01	42,85.11	50,94.12
ख. केरल सरकार (जीओके) की ओर से केएमआरएल द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों की ओर	98,31.67	42,41.87	140,73.54
ग. बैंक गारंटी	141.95	-	141.95
घ. वैधानिक प्राधिकरण	73.84	7.40	81.24
आकस्मिक परिसंपत्ति	-	10,91.08	10,91.08

* प्रारंभिक कार्यों से संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्थापना और आकस्मिक शुल्क के लिए दावा की गई राशि को छोड़कर, राज्य सरकार के नाम पर प्रारंभिक कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को, परियोजनाओं से संबंधित कुछ भूमि अधिग्रहण मामले उप-न्यायालय एरणाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एरणाकुलम में लंबित हैं। बढ़े हुए मुआवजे के कारण अनुमानित अतिरिक्त देयता, जहां याचिकाकर्ताओं द्वारा 18654.87 लाख रुपए का अनुमानित दावा विवरण दाखिल किए गए हैं। यह आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत सम्मिलित किया है।

इसके अलावा, उप-न्यायालय एरणाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एरणाकुलम के पास लंबित प्रारंभिक कार्यों से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मामले, जहाँ याचिकाकर्ताओं द्वारा 135,19.66 लाख रुपए की अनुमानित देयता के लिए दावा बयान दिए गए हैं, उन्हें भी आकस्मिक देयताओं के तहत सम्मिलित किया गया है।

शेष मामलों के लिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा विवरण अभी तक दाखिल नहीं किया गया है और अतः ऐसे संदर्भों के कारण कंपनी वर्तमान देयता को निर्धारित करने में असमर्थ है। अदालतों में लंबित इन मामलों के संबंध में देयताएं, यदि कोई हों, कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद या अंतिम आदेश प्राप्त होने पर प्रदान की जाएंगी।

प्रारंभिक कार्यों के दावों के संबंध में, ऐसे प्रारंभिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए केरल सरकार से प्राप्त धन से निपटारा किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनः स्थापन (केरल) नियम 2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के नियम 4(2) और नियम 4(3) के तहत, भूमि अधिग्रहण लागत के क्रमशः 30% और 5% की दर से स्थापना और आकस्मिकता शुल्क, जिला कलेक्टर को अग्रिम भुगतान किया जाना है। चूंकि भूमि अधिग्रहण दिनांक 04.11.2013 को किए भारत सरकार, केरल सरकार और केएमआरएल के बीच के समझौता ज्ञापन के अनुसार केरल सरकार का दायित्व है, केएमआरएल ने कई मौकों पर राजस्व विभाग से इस तरह के स्थापना शुल्क और आकस्मिकता को अधित्यजन करने का अनुरोध किया है। ऐसी पुष्टि लंबित होने के कारण, स्थापना शुल्क और आकस्मिकता के कारण राशि (अग्रिम/प्रावधान, यदि कोई हो) को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है।

30.30 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

दिनांक 01.04.2014 से सीएसआर व्यय की ओर कंपनी अधिनियम 2013 में मानदंड पूरा करने वाली कंपनियों को मुनाफे में से निर्धारित राशि खर्च करने का आदेश दिया गया है। सीएसआर प्रावधान केएमआरएल पर लागू होते हैं। कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान हुए नुकसान के कारण सीएसआर पर कोई राशि खर्च नहीं की।

30.31 भारतीय लेखा मानक - 107 "वित्तीय साधन: प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

30.31.1 श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधन

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2021 को			31 मार्च 2020 को		
	परिशोधन लागत	एफ़वीटी पीएल	एफ़वीओ सीआई	अमूर्त लागत	एफ़वीटी पीएल	एफ़वी ओसी आई
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 4& 9 देखें)	815,92.03	-	-	550,18.87	-	-
व्यापार प्राप्तियाँ	9,65.09	-	-	13,52.71	-	-
कुल	**825,57.12**	**-**	**-**	**563,71.58**	**-**	**-**
वित्तीय देयताएँ						
उधार (टिप्पणी संख्या 13 और 18 देखें)	3921,48.34	-	-	3314,17.05	-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ (टिप्पणी संख्या 14 और 19 देखें)	629,15.80	-	-	843,98.69	-	-
कुल	**4,550,64.14**			**4,158,15.74**	**-**	**-**

30.31.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय साधनों के संबंध में विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति और देयताओं को श्रेणी के अनुसार ऊपर संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। मुख्य प्रकार के जोखिम बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों में जोखिम को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अवधि के नकदी प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है।

सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम जिससे कंपनी उजागर होती है, नीचे वर्णित हैं;

क. बाजार ज़ोखिम

कंपनी को बाजार जोखिम के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम है। साथ ही कंपनी के पास मूल्य जोखिम नहीं है चूंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

ख. ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम का तात्पर्य काउंटर पार्टी द्वारा अपने दायित्व पर चूक के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है। कंपनी विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए इस जोखिम के संपर्क में है, उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अग्रिम देना, ग्राहकों से प्राप्तियां, सुरक्षा जमा आदि। रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम है मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि से है।

- व्यापार प्राप्तियाँ
- परिशोधन लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचाने गए , ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों की चूक की लगातार निगरानी करती है,और इस जानकारी को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में सम्मिलित करते हैं। जहां उचित लागत पर उपलब्ध हो, बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों पर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और उनका उपयोग किया जाता है।

ग. लिक्विडिटी जोखिम

कंपनी की लिक्विडिटी आवश्यकताओं की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के लिक्विडिटी के प्रमुख स्रोत परिचालन से उत्पन्न राजस्व, वाणिज्यिक दीर्घकालिक उधार, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूंजी और अनुदान हैं।

कंपनी नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और पर्याप्त नकदी और नकद समकक्षों को बनाए रखते हुए अपनी लिक्विडिटी ज़रूरतों का प्रबंधन करती है।किसी भी कमी को निर्धारित करने के लिए कुल नकद आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकद से की जाती है।

अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी देय, वैधानिक बकाया, वर्तमान परिपक्वता और बाहरी उधार पर ब्याज और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यवसाय के सामान्य प्रकार के दौरान उत्पन्न होने वाली जमा राशि आदि शामिल है। कंपनी अपनी अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद और नकद समकक्षों और अन्य बैंक बकाया राशि में पर्याप्त बकाया राशि बनाए रखती है।

कंपनी समय-समय पर दीर्घकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं का आकलन करती है और आंतरिक संचय के माध्यम से उनका प्रबंधन करती है। कंपनी की गैर-चालू देयताओं में उधार का पुनर्भुगतान, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण और जमा और कर्मचारी लाभ के लिए देयताएँ आदि शामिल हैं।

घ. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

i. व्यापार प्राप्तियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 तक कंपनी की बकाया व्यापार प्राप्य (सकल) राशि क्रमशः 11,38.06 लाख रुपए और 15,12.24 लाख रुपए है। व्यापार प्राप्य आम तौर पर असुरक्षित होते हैं और यह ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होते हैं।व्यापार प्राप्तियों से संबंधित ऋण जोखिम ग्राहकों से सुरक्षा जमा लेने से कम हो जाते हैं। कंपनी देनदारों की साख योग्यता की बारीकी से निगरानी करती है और केवल साख योग्य पार्टियों के साथ व्यवहार करता है। कंपनी की आंतरिक प्रणाली ग्राहकों की क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए हैं, ताकि क्रेडिट जोखिम को पूर्व-गणना की गई राशियों तक सीमित कर सकें।

ii. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जिसमें कर्मचारियों और अन्य को ऋण और अग्रिम शामिल हैं, को परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

ङ. **अपेक्षित ऋण हानि** - कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करती है:

व्यापार प्राप्तियाँ

व्यक्तिगत व्यापार प्राप्तियों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर जब वसूली को संदिग्ध माना जाता है तो व्यापार प्राप्तियां बिगड़ जाती है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियां जो खराब नहीं हैं और समीक्षाधीन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथियों के लिए बकाया हैं, अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं। कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए 1,72.97 लाख रुपए की राशि का अनुमान लगाया है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों का संक्षेप में आयु विश्लेषण निम्नानुसार है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	सकल	हानि	सकल	हानि
पूर्व में बकाया नहीं	-	-	2,99.27	-
पूर्व में तीन महीने से कम बकाया	4,07.52	-	4,89.16	-
पूर्व में देय तीन महीने से अधिक छह महीने से अधिक नहीं	23.76	-	4,23.22	-

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	सकल	हानि	सकल	हानि
पूर्व में छह महीने से अधिक बकाया	7,06.78	1,72.97	3,00.60	1,59.53
कुल	**11,38.06**	**1,72.97**	**15,12.25**	**1,59.53**

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की लगातार वसूली की निगरानी करके किया जाता है, जबकि एक ही समय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि यह राशियाँ निर्धारित सीमा के भीतर हैं। मध्यस्थता के तहत अनुबंध से संबंधित बकाया राशि के खिलाफ संदिग्ध ऋणों के लिए 1,72.97 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

क्रेडिट हानि के हिस्टोरिकल पैटर्न के अतिरिक्त, कंपनी ने कोविड-19 के कारण हुए उभरती स्थितियों पर भी विचार किया। यह मूल्यांकन किसी गणितीय मॉडल पर आधारित नहीं है, बल्कि उन ग्राहकों की वित्तीय ताकत पर विचार करते हुए एक आकलन है, जिनके संबंध में राशि प्राप्य है।

परिसंपत्ति के प्रकार के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि ऊपर बताए गए के अलावा परिसंपत्ति के वहन मूल्य पर कोई संभावित प्रभाव नहीं है। कंपनी उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को रिपोर्टिंग तिथियों पर अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता स्थिति में मानती है। तदनुसार, रिपोर्टिंग तिथि पर इन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति कोई अन्य हानि का प्रावधान नहीं हैं। कंपनी समीक्षा करना जारी रखेगी और जब भी कोई आवश्यकता होगी, उस समय हानि के प्रावधान पर विचार किया जाएगा।

30.32 भारतीय लेखा मानक -108, "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंड है, जो कोच्ची शहर में मेट्रो रेल सुविधा के निर्माण, संचालन और रखरखाव को कार्यान्वित कर रहा है और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम और रिटर्न, संगठन संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर एकल ऑपरेटिंग सेगमेंट में संचालित होता है। कंपनी की अन्य सभी गतिविधियाँ इसी मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। संपत्ति विकास परिसंपत्तियों के संबंध में पट्टे की जगह (स्टेशनों और बाहरी स्टेशनों में) से अर्जित परामर्श आय और किराए की आय सहित,अन्य परिचालन राजस्व कंपनी के आंतरिक निर्णय लेने और प्रदर्शन मापन प्रक्रिया के तहत कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार, ऑपरेटिंग सेगमेंट को मुख्य ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप रिपोर्ट किया जाना है। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर एक सेगमेंट के रूप में पूरी कंपनी के ऑपरेटिंग परिणाम की निगरानी और समीक्षा करता है। इसलिए कंपनी का एकमात्र परिचालन खंड "मेट्रो संचालन" है। इस प्रकार,

जैसा कि भारतीय लेखा मानक108 “ऑपरेटिंग सेगमेंट” में पहचाना गया है कंपनी का पूरा कारोबार एक ऑपरेशन सेगमेंट के अंतर्गत आता है और अतः भारतीय लेखा मानक 108 के तहत कोई अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान नहीं किया जाना है।

30.33 पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में प्रकटीकरण

राशि (रुपए लाखों में)

पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं	31.03.2021 को	31.03.2020 को
केएमआरएल की ओर से डीएमआरसी द्वारा किए गए मूर्त परिसंपत्ति अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों के कुल विदेशी मुद्रा अनुबंधों सहित) निष्पादित की जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	14,51.08	192,71.80
केएमआरएल अनुबंधों द्वारा किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों का शुद्ध) निष्पादित किया जाना शेष है और इसके लिए प्रकटीकरण प्रदान नहीं किया गया है।		
क. मूर्त परिसंपत्तियाँ	481,54.82	289,20.16
कुल	**496,05.90**	**481,91.96**

पार्टियों के कुछ डेबिट/क्रेडिट बकाया पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसका परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, अनिश्चित रहता है।

30.34 सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों को देय राशि

दिनांक 31 मार्च, 2021 तक 1,03.40 लाख रुपए (पिछले वर्ष - 7,19.44 लाख रुपए) बकाया है लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय नहीं है। उसी पर कोई ब्याज शेष और बकाया नहीं है।

सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों को देय राशि

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2021 को	मार्च 31, 2020 को
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है।		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों से मूलधन राशि	शून्य	शून्य
उपरोक्त से देय ब्याज	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
भुगतान करने में की गई देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तारीख तक उपरोक्त के रूप में जब एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकरण के उद्देश्य के लिए ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान किया जाता है।	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बारे में उपरोक्त जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित की गई है। इसे लेखा परीक्षकों ने विश्वास में लिया है।

30.35 केरल राज्य में हुए बाढ़ के कारण बीमा दावे के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष 2018-19 के दौरान, दिनांक 15 अगस्त 2018 से 20 अगस्त 2018 की अवधि के लिए, कोच्ची सहित केरल राज्य में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण अलुवा स्टेशन, कंपनीपडी स्टेशन और मुट्टम यार्ड में स्थापित परिसंपत्ति आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। डीएमआरसी के माध्यम से क्षतिग्रस्त संपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों की मरम्मत और

प्रतिस्थापन का काम किया जा रहा था। केएमआरएल ने वर्ष 2018-19 के दौरान 78,99.11 लाख रुपए की पहचान योग्य सीमा तक हानि को पहचाना। मरम्मत कार्य प्रगति पर है और परिसंपत्ति को उस सीमा तक बहाल किया जाता है, जिसे बहियों में पूंजीकृत किया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, बीमाकर्ता ने जीएसटी को छोड़कर 71,34.74 लाख रुपए के कंपनी के दावों का अनुमोदन किया है। 10,91.08 लाख रुपए की राशि के लिए देय जीएसटी दावे अनुमोदन के लिए लंबित है और यह कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता के संबंध में अग्रिम निर्णय के परिणाम पर आधारित होगा।संचयी रूप से, दिनांक 31.03.2021 तक, केएमआरएल को बीमा कंपनी की ओर से 71,34.74 लाख रुपए (31 मार्च, 2020 तक 50,00 लाख रुपए) प्राप्त हुए। कंपनी ने वर्ष 2018-19 में बाढ़ के दौरान परिसंपत्ति के नुकसान के लिए बीमाकर्ता से बीमा दावे की प्राप्ति के खिलाफ अन्य आय के तहत 71,34.74 लाख रुपए की आय की पहचान की है।

मरम्मत का काम प्रगति पर है और केएमआरएल को अपने परिसंपत्ति मूल्य, प्रतिधारित आय और अपनी शुद्ध आय पर निरंतर आधार पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं है। मरम्मत कार्यों की वजह से मेट्रो का संचालन प्रभावित नहीं हुआ है।

30.36 हाल की लेखा घोषणाएँ

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है।

30.36.क ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो।

30.36.ख दिनांक 24 मार्च, 2021 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III को संशोधित किया। अनुसूची III के डिवीजन I, II और III को संशोधित किया और यह दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से लागू होते हैं। डिवीजन II से संबंधित प्रमुख संशोधन जो उन कंपनियों से संबंधित हैं जिनके वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हैं:

तुलन पत्र :

(i) पट्टा देयताओं को को 'वित्तीय देयताएँ' शीर्ष के तहत अलग से प्रकट किया जाना चाहिए, जो विधिवत रूप से चालू या गैर-चालू के रूप में माना जाता है।

(ii) इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में कुछ अतिरिक्त खुलासे जैसे कि पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन और वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि।

(iii) संवर्धकों की शेयरधारिता के प्रकटीकरण के लिए निर्दिष्ट प्रारूप।

(iv) व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देयताओं, पूंजीगत कार्य प्रगति पर और विकासाधीन परिसंपत्तियों के काल प्रभावन के लिए निर्दिष्ट प्रारूप।

(v) यदि किसी कंपनी ने उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए धन का उपयोग नहीं किया है जिसके लिए उसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार लिया गया था, फिर इसका उपयोग कहाँ किया गया है, इसके ब्योरे का खुलासा।

(vi) अतिरिक्त नियामक आवश्यकता के तहत विशिष्ट प्रकटीकरण जैसे व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजनाओं का अनुपालन, कंपनियों की कई परतों का अनुपालन, स्थाई परिसंपत्ति के शीर्षक विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं, संवर्धकों को ऋण और अग्रिम, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और संबंधित पार्टी, धारित बेनामी संपत्ति का विवरण आदि।

लाभ और हानि का विवरण:

(i) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण और वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पणी में 'अतिरिक्त जानकारी' शीर्ष के तहत निर्दिष्ट अघोषित आय।

संशोधन व्यापक हैं और इसकी प्रयोज्यता पर आधारित हैं, कानून द्वारा अपेक्षित प्रभाव/प्रकटीकरण देने के लिए कंपनी इसका मूल्यांकन करेगी।

30.37 कोविड -19 के कारण मेट्रो संचालन में हुए प्रभाव पर प्रकटीकरण

कोविड -19 महामारी के प्रकोप के कारण दुनिया भर में महत्वपूर्ण व्यवधान हुए हैं।

दिनांक 22 मार्च 2020 से 6 सितंबर 2020 तक पहले चरण के साथ कंपनी के मेट्रो रेल संचालन को निलंबित कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप कम किराया बॉक्स और गैर किराया बॉक्स राजस्व की प्राप्त हुई। मेट्रो का वाणिज्यिक संचालन दिनांक 7 सितंबर 2020 से फिर से शुरू हुआ। वर्ष 2020-21 के दौरान मेट्रो के गैर परिचालन के कारण किराया बॉक्स राजस्व का अनुमानित हानि 36,57.00 लाख रुपए हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान गैर-किराया बॉक्स ग्राहकों को दी जाने वाली छूट/रियायतों के कारण राजस्व की अनुमानित हानि 7,52.02 लाख रुपए हैं।

30.38 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है।

कृते के. वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी	**निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से**
शासनपत्रित लेखाकर	
एफ़आरएन: 004610S	
यूडीआईएन: 21232723AAAACN6851	

ह0/-	ह0/-	ह0/-
विष्णु मोहन	**के आर ज्योतिलाल**	**कुमार के आर**
सहभागी	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ**
सदस्यता सं.232723	**(डिन : 01650017)**	**(डिन : 08106837)**

ह0/-
श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थान: कोच्ची	**स्थान: तिरुवनंतपुरम**
दिनांक: 05.08.2021	**दिनांक: 05.08.2021**

दिनांक: 05 अगस्त 2021